सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

27 फरवरी, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा — शुक्रवार, तिथि 27 फरवरी, 2026 ई0

द्वितीय सत्र — 08 फाल्गुन, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–'क'–49, श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र सं0–207, चेनारी (अ0जा0))

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : सर, हमें जवाब नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि घटना का प्रारंभिक जांच पुल निर्माण निगम के उच्चाधिकारियों द्वारा किया गया एवं जांच प्रतिवेदन अध्यक्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक–2432, दिनांक–27.12.2025 द्वारा पथ निर्माण विभाग को समर्पित की गयी है । प्रारंभिक जांच के आलोक में संवेदक को प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–7 सह पठित ज्ञापांक–98, दिनांक–13.01.2026 द्वारा ब्लेक लिस्ट कर दिया गया है । साथ ही, पथ निर्माण विभाग द्वारा संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को निलंबित कर दिया गया है । आई0आई0टी0, पटना द्वारा स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जा रहा है, स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण होने के उपरांत सक्षम निर्माण कम्पनी द्वारा इसका शेष एवं सुरक्षात्मक कार्य कराया जायेगा जिसे 6 माह के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा महोदय ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : धन्यवाद महोदय।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–123, श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र सं0–63, कटिहार)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको उत्तर मिला है ?

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अप्राप्त है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो दिया हुआ है । लेकिन मैं एक बार पढ़ देता हूं, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य के 35 जिला अस्पतालों में से औरंगाबाद, बेगूसराय, पूर्वी चम्पारण, गयाजी, गोपालगंज, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, सहरसा, छपरा (सारण) एवं सीतामढ़ी में आई०सी०यू० संचालित है।

सात निश्चय–3 के तहत सभी जिला अस्पतालों को अतिविशिष्ट चिकित्सा अस्पताल के रूप में विकसित करने हेतु नीतिगत निर्णय लिया गया है जिसके आलोक में चरणबद्ध रूप से जिला अस्पतालों का Gap Analysis कर आवश्यक मशीन उपस्कर की आपूर्ति एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों को पदस्थापन करते हुए आई०सी०यू० वार्ड क्रियाशील किये जाने की कार्रवाई की जाएगी।

इस संदर्भ में महोदय मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ ही दिन पूर्व राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नई नियुक्ति की गयी है और माननीय सदस्य से बात भी हुई है, कटिहार सदर अस्पताल के बारे में मैं विशेष रूप से चिंतित हूं वहां भी विशेषज्ञ चिकित्सक भेजे जायेंगे ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरे बिहार में स्वास्थ्य संरचना में क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास किया और वह सफल भी है, लेकिन शेष जो जिले रह गये हैं जिनकी चर्चा भी माननीय मंत्री जी ने की, उन जिलों में भी जल्द से जल्द कम से कम आई0सी0यू0 की व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाए, क्योंकि आई0सी0यू0 के अभाव में जो मरीज हैं, उन्हें सीधे पटना रेफर कर दिया जाता है और पटना की जो हालत.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : इतनी बड़ी संरचना के बाद भी पटना में कठिनाई होती है, इसलिए जल्द से जल्द हो जाये इतना ही आग्रह और निवेदन है ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–124, श्री सुरेन्द्र राम (क्षेत्र सं0–119, गरखा (अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अल्पसूचित प्रश्न सं0–125, श्री राहुल कुमार (क्षेत्र सं0–216, जहानाबाद)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : (1) वस्तुस्थिति यह है कि प्रत्येक 800–1000 जीवित जन्मे बच्चों में से 01 बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना होती है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि डाउन सिंड्रोम के साथ जन्मे बच्चों में मानसिक/विकासात्मक देरी (Developmental Delay) के साथ–साथ शारीरिक विकास भी धीमा होता है। ऐसी अवस्था में स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन आदि की सुविधा प्रदान कर उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।

वर्तमान में राज्य के 09 प्रमण्डलीय जिले यथा–पटना, मुजफ्फरपुर, सहरसा, गया, मुंगेर, सारण, पूर्णिया, दरभंगा एवं भागलपुर में

District Early Intervention Centre (DEIC) क्रियाशील है, जहाँ मुख्यतः बच्चों में विकासात्मक देरी से संबंधित समस्याओं का प्रबंधन यथा–Medical Services, Dental Services, Occupational Therapy, Physiotherapy, Speech Therapy, Audiology, Visual Impairment & Counselling आदि किया जाता है। इस प्रकार की सुविधा एवं जाँच हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाकर कार्रवाई की जाएगी।

श्री राहुल कुमार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है और मंत्री जी ने काफी सकारात्मक रूप से बताया भी है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने बताया कि 9 प्रमंडलों में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बने हैं और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मतलब प्रमंडल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको स्थापित करना चाहते हैं और दूसरा महोदय चूंकि यह डाउन सिंड्रोम जो बीमारी है, ये काफी भयानक है और जो बच्चे इससे ग्रसित होते हैं, उनके परिवार के साथ मतलब जीवनपर्यंत परेशानी झेलनी पड़ती है तो चूंकि कुछ जांच इसमें है जो ब्लड से भी किये जा सकते हैं तो माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा और सवाल भी होगा कि क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वैसे ब्लड जांच या अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि अर्ली स्टेज पर इसका पता लगाया जा सके, ताकि परिवार उसके हिसाब से आगे निर्णय कर सके ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है और यह बीमारी बहुत गंभीर किस्म की बीमारी है और बहुत कम लोगों में पायी जाती है लेकिन इस बीमारी के ईलाज के उपचार के लिए अभी हमलोगों ने कुछ वर्ष पूर्व से प्रयास प्रारंभ किये हैं और मैंने बताया है कि सभी प्रमंडलीय जो जिले हैं वहां पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर क्रियाशील किया गया है महोदय और वहां पर बच्चों में विकासात्मक देरी से संबंधित समस्याओं का प्रबंधन, मेडिकल सर्विस, डेंटल सर्विस, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इसमें महोदय फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत महत्वपूर्ण होता है इस बीमारी में और उसकी व्यवस्था वहां की गयी है। Speech Therapy, Audiology, Visual Impairment और Counselling की भी व्यवस्था की गयी है महोदय । पूर्व में काउंसलिंग की भी व्यवस्था राज्य में नहीं रहती थी, जिसके कारण ऐसे बच्चे जिस परिवार में मरीज बन जाते थे तो वास्तव में बहुत कठिनाई होती थी अभिभावकों को तो सरकार इस विषय में गंभीर है, विभाग ने 9 प्रमंडलीय जिलों में यह कार्य शुरू किया है, अभी माननीय सदस्य ने बताया कि ब्लड से भी उसकी जांच की जा सकती है अर्ली स्टेज

में तो मैं समझता हूं कि राहुल जी इसके थोड़े विशेषज्ञ भी हैं तो मुझे थोड़ी जानकारी दे देंगे तो मैं उस टेस्ट की भी व्यवस्था कराने का काम करूंगा ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, हम सिर्फ एक जानकारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को देना चाह रहे हैं । मेदांता अस्पताल, पटना में 25 प्रतिशत समाज के कमजोर वर्गों के मरीजों का निःशुल्क ईलाज का प्रावधान है, उसकी एक स्पष्टता और क्या उसके तरीके हैं, क्या नियम है, एक बार माननीय सदस्यों को अगर दे दिया जायेगा तो क्षेत्र के ऐसे गरीब मरीजों को उस अस्पताल में भेजने में सुविधा होगी, बस इतना ही आग्रह था ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसे उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–126, श्री मनीष कुमार (क्षेत्र सं0–160, धोरैया (अ0जा0))

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, विधि विभाग ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : 1. आंशिक स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बाँका जिला के धोरैया प्रखंड अन्तर्गत धनकुण्ड ग्राम में बाबा धनकुण्ड नाथ शिव पार्वती मंदिर एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो पर्षद में निबंधित है, जिसकी निबंधन सं0–4301 है।

जहाँ तक इस मंदिर को ध्वस्त कर दिये जाने एवं उसका अवशेष अभी तक धरातल पर दीवाल के शक्ल में मौजूद रहने का प्रश्न है, इस संबंध में पर्षद में उक्त न्यास की संचिका में कोई सूचना नहीं है।

2. आंशिक स्वीकारात्मक है।

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इस मंदिर में प्रत्येक सोमवार को हजारो की संख्या में लोग पूजा–पाठ एवं जलाभिषेक करते है तथा महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है।

इस संबंध में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मंदिरों/मठों के जीर्णोद्धार एवं विकास संबंधी मद में समुचित राशि मिलने पर बाबा धनकुण्ड नाथ शिव पार्वती मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा सकेगा । महोदय, मैं इस विषय को व्यक्तिगत रूप से भी देख लूंगा और इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो इसके लिए धार्मिक न्यास पर्षद को जो राशि की आवश्यकता पड़ेगी वह समुचित राशि उपलब्ध कराई जायेगी ।

श्री मनीष कुमार : धन्यवाद ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–127, श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र सं0–217, घोसी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : (1) वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सदर एवं जिला अस्पतालों में गंभीर रोगियों के चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध है, परन्तु गंभीर परिस्थितियों में रोगियों को आवश्यकतानुसार समुचित ईलाज हेतु उच्च संस्थानों में रेफर किया जाता है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सदर एवं जिला अस्पतालों में बेड की उपलब्धता अस्पताल प्रबंधक के द्वारा BHAVYA (Bihar Health Application Visionary Yojana for All) प्रणाली में अद्यतन की जाती है, उपलब्ध बेड एवं मरीज की स्थिति के अनुसार बेड को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के अस्पतालों में रेफरल पॉलिसी लागू है।

श्री रितुराज कुमार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है, मैं उससे संतुष्ट हूं । बस एक जानकारी जानना चाहता हूं । जो दूसरे खंड भव्या एप्लीकेशन का जिक्र किया गया है, क्या उसी की तरह कोई नोडल ऑफिसर्स भी हैं हॉस्पिटल में जो बता सकें, हर हॉस्पिटल में नोडल ऑफिसर्स अगर हैं कि जो कॉर्डिनेट कर सकें तो उसकी जानकारी अगर हमलोगों को मिल जाए, जैसे भव्या एप का आपने जो जिक्र किया, उसी तरह अगर....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, हर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल मैनेजर होते हैं और हॉस्पिटल मैनेजर इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं तो भव्या के संदर्भ में भी यदि किसी को कोई कठिनाई हो तो उस अस्पताल के प्रबंधक से बातचीत करके वह समाधान पा सकते हैं ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–128, श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र सं0–146, बेगूसराय)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक।

2. अस्वीकारात्मक।

वर्तमान में एस0डी0आर0एफ0 (SDRF) बटालियन में मानव बल की उपलब्धता को देखते हुए राज्य के बाढ़ प्रवण एवं संवेदनशील कुल 23 जिलों में एस0डी0आर0एफ0 (SDRF) की एक–एक टीम को सभी आवश्यक उपकरणों के साथ स्थायी रूप से प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सुपौल जिला में एन0डी0आर0एफ0 (NDRF) की टीम स्थायी रूप से प्रतिनियुक्त है।

जिला में प्रतिनियुक्त टीम जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करती है एवं प्रतिनियुक्त एस0डी0आर0एफ0 (SDRF) टीम को जिला के अन्तर्गत किस स्थान पर प्रतिनियुक्त किया जाना है। इसका निर्णय संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा लिया जाता है।

इसके अतिरिक्त 03 टीम एस0डी0आर0एफ0 (SDRF) मुख्यालय, बिहटा में रिजर्व रखा गया है। जिसे आवश्यकतानुसार जिलों में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

3. अस्वीकारात्मक ।

जिलों में प्रतिनियुक्त एस0डी0आर0एफ0 (SDRF) टीम में प्रशिक्षित गोताखोर उपलब्ध हैं।

4. सम्प्रति एस0डी0आर0एफ0 (SDRF) बटालियन में मानव बल की उपलब्धता को देखते हुए टीम की तैनाती अनुमंडल स्तर पर करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही, अंकित करना है कि एस0डी0आर0एफ0 (SDRF) टीम को अपग्रेड करने की कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको उत्तर मिला है ।

श्री कुंदन कुमार : जी अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष : आप अपना पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक ही पूछ रहा हूं, इसमें सरकार ने स्वीकार भी किया है । मेरा एक्चुली में सवाल था एस0डी0आर0एफ0 की जिलों में नियुक्ति को लेकर और सरकार ने स्वीकार किया है महोदय कि वर्ष 2024–25 और 2025–26 में 2 हजार से ज्यादा मृत्यु केवल डूबने से हुआ है महोदय और मैंने कहा कि इसमें जो हमारे एस0डी0आर0एफ0 की टीम है उनके पास जरूरी आवश्यक जो भी उपकरण हैं वह पर्याप्त संख्या में मौजूद नहीं हैं महोदय सरकार ने कहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या सरकार बतलायेगी कि जो डीप डाइविंग के लिए, जैसे हमारे बेगूसराय में महोदय गंगा नदी भी है, गंडक भी है डीप डाइविंग के लिए हमको इम्प्यूपमेंट चाहिए महोदय चाहे टार्च चाहिए, सर्च लाइट चाहिए, मास्क चाहिए ये नहीं होता है। मेरा पूरक प्रश्न है कि क्या सरकार समीक्षा करके इसकी व्यवस्था कराना चाहती है और दूसरा पूरक है संख्या बल के ऊपर गोताखोरों की महोदय । गोताखोर हमने हर जिले में एक जगह एस0डी0आर0एफ0 को दिया है, बेगूसराय में सिमरिया में दिया है और गोताखोर की कमी से अगर एक दिन में दो घटना घट जाती है महोदय तो बड़ा संकट होता है, उसमें गोताखोर बहुत कम रहते हैं तो क्या मंत्री जी गोताखोर वहां पर उपलब्ध कराना चाहते हैं । मैंने मांग की थी कि अनुमंडल के हिसाब से

एस0डी0आर0एफ0 की नियुक्ति की जाए, जिले में एक ही जगह होता है महोदय तो कम से कम इसको जोनवाइज बांटकर करना चाहते हैं, इन तीनों का जवाब मंत्री जी दे दें ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जवाब में क्लीयर है कि एस0डी0आर0एफ0 में सारी तैयारियों के साथ जिला स्तर पर दिया जाता है, ये सब डिवीजन स्तर पर संभव नहीं है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आपदा के लिए अपना जो सबसे पहले खजाना खोलकर रखा है, उनका अधिकार बनता है तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गयी हैं एस0डी0आर0एफ0 को और एस0डी0आर0एफ0 हर जिला में होता है, नियुक्त है और

क्रमशः

टर्न–02 / सुरज / 27.02.2026

(क्रमशः)

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : महोदय, हर जिला में जिला पदाधिकारी अपने हिसाब से उसको प्रतिनियुक्त करते हैं और उसकी जो तैयारी होती है, पूर्ण तैयारी भी है । हम कहेंगे माननीय सदस्य से कि यह जो पूरक प्रश्न पूछे हुये हैं इसके बारे में भी हम बता देना चाहते हैं कि हमलोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के पैटर्न पर बिहार राज्य आपदा मोचन बल (एस0डी0आर0एफ0) का गठन वर्ष 2010 में किया गया है । सम्प्रति एस0डी0आर0एफ0 बटालियन में उपलब्ध मानवबल के आलोक में कुल 26 टीमें गठित की गयी हैं, इनमें से 23 टीमें विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्त हैं तथा 03 टीम एस0डी0आर0एफ0 के मुख्यालय बिहटा में रिजर्व रखा गया है जिन्हें आवश्यकतानुसार जिला में प्रतिनियुक्त किया जाता है । इसके अतिरिक्त एन0डी0आर0एफ0 की टीम सुपौल में भी प्रतिनियुक्त है तो इसलिये हम कहेंगे कि पूरक प्रश्न का इसमें जगह नहीं बनता है ।

अध्यक्ष : श्री मिथिलेश तिवारी ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, यह पूरे बिहार का...

अध्यक्ष : आप तीन पूरक पूछ चुके हैं, आपने तीन पूरक पूछ लिया है, बैठिये । श्याम रजक जी बोलिये ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी कृपा रहती है और इन्होंने कहा है कि खजाना खुला हुआ है । जिला से फोर्स जायेगा अनुमंडल और प्रखंड में तो काफी विलंब हो जाता है इसलिये अगर अनुमंडल स्तर पर माननीय सदस्य का जो कहना है, तो अनुमंडल स्तर पर खोल देना चाहिये ।

अध्यक्ष : बैद्यनाथ बाबू ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो एस0डी0आर0एफ0 की टीम जिला में उपलब्ध हैं क्या उनके पास वह सभी जरूरी साधन रहते हैं ? चूंकि मेरे यहां जानकारी दे रहा हूं हुजूर चार लोग दो महीने में डूब गये और एस0डी0आर0एफ0 के लोगों ने मुझसे कहा कि मेरे पास साधन का अभाव है ।

श्री अजीत कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला और पूरे राज्य का मामला है । महोदय, हमारे जिले में बूढ़ी गंडक, बागमती एक बड़ी नदी है और एक दिन में दो–दो, तीन–तीन जगह घटना घटित हो जाती है । उसके बाद हमलोग एस0डी0ओ0 और कलेक्टर को बोलते रह जाते हैं और 48–48 घंटे के बाद यह टीम स्थल पर पहुंचती है । ऐसी स्थिति में क्या सरकार जैसा कि माननीय सदस्य ने सवाल किया है, क्या सरकार अनुमंडल स्तर पर इक्यूपमेंट के साथ यह टीम गठित करना चाहती है ? चूंकि यह गंभीर मामला है और यह गरीब के बच्चों और गरीब लोगों पर इसका ज्यादा प्रभाव होता है । इसलिये माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि अनुमंडल स्तर पर इक्यूपमेंट रहित ये टीम एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0 का जो भी टीम है गठित करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के...

श्री नीरज कुमार सिंह बब्लू : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : बब्लू जी बोलिये ।

श्री नीरज कुमार सिंह बब्लू : अध्यक्ष महोदय...

श्री कुंदन कुमार : महोदय...

अध्यक्ष : आपका हो चुका है, प्लीज बैठ जाइये ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, समीक्षा तो करा लें...

अध्यक्ष : विषय आयेगा, बोलने तो दीजिये और लोगों को । आपका विषय आ चुका है । बोलिये बब्लू जी ।

श्री नीरज कुमार सिंह बब्लू : अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा घटनायें घटती है कोशी के इलाके में । कोशी नदी सबसे ज्यादा चंचल नदी है, वहां ज्यादा घटनायें घटती है और जिला हेडक्वार्टर जैसे कि सुपौल है, वहां से बीरपुर की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है । कोई बच्चा डूब जायेगा तो 60 किलोमीटर तय करने में कम से कम एक घंटा से ज्यादा लगेगा और एक घंटा में वह तैयार होता है तो महोदय गरीब के बच्चे कैसे बचेंगे ? इसकी चिंता जरूर की जाय ।

अध्यक्ष : सारा सुझाव आ चुका है । सभी माननीय सदस्यों का सुझाव यही आया है कि अनुमंडल स्तर पर और उपरकण में जो कमी है निश्चित तौर पर...

श्री राजू कुमार सिंह : महोदय जिनका मुख्यालय जिला अनुमंडल में है वहां क्या होगा ? क्योंकि हमलोगों का अनुमंडल जिला मुख्यालय में ही है ।

अध्यक्ष : तब तो अच्छा है न ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, सबसे घनी नदी सीमांचल में है । 150 किलोमीटर की सिलीगुड़ी से या सुपौल के दरम्यान 150 किलोमीटर की नदियां हमारे क्षेत्र में आकर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर समाप्त हो जाती हैं । हर साल कम से कम 10–15 बच्चे, जवान, दुल्हन डूब कर मर गयी, लाश भी नहीं मिल पायी । इसलिये कम से कम इस मामले को...

अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में...

(व्यवधान)

शांति, शांति । माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में...

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : कुमार सर्वजीत जी सुझाव दे दीजिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, एस0डी0आर0एफ0 का निर्माण ही हुआ था कि आपदा की घड़ी में क्यूक रियेक्शन, एक्शन । अब जैसे आप भी गयाजी से हैं और फल्गू नदी में आपने देखा ही कि लगातार घटना हो रही है और टीम को जिलाधिकारी कहां से बुलाते हैं, पटना से बुलाते हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी खजाना खोल रखे हैं तो लाश खोजने के लिये खजाना खोल रखे हैं कि तत्काल कार्रवाई के लिये खजाना खोल रखे हैं ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़े साफ तौर पर कहा है कि यह एस0डी0आर0एफ0 की परिकल्पना से लेकर इसी सरकार और मुख्यमंत्री जी की सोच के तहत है पहली बात । दूसरी बात कि इसका चरणबद्ध तरीके से विस्तार कार्यक्रम चल रहा है । मुख्यालय बिहटा में बनाया गया है और राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देकर हम एस0डी0आर0एफ0 के कैडेट्स को तैयार कर रहे हैं । मुख्यालय से लेकर अभी सभी जिलों में उसकी उपलब्धता करा दी गयी है । माननीय सदस्य की चिंता भी वाजिब है, सरकार की भी चिंता सदस्यों के साथ है । हम इसका विस्तार कर रहे हैं । धीरे–धीरे अनुमंडल स्तर तक भी जायेगा इसलिये हम सदन को आश्वस्त करना चाहते है, यह तो चरणबद्ध विस्तार की प्रक्रिया है । मुख्यालय बना अब वहां से जिला मुख्यालय में गया है । अगले चरण में अनुमंडल में जाने की बात आयेगी ।

अध्यक्ष : श्री मिथिलेश तिवारी ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, समीक्षा...

अध्यक्ष : आ जायेगा, आपने जो कहा है उसकी समीक्षा माननीय मंत्री जी कर लेंगे ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–129, श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र सं0–99, बैकुण्ठपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों के द्वारा किये गये चिकित्सीय कार्य का भुगतान एकरारनामा के अनुसार संबंधित बीमा प्रदाता कंपनी के द्वारा किये जाने का प्रावधान है। सरकार द्वारा केवल प्रीमियम का भुगतान संबंधित बीमा प्रदाता कंपनी एवं बिहार सरकार के बीच किये गये एकरारनामा के अनुरूप किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 तक वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यालय पत्रांक–142, दिनांक–24.01.2019 से केन्द्र सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है। वैधानिक अंकेक्षण के कारण अस्पतालों का भुगतान लंबित नहीं है।

अस्पताल का भुगतान संबंधित बीमा प्रदाता कंपनी के द्वारा ही किया जाना है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत सिवान जिले में अस्पताल को सूचीबद्ध करने हेतु यूनाईटेड इंडिया इश्योरेंश कंपनी को अधिकृत किया गया था। शांति नेत्रालय, महाराजगंज (सिवान) द्वारा किये गये चिकित्सीय कार्य हेतु अस्पताल को भुगतान एकरारनामा के आलोक में संबंधित इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ही किया जाना है।

शांति नेत्रालय, महाराजगंज (सिवान) सहित राज्य के सभी सम्बद्ध अस्पतालों को चिकित्सीय कार्य हेतु भुगतान संबंधित बीमा प्रदाता कंपनी द्वारा ही किया जाना है।

यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम भुगतान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय शिकायत निवारण समिति (NGRC), नई दिल्ली को अभ्यावेदन समर्पित किये जाने की सूचना है। राष्ट्रीय शिकायत निवारण समिति (NGRC), नई दिल्ली के निर्णय के उपरान्त अग्रेतर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो माननीय मंत्री ने अपलोड किया है लेकिन जवाब में आपस में ही कंट्राडिक्शन है । 2018 में जवाब आता है विभाग का कि 2014–15 में योजना ही कार्यान्वित नहीं थी और अभी के जवाब में लिखा हुआ है कि यह योजना 2014–17 के बीच, स्वीकारात्मक । मैंने पूछा है कि 2014–17 के बीच यह योजना थी क्या ? विभाग ने क्या जवाब दिया है स्वीकारात्मक । और 2018 का जवाब है विभाग का कि 2014–15 में योजना ही नहीं थी, नंबर वन । नंबर टू महोदय 2018 में जवाब देता है विभाग कि अभी अंकेक्षण प्रतिवेदन भारत सरकार ने मांगा है, अंकेक्षण प्रतिवेदन हम भेजेंगे उसके बाद उसका केन्द्रांश राशि आ जाने के बाद हम भुगतान करेंगे । अभी जवाब आता है सरकार का...

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिये न ।

श्री मिथिलेश तिवारी : केन्द्रांश का अंकेक्षण प्रतिवेदन चला गया । अब सीधे विभाग पल्ला झाड़ रहा है कहता है क्या कि यह बीमा कंपनियों को देना है, इससे राज्य सरकार का कोई लेना–देना नहीं है । महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि पटना उच्च न्यायालय का आदेश भी मेरे हाथ में है और अररिया के दो अस्पताल योगमाया देवी मेमोरियल हॉस्पीटल और डॉ0 उत्कर्ष भारद्वाज इसमें स्पष्ट कोर्ट का आर्डर है, माननीय न्यायालय का आर्डर है इसमें सीधे लिखा हुआ है कि Date as have been claimed in the writ application and they are found to be genuine and payble फिर लिखता है आगे then the respondent shall pay the admitted claim of the petitioners after taking a decision thereon as above within one moth therefore the writ petition stand disposed off accordingly. महोदय एक महीना में भुगतान करना था और भुगतान आज तक नहीं हुआ ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, मैंने अपने जवाब में बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है यह योजना जब शुरू हुई तो इस योजना में एकरारनामा जो होता था वह इश्योरेंश कंपनी और उस अस्पताल के बीच होता था । मैंने दूसरे खंड में जवाब दिया है कि वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत सिवान जिले में अस्पताल को सूचीबद्ध करने हेतु यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी को अधिकृत किया गया था। पूरे राज्य के अंदर किस क्षेत्र को कौन इंश्योरेंश कंपनी देखेगा ये अधिकृत हुआ । सिवान यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंश कंपनी अधिकृत हुआ ।

(क्रमशः)

टर्न–3 / धिरेन्द्र / 27.02.2026

...क्रमशः....

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, फिर शांति नेत्रालय, महाराजगंज द्वारा किए गए चिकित्सकीय कार्य हेतु अस्पताल को भुगतान एकरारनामा के आलोक में संबंधित इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ही किया जाना है । महोदय, एकरारनामा किया अस्पताल ने इंश्योरेंस कंपनी से तो भुगतान इंश्योरेंस कंपनी ही करेगी और जब इंश्योरेंस कंपनी भुगतान नहीं कर रही है तो आगे भी मैंने जवाब में लिखा है कि शांति नेत्रालय, महाराजगंज सहित राज्य के सभी संबद्ध अस्पतालों को चिकित्सकीय कार्य हेतु भुगतान संबंधी बीमा प्रदाता कंपनी द्वारा ही किया जाना है । यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम भुगतान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय शिकायत निवारण समिति, नई दिल्ली को अभ्यावेदन समर्पित किए जाने की सूचना है तो जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, उस संदर्भ में भी मैंने स्पष्ट किया है । राष्ट्रीय शिकायत

निवारण समिति, नई दिल्ली के निर्णय के उपरांत अग्रेत्तर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुभाष सिंह ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत ही स्पष्ट जवाब है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने केवल एक कंपनी का ही नाम लिया । महोदय, बिहार में तीन–तीन कंपनियों ने सेवा दी है । जिस शांति नेत्रालय की बात हो रही है, उसने भी तीन जिलों में काम किया है और तीन कंपनियों के यहां बकाया है । महोदय, माननीय मंत्री जी के जिले का मामला है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सारे मामले की समीक्षा माननीय मंत्री जी कर लेंगे ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, गोपालगंज और सिवान, ऐसे दर्जनों अस्पताल हैं और जहां से कह रहे, माननीय मंत्री जी पल्ला झाड़ रहे हैं । यह बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की चिट्टी है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उसकी प्रति माननीय मंत्री जी को दे दीजिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, पेमेंट राज्य सरकार की जिम्मेवारी है । माननीय मंत्री जी सदन में खड़ा हो कर कहें कि राज्य सरकार ने ही यह योजना लागू की थी और केन्द्र सरकार ने । इसलिए विभिन्न अस्पतालों का जो पैसा बकाया है, जो गरीबों के इलाज के लिए हुआ है, उसका पेमेंट राज्य सरकार को हर हालत में करनी पड़ेगी । महोदय, इसका ये सदन में कहें....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीमा कंपनी को करना है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, कराना तो पड़ेगा न ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार प्रयास करेगी, उन्होंने कहा है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, राज्य सरकार इस पेमेंट को कराये ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, मैंने साफ कहा है, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, यह राज्य की बीमा योजना नहीं है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे देश के लिए एक प्रकार से लागू हुआ । महोदय, मैंने अपने जवाब के शुरू में ही कहा कि अलग–अलग क्षेत्रों को, अलग–अलग इंश्योरेंस कंपनी को संबद्ध किया गया । सिवान में यूनाईटेड इंडिया को किया गया, ऐसे ही दूसरे जिले में दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को संबद्ध किया गया तो जिस भी जिले में इस प्रकार का कोई विवाद उस एजेंसी से आयेगा तो उसका मामला ऐसे ही होगा । माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है, उसके संदर्भ में भी मैंने बता दिया कि राष्ट्रीय शिकायत निवारण समिति उसके लिए बनी हुई है । राष्ट्रीय शिकायत निवारण समिति बनी क्यों ? इसीलिए उसमें प्रोविजन किया गया कि ऐसा कोई मामला जब फंसेगा तो वहां प्रश्न लाया जायेगा और वहां से जो समाधान होगा,

उसके अनुकूल कार्रवाई की जायेगी । मैंने अंत में कहा है कि जो एन॰जी॰आर॰सी॰, नई दिल्ली के निर्णय के उपरांत अग्रेत्तर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी तो उसका निर्णय आयेगा फिर जो विधिसम्मत कार्रवाई करनी होगी तो किया जायेगा ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–130, श्री सुभाष सिंह (क्षेत्र संख्या–101, गोपालगंज)
(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सामान्यतः एम॰आर॰आई॰ मशीन एवं एंजीओग्राफी की सुविधा मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। वर्त्तमान में गोपालगंज जिला के सदर अस्पताल में एम॰आर॰आई॰ एवं एंजीओग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, परन्तु आवश्यकतानुसार मरीजों को चिकित्सीय परामर्श के अनुसार एम्बुलेंस के माध्यम से एम॰आर॰आई॰/एंजीओग्राफी हेतु उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में भेजा जाता है।

सात निश्चय–3 (2025–2030) ''सुलभ स्वास्थ्य–सुरक्षित जीवन'' के तहत् सभी जिला अस्पतालों को अतिविशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर मिला है ?

श्री सुभाष सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये ।

श्री सुभाष सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है लेकिन मुझे कहना है कि नेशनल हाईवे 27 और 531, शहर के बीचों–बीच निकला हुआ है, जिसके चलते एक से दो प्रतिदिन एक्सीडेंट होते हैं और सर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज हेतु एम॰आर॰आई॰ की व्यवस्था नहीं है तो ईलाज के लिए पटना रेफर किया जाता है जिसमें समय लगता है, कम–से–कम तीन घंटा समय लग जाता है, उसमें बहुत दिक्कत होता है तो माननीय मंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि गोपालगंज अस्पताल में एक एम॰आर॰आई॰ और इंडोस्कोपी की व्यवस्था करा दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में लिखा है कि एम॰आर॰आई॰ मशीन बहुत महत्वपूर्ण मशीन है और वह गंभीर बीमारियों की जाँच के लिए उसका उपयोग किया जाता है और एम॰आर॰आई॰ मशीन जो है, एम॰आर॰आई॰ मशीन की सुविधा अभी मेडिकल कॉलेजों मे दी जाती है । एम॰आर॰आई॰ मशीन की सुविधा जिला अस्पतालों में नहीं है तो इसलिए गोपालगंज के भी जिला अस्पताल में यह सुविधा नहीं है लेकिन हर जिले में और हर प्रखंड में अल्सा एम्बुलेंस इसीलिए हमलोगों ने रखवाया है, एडवांस लाईफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस, उसमें सारी सुविधाओं से, जीवनरक्षक सुविधाओं से युक्त वह एम्बुलेंस

है और उसको उच्चतर अस्पताल में भेजा जा सके तो महोदय, अभी वर्तमान में सात निश्चय के तहत जो वर्ष 2025–30 तक हम सब लोगों को योजना क्रियान्वित करना है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, 'सुलभ स्वास्थ्य–सुरक्षित जीवन' के तहत जिला अस्पतालों को हम अतिविशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करने वाले हैं तो जब अतिविशिष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करेंगे तो यह जो मेडिकल कॉलेज की अभी सुविधा है, एम॰आर॰आई॰ जैसी मशीन की है, उसको हम आगे जिला अस्पतालों में ले जायेंगे ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–131, श्री अनिल सिंह (क्षेत्र संख्या–236, हिसुआ)
(माननीय सदस्य अनुपस्थिति)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–132, श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या–63, कटिहार)

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अप्राप्त है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग । तारकिशोर बाबू, उत्तर मिला है ?

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, नहीं मिला है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर तो आया हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, ठीक है । पढ़ दीजिये, नहीं देख पाये होंगे । आजकल काफी व्यस्त रह रहे हैं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : हुजुर, नहीं मिला है । आज सुबह तक नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, पढ़ दीजिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इसमें आ गया है, खोल कर पढ़ तो लीजिये ।

महोदय, अस्वीकारात्मक । बिहार गजट में दिनांक–18.12.2018 को बिहार विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा अधिसूचित Compensation to Victims of Electrical Accidents Regulations–2018 में विद्युत स्पर्शाघात की घटना में मृत/घायल व्यक्ति तथा पशु मृत्यु होने पर उसके निकटतम परिजन/घायल व्यक्ति के लिए अधिकतम ₹ 4,00,000/– (चार लाख रूपये) तक अनुग्रह अनुदान/मुआवजा की दर निर्धारित है, जिसमें वर्णित निर्देश के अनुपालन में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के संकल्प संख्या–106, दिनांक–15.06.2019 विद्युत स्पर्शाघात की घटना से मानव/पशु मृत्यु एवं मानव विकलांगता की स्थिति में संबंधित मामले की जांच की प्रक्रिया के बाद निम्नरूपेण अनुग्रह अनुदान/मुआवजा की राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है:–

(क) मानव मृत्यु	रु. 4,00,000/–
(ख) मानव विकलांगता	रु. 2,00,000/–
मानव विकलांगता (40 से 60 प्रतिशत)	रु. 60,000/–

(ग) एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में रहने पर	रु. 15,000/–
(घ) एक सप्ताह से कम अस्पताल में रहने पर	रु. 5,000/–
(ङ.) बड़े दुग्धकारी पशु	रु. 30,000/–
छोटे दुग्धकारी पशु	रु. 3,000/–
(च) बड़े अदुग्धकारी पशु	रु. 25,000/–
छोटे अदुग्धकारी पशु	रु. 16,000/–
(छ) Poultry	रु. 50/– (प्रति पक्षी)

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, एक आग्रह था माननीय मंत्री महोदय जी से कि विद्युत बोर्ड के द्वारा जो मुआवजा की राशि दी जाती है, इसकी प्रक्रिया बहुत ही जटिल है । क्या माननीय मंत्री बताना चाहेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रकार की घटनाओं पर कितने दावे किए गए हैं और कितने का निष्पादन हुआ? इसे आपदा प्रबंधन से भी जोड़कर इस प्रक्रिया को सरल किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री तारकिशोर जी, इसमें है नहीं, आपका आग्रह है सरल करने का ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, और एक समय–सीमा के अंदर भुगतान होगा । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–2680, श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या–93, कुढ़नी)</u>
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–2681, श्रीमती देवंती यादव, (क्षेत्र संख्या–46, कुढ़नी)</u>
(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक–218, दिनांक–25.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नरपतगंज प्रखण्ड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवाबगंज फुलकाहा का भवन निर्माण केन्द्र–प्रायोजित बहुक्षेत्रीय विकास योजना (Multy Sectoral Development Programme-MSDP) मद से ग्रामीण कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज द्वारा कराया जा रहा था। उक्त योजना का एकरारनामा कार्यकारी एजेन्सी ग्रामीण कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज द्वारा वर्ष 2011–12 में किया गया था एवं कार्यारम्भ दिनांक–19.11.2011 को किया गया। उक्त योजना को पूर्ण करने हेतु संवेदक को कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कई बार पत्राचार किया गया। प्रतिवेदनानुसार संवेदक की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके कोई उत्तराधिकारी का पता नहीं चल पा रहा है। जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि उक्त योजना के एकरारनामा की राशि 65.55 लाख रुपया है,

जिसमें संवेदक को 34.00 लाख रुपया भुगतान किया जा चुका है। निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि उक्त भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण है।

उक्त अपूर्ण भवन की जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्माण एजेन्सी (BMSICL) को निदेशित किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त राशि की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

वर्त्तमान में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवाबगंज फुलकाहा पुराने भवन में संचालित है, जहाँ पदस्थापित 01 चिकित्सक, 02 ए०एन०एम० एवं अन्य कर्मियों द्वारा आमजनों को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है।

श्रीमती देवंती यादव : अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है । मैंने पूछा था कि वर्ष 2011–12 में भवन निर्माण का कार्य शुरू हुआ था और वह आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है। महोदय, इसमें जवाब आया है कि पूर्ण नहीं हो पायी है । मेरा कहना है कि भवन वहां निर्माण कराना है, वहां काफी असुविधा होती है मरीजों को ठहरने के लिए, दिखवाने के लिए तो मंत्री जी बताने की कृपा करें कि कब तक इसको पूर्ण करा देंगे?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में हो जायेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–2682, श्री सुरेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या–01, वाल्मीकिनगर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1– स्वीकारात्मक।

2–अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–142(9), दिनांक–05.02.2026 द्वारा डॉ० मनोरंजन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भितहा, पश्चिम चम्पारण से स्पष्टीकरण की माँग की गयी है। साथ ही सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक–538, दिनांक–14. 02.2026 द्वारा डॉ० मनोरंजन को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पद से मुक्त कर दिया गया है। उक्त कार्रवाई में तीन माह का समय लगने के संबंध में सिविल सर्जन, बेतिया से विभागीय पत्रांक–182(9), दिनांक–16.02.2026 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई है ।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक–1800/अप०शा०, दिनांक– 30.10. 2025 द्वारा सूचित किया गया है कि यह मात्र काण्ड दर्ज किए जाने की प्राथमिक सूचना है। यह भी अंकित है कि प्रशासनिक रूप से पाये गये कदाचार के संबंध में अनुसंधानोपरान्त अतिरिक्त साक्ष्य के साथ अलग से प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होते ही नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर मिला है ?

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर अभी आया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूछ लीजिये ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, एफ॰आई॰आर॰ हो जाने के बावजूद भी इतना टाईम क्यों लग रहा है ? वैसे डॉक्टर को रखने से क्या फायदा है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि खंड–2 एवं 3 का जो जवाब है । पहले खंड का जवाब स्वीकारात्मक है। खंड–2 एवं 3 का जवाब अस्वीकारात्मक है और महोदय, मैंने उसमें लिखा है कि वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–142(9), दिनांक–05.02.2026 द्वारा डॉ॰ मनोरंजन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भितहा, पश्चिम चम्पारण से स्पष्टीकरण की माँग की गयी है । साथ ही सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक–538, दिनांक–14.02.2026 द्वारा डॉ॰ मनोरंजन को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पद से मुक्त कर दिया गया है ।

...क्रमशः....

टर्न–4 / पुलकित / 27.02.2026

(क्रमशः)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : मतलब माननीय सदस्य ने जिस चिकित्सक के बारे में प्रश्न किया है, उनको उनकी जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया गया है ।

फिर उन्होंने पूरक में पूछा विलंब, तो उसका भी जवाब मैंने इसमें लिखा है । उक्त कार्रवाई में तीन माह का समय लगने के संबंध में सिविल सर्जन, बेतिया से विभागीय पत्रांक–182(9), दिनांक 16.02.2026 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई है । महोदय, मैंने स्वयं चिंता व्यक्त की कि यह 3 महीना समय नहीं लगना चाहिए था और विभाग ने सिविल सर्जन से स्पष्टीकरण पूछा है । निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक–1800, दिनांक 30.10. 2025 द्वारा सूचित किया गया है कि यह मात्र कांड दर्ज किए जाने की प्राथमिक सूचना है । यह भी अंकित है कि प्रशासनिक रूप से पाए गए कदाचार के संबंध में अनुसंधानोपरांत अतिरिक्त साक्ष्य के साथ अलग से प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा । महोदय, पूरी चार्जशीट अभी समर्पित नहीं हुई है । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होते ही नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी । जो माननीय सदस्य का विषय था, उन सारे विषयों का जवाब मैंने दिया है ।

अध्यक्ष : बहुत विस्तार से माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है ।

श्री सुरेंद्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाह रहा था । भितहा प्रखंड में जो हॉस्पिटल है, वहां पर मात्र एक नर्स और एक डेंटल डॉक्टर ही चला रहे हैं। इसलिए वहां डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति बहुत जरूरी है ...

अध्यक्ष : आपका जो प्रश्न था माननीय सदस्य, वह कार्रवाई के संबंध में था । उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया ।

श्री सुरेंद्र प्रसाद : महोदय, वहां डॉक्टर भी नहीं है ।

अध्यक्ष : बाकी बातें आप अलग से मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए । माननीय मंत्री देख लेंगे । ठीक है ?

श्री सुरेंद्र प्रसाद : ठीक है, महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0–2683, श्री हरिनारायण सिंह (क्षेत्र सं0–177, हरनौत)

श्री हरिनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं । उत्तर प्राप्त नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, उत्तर ऑनलाईन दिया हुआ है । फिर भी मैं पढ़ देता हूं ।

श्री हरिनारायण सिंह : सुबह 09 बजे तक जवाब ऑनलाईन नहीं आया था ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : ठीक है, मैं जवाब पढ़ देता हूं । महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि हरनौत प्रखंड के ग्राम पंचायत नेहुसा में स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र, नेहुसा के भवन निर्माण हेतु प्रश्न में वर्णित भूमि की उपलब्धता एवं उपयुक्ता संबंधी प्रतिवेदन की मांग समाहर्ता, नालन्दा से विभागीय पत्रांक–512(10), दिनांक–24.02.2026 द्वारा की गयी है । इसके प्राप्त होने के उपरान्त राशि की उपलब्धता के आधार पर विहित प्रक्रियानुसार निर्माण की स्वीकृति दे दी जाएगी।

श्री हरिनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जमीन उपलब्ध है, लेकिन मेरा कहना है कि अगले वित्तीय वर्ष में नेहुसा में इस स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण करा दिया जाएगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला समाहर्ता से इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई है, प्रतिवेदन प्राप्त होते ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

तारांकित प्रश्न सं0–2684, श्री सुरेन्द्र राम (क्षेत्र सं0–119, गरखा (अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–2685, श्री मुरारी पासवान (क्षेत्र सं0–154, पीरपैंती (अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाडें, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उत्क्रमित किये जाने हेतु

विभागीय राज्यादेश संख्या–550(10), दिनांक–11.04.2025 द्वारा मानक के अनुरूप पद सृजन किया गया है । सात निश्चय–3 के तहत राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/रेफरल अस्पताल में विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु नीतिगत निर्णय लिया गया है, जिसके आलोक में राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चरणबद्ध रूप से अल्ट्रासोनोग्राफी जाँच की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैती प्रखंड स्थित रेफरल अस्पताल, पीरपैंती में रेडियोलॉजिस्ट का पद स्वीकृत नहीं है । वर्तमान में यहाँ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पदस्थापित नहीं है । इसके अतिरिक्त उक्त संस्थान में 02 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (इनमें से 01 महिला है) एवं 01 प्रयोगशाला प्रावैधिकी पदस्थापित है । उक्त में से 01 महिला चिकित्सा पदाधिकारी है जिनके द्वारा महिलाओं के प्रसव संबंधी एवं अन्य रोगों का ईलाज किया जा रहा है। अकार्यरत अल्ट्रासाउण्ड मशीन को आवश्यक पदस्थापन कर शीघ्र क्रियाशील किया जाएगा ।

विभाग स्तर पर उपलब्धता के आधार पर विभिन्न संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापन किया जाता है ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है ?

श्री मुरारी पासवान : जी, उत्तर मिला है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री मुरारी पासवान : लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन तो है लेकिन धूल फांक रही है। टेक्नीशियन वहां अति आवश्यक है । वहां की घनी आबादी है, उस आबादी को देखते हुए महिला और प्रसूति रोग विशेषज्ञ आवश्यक है । महोदय, सदन से आग्रह करेंगे, मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, अति शीघ्र वहां पर महिला और अल्ट्रासाउंड मशीन का टेक्नीशियन उपलब्ध करावें ताकि वहां कि जो 5–7 लाख की आबादी है । चूंकि झारखंड भी सटा हुआ है, वहां से भी बहुत सारे रोगी आ जाते हैं यहां पर, तो काफी कठिनाई होती है, उस कठिनाई को हमको झेलना पड़ता है ।

अतः आग्रह करेंगे कि इसका जितना जल्दी हो वहां पर पदस्थापित करें ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : माननीय सदस्य का प्रश्न जायज है, विभाग उस पर शीघ्र कार्रवाई करके वहां नियुक्ति का कार्य करेगा, पदस्थापना करेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0–2686, श्री रामेश्वर कुमार महतो (क्षेत्र सं0–27, बाजपट्टी)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1– स्वीकारात्मक ।

2–वस्तुस्थिति यह है कि पीड़ित परिवार के द्वारा अबतक मुआवजा राशि की स्वीकृति एवं भुगतान हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन समर्पित नहीं किया गया है । बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना का संकल्प संख्या–81, दिनांक 26.06.2020 में निहित प्रावधान के तहत विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु होने पर ₹ 400000.00 (रूपये चार लाख मात्र) मुआवजा भुगतान किये जाने का प्रावधान है ।

पीड़ित परिवार से आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त मुआवजा भुगतान के बिन्दु पर नियमानुसार की कार्रवाई की जाएगी ।

3–उक्त लाईन को सुरक्षात्मक एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ कर लिया गया है ।

श्री रामेश्वर कुमार महतो : महोदय, इसमें पूरक यह पूछना था मुझे कि जो पीड़ित परिवार है उन्होंने आवेदन दिया हुआ है, लेकिन वहां से यह कहा गया कि उनका आवेदन के बाद भी पेपर पूरे नहीं होने के कारण मुआवजा नहीं मिला है। मंत्री जी से आग्रह होगा आपके माध्यम से कि एक बार इसको दिखवा लिया जाए। बहुत–बहुत धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–2687, श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र सं0–155, कहलगांव)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि कहलगाँव प्रखण्ड के पंचायत प्रशस्तडीह में स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र, सिमरो स्थानीय पुस्तकालय के एक कमरे में संचालित है, जहाँ पदस्थापित 01 सी0एच0ओ0 एवं 01 ए0एन0एम0 द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित सभी कार्यक्रमों यथा ओ0पी0डी0, दवा वितरण, प्रसव पूर्व जाँच, परिवार कल्याण कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण इत्यादि की स्वास्थ्य सुविधायें आम ग्रामीणों को उपलब्ध करायी जा रही है ।

स्वास्थ्य उपकेन्द्र, सिमरो के भवन निर्माण हेतु प्रश्न में वर्णित भूमि की उपलब्धता एवं उपयुक्तता संबंधी जाँच प्रतिवेदन की मांग समाहर्त्ता, भागलपुर से विभागीय पत्रांक–509(10), दिनांक–24.02.2026 द्वारा की गयी है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त विहित प्रक्रियानुसार राशि की उपलब्धता के आधार पर उक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण की स्वीकृति दिये जाने पर विचार किया जाएगा ।

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । मैं आसन के माध्यम से खाली माननीय मंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि अगले वित्तीय वर्ष में सिमरो का वह उप स्वास्थ्य केंद्र करवा दिया जाए ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–2688, श्री आनन्द मिश्र (क्षेत्र सं0–200, बक्सर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : 1– आंशिक स्वीकारात्मक ।

2–वस्तुस्थिति यह है कि पर्यटन विभाग के द्वारा बक्सर जिलान्तर्गत निम्न कार्य कराये जा रहे हैं :–

वित्तीय वर्ष 2024–25 में रामरेखा घाट के समीप चिन्हित भूमि पर पर्यटकीय विकास हेतु 1324.26 (तेरह करोड़ चौबीस लाख छब्बीस हजार) लाख रूपये की योजना स्वीकृत की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत एक्सपेरियंस सेन्टर, रेस्टोरेंट तथा सम्पर्क पथ का कार्य कराया जा रहा है ।

ब्रह्मेश्वर स्थान के विकास हेतु 957.91 (नौ करोड़ सन्तावन लाख इकयान्वे हजार) लाख रूपये की योजना से गेट तथा अतिथि गृह का निर्माण कराया जा रहा है ।

विश्वामित्र विहार होटल का जीर्णोद्धार कार्य हेतु 486.34 (चार करोड़ छियासी लाख चौतीस हजार) लाख रूपये की योजना से सिविल वर्क, पी.एच.ई. एण्ड इलेक्ट्रीकल वर्क, फेस्ड वर्क, एयर कंडिशनिंग वर्क तथा कैम्पस का विकास कार्य किया जा रहा है ।

होटल विश्वामित्र विहार के परिसर में बजट होटल का निर्माण हेतु 2458.17 (चौबीस करोड़ अन्ठावन लाख सत्तरह हजार) लाख रूपये की योजना से 55 रूम, उपयुक्त पार्किंग, सेन्टरलाईज एयर कंडिशनिंग, बॉउन्ड्री बॉल, जेनरेटर तथा सी.सी.टी.वी. इत्यादि कार्य किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है ?

श्री आनन्द मिश्र : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ?

श्री आनन्द मिश्र : लेकिन इसके बारे में कहना है कि बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर दिया गया था । हमने प्रश्न में यह रखा था कि इसको पर्यटन सर्किट की, धार्मिक पर्यटन स्थल की बात कर रहे थे, यहां पर होटल बनाने, उसमें ए0सी0 लगाने की बात की जा रही है, चीजों को बड़ा हल्का कर दिया गया है । जबकि मैं एक ऐसे जगह के लिए खड़ा हूं बक्सर के लिए, जिसको सिद्धाश्रम के रूप में जाना गया है और स्कंद पुराण में भी मेंशन है कि–सिद्धाश्रम तीर्थं न भूतं न भविष्यति ।

एक ऐसी जगह के बारे में जब हम बात करते हैं और जब हमारे पास प्रसाद स्कीम जैसी चीजें हैं जो कि 2014–15 से लागू हैं और ऑलरेडी 46 ऐसे स्थल हैं जो कि देश भर में विकसित किए जा सकते हैं जिसमें वाराणसी, मथुरा, केदारनाथ, बद्रीनाथ और तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर हैं, तो बक्सर के बारे में हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते ? एक ऐसी जगह जो वामन अवतार के साथ कहीं जुड़ी हुई है, जो कि श्री राम की शिक्षा स्थली है । हम

अपने भाषणों में हमेशा कहते हैं कि वह श्री राम की शिक्षा स्थली है, लेकिन उसके लिए हम करते क्या हैं, यह जमीन पर नहीं दिख रहा ।

जो सिद्धाश्रम 88000 ऋषियों का क्षेत्र रहा, जहां पर कि एक रामेश्वर मंदिर है, माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं सदन को यह बताना चाहूंगा, रामेश्वर मंदिर, तमिलनाडु में हम सब घूमने जाते हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री आनन्द मिश्र : महोदय, एक मिनट का समय लूंगा । जो पहला रामेश्वर मंदिर इस पूरे विश्व में स्थापना हुई थी, वह बक्सर में हुई थी, जो भगवान राम ने की थी जब विश्वामित्र जी के साथ आए थे और आज वह सिर्फ एक छोटा सा शिव मंदिर के रूप में रह गया है । ब्रह्मेश्वर मंदिर वही पर है । इसके साथ–साथ हम देखें तो अहिल्या धाम है, अंजनी माता की जो कहानी है, अंजनी माता गौतम ऋषि की पुत्री थी जो हनुमान जी की माता थी ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए । सरकार से आग्रह कर लीजिए ।

श्री आनन्द मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बात की गरिमा को समझा जाए कि बक्सर एक सिर्फ शहर नहीं है, बक्सर एक धाम है और इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि गंभीरता से इस बात पर विचार किया जाए । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बक्सर के बारे में बताया है और बक्सर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है । महोदय, इस बात से कहीं इंकार नहीं करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पर्यटन विभाग लगातार वहां काम कर रहा है । वस्तुस्थिति यह है कि उस जिले के अंदर वित्तीय वर्ष 2024–25 में रामरेखा घाट के समीप चिन्हित भूमि पर पर्यटकीय विकास हेतु 1324.26 (तेरह करोड़ चौबीस लाख छब्बीस हजार) लाख रूपये की योजना स्वीकृत की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत एक्सपेरियंस सेन्टर, रेस्टोरेंट तथा सम्पर्क पथ का कार्य कराया जा रहा है ।

ब्रह्मेश्वर स्थान के विकास हेतु 957.91 (नौ करोड़ सन्तावन लाख इकयान्वे हजार) लाख रूपये की योजना से गेट तथा अतिथि गृह का निर्माण कराया जा रहा है ।

विश्वामित्र विहार होटल का जीर्णोद्धार कार्य हेतु 486.34 (चार करोड़ छियासी लाख चौतीस हजार) लाख रूपये की योजना से कराया जा रहा है । सिविल वर्क, पी.एच.ई. एण्ड इलेक्ट्रीकल वर्क, फेस्ड वर्क, एयर कंडिशनिंग वर्क तथा कैम्पस का विकास कार्य किया जा रहा है ।

होटल विश्वामित्र विहार के परिसर में बजट होटल का निर्माण हेतु 2458.17 (चौबीस करोड़ अन्ठावन लाख सत्तरह हजार) लाख रूपये की योजना

से 55 रूम, उपयुक्त पार्किंग, सेन्टरलाईज एयर कंडिशनिंग, बॉउन्ड्री बॉल, जेनरेटर तथा सी.सी.टी.वी. इत्यादि कार्य किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने सुझाव जो दिया है । उसके बारे में भी बता दीजिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि जिस सर्किट की वे बात कर रहे हैं, वह रामायण सर्किट का हिस्सा है और रामायण सर्किट के अंतर्गत ही बक्सर जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पर्यटकीय मूलभूत सुविधाओं का विकास किया गया है । यह पवित्र स्थल है, बक्सर से लेकर सीतामढ़ी पुनौरा धाम, माता सीता की जन्मस्थली, जिसे अयोध्या के तर्ज पर 942 करोड़ की राशि से विकसित किया जा रहा है । रामायण सर्किट के अंतर्गत आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सके, फोरलेन सड़क का निर्माण जिससे कि आने–जाने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा आसानी से हो सके तथा विभाग अन्य रामायण सर्किट के अंतर्गत ही अन्य पर्यटकीय स्थलों पर विकासात्मक कार्य किए गए हैं । जैसे हलेश्वर स्थान है, बीच में अहिल्या स्थान है, इन सारी जगहों पर पर्यटकीय सुविधाओं का विकास हो रहा है, तेज गति से विकास हो रहा है । महोदय, बिहार सरकार की इच्छा है कि यह पर्यटन सर्किट शीघ्र डेवलप करे ताकि देश और दुनिया के पर्यटक बिहार तेजी से आते रहें और पर्यटन विभाग एक उद्योग का दर्जा ले ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी वहां पर साल भर लोग आते हैं । जैसा कि सबको पता है कि भगवान श्री राम को वहां जाकर के दीक्षा मिली थी । क्या गंगा घाट पर लाइट एंड साउंड की व्यवस्था की गई है ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : महोदय, व्यवस्था की जा रही है, वहां काम चल रहा है और एक्सपीरियंस सेंटर भी, लाइट साउंड का एक बड़ा हॉल भी बन रहा है । मैं खुद वहां जाकर देखा हूं, सभी चीजों का निरीक्षण भी किया हूं जिलाधिकारी के साथ जाकर और तेज गति से विकास का काम हो रहा है । चौसा के मैदान में भी विकास का काम हुआ है । धन्यवाद ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे एक बार बक्सर वहां के जनप्रतिनिधि के साथ और मेरे साथ चलें। मैं उनको बताता हूं कि क्या–क्या काम करना पड़ेगा ।

टर्न–5 / हेमन्त / 27.02.2026

अध्यक्ष : जरूर। आप लोग समय ले लीजिएगा। मिथिलेश जी।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष : एक मिनट रूक जाइये। उनको पूरक पूछने दीजिए।

श्री आनंद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, एक प्वाइंट है आपके माध्यम से...

अध्यक्ष : आग्रह कर लीजिए।

श्री आनंद मिश्र : बस एक ही आग्रह है कि बहुत चीजें हम गिना देते हैं, धरातल पर मिल नहीं पाता। प्रसाद स्कीम में रामेश्वर मंदिर को डेवलप करा दीजिए। एक पॉइंट एजेंडा बता रहा हूं, यह हो जाए, उसके तहत बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष : मिथिलेश जी।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल एक सुझाव है। अध्यक्ष महोदय, यह बात तो तय है कि जितना अयोध्या विकसित हो गया, जितना जनकपुर विकसित हो रहा है, मतलब हमारी माता जानकी का जन्म स्थान। कहीं ना कहीं बक्सर पीछे छूट गया है, महोदय।

अध्यक्ष : नहीं छूटेगा।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एक कंप्लीट डीपीआर पर्यटन विभाग बनाए और उसमें पंचकोशी यात्रा को शामिल करिए, उसमें बाबा रामेश्वरनाथ मंदिर को शामिल करिए, उसमें अहिल्या स्थान को शामिल करिए और महोदय, बनारस के बाद सबसे अगर अच्छा घाट है, जिसको और विस्तारित करने, 18 घाट का निर्माण होना है। इसके लिए एक डीपीआर बना कर केंद्र सरकार को भेजा जाए।

अध्यक्ष : जरूर, सरकार बनाएगी।

श्री मिथिलेश तिवारी : धन्यवाद, महोदय।

तारांकित प्रश्न संख्या–2689, श्री राजू तिवारी (क्षेत्र संख्या–14, गोविन्दगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला में सरकारी प्रक्षेत्र में अनुमंडल स्तर पर 06 ए0एन0एम0 स्कूल तथा जिला स्तर पर 01 जी0एन0एम0 स्कूल का संचालन किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय कार्यक्रम के तहत प्रत्येक अनुमंडल स्तर पर 01 ए0एन0एम0 संस्थान, प्रत्येक जिला स्तर पर 01 जी0एन0एम0 संस्थान तथा सभी चिकित्सा महाविद्यालय में बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज के स्थापना का निर्णय लिया गया है।

वर्तमान में प्रखंड स्तर पर सरकारी प्रक्षेत्र में नर्सिंग संस्थानों के स्थापना का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

श्री राजू तिवारी : महोदय, पूछता हूं। उत्तर प्राप्त है। मैंने माननीय मंत्री जी से, अपने विधानसभा गोविंदगंज के पहाड़पुर,

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति।

श्री राजू तिवारी : पहाड़पुर प्रखंड में नर्सिंग कॉलेज खोलने की मांग की थी और उत्तर में अनुमंडल स्तर पर तो हो गया है, मेरे यहां आरेराज में। लेकिन उसमें उत्तर मिला है माननीय मंत्री जी से कि प्रखंड स्तर पर नर्सिंग कॉलेज खोलने का अभी कोई सरकार के पास ऐसा विचाराधीन ही नहीं है। तो हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे और जानना भी चाहेंगे कि क्या मेरे यहां पहाड़पुर प्रखंड में नर्सिंग कॉलेज खोलने की कृपा करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, मैंने बताया कि राज्य में किस प्रकार से जीएनएम और एएनएम की संस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खोली गई हैं और आज राज्य में नर्सिंग की पढ़ाई हो रही है। सरकार की मंशा है कि हमारे राज्य की जो बेटे–बेटियां हैं, उनकी नर्सिंग की पढ़ाई राज्य के अंदर हो और पर्याप्त संस्थान हैं, महोदय। प्रखंड स्तर पर खोलने का आग्रह माननीय सदस्य ने किया है। मैं दिखवा लेता हूं पहाड़पुर प्रखंड में, उसकी कितनी वायबिलिटी है और वायबिलिटी होगी, तो जरूर हम उसका करवाएंगे।

श्री राजू तिवारी : महोदय, धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–2690, श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र संख्या–217, घोसी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/रेफरल अस्पतालों को 30 सय्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में घोसी प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में 30 सय्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कराया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–550(10), दिनांक–11.04.2025 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पूर्व से सृजित पदों को पुनर्गठित करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए पद सृजन किया गया है। चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन की कार्रवाई की जानी है। साथ ही, सात निश्चय–3 (2025–2030) अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने की योजना है।

वर्तमान में गोडसर रेफरल अस्पताल में दो एम०बी०बी०एस० चिकित्सा पदाधिकारी, तीन आयुष चिकित्सक, तीन स्टाफ नर्स तथा एक लैब टेक्नीशियन पदस्थापित हैं, जिनके द्वारा चिकित्सा से संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। साथ ही, उक्त अस्पताल से मात्र तीन (03) किलोमीटर के दूरी पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोसी में स्त्री रोग विशेषज्ञ पदस्थापित है तथा एक्स–रे की सुविधा भी उपलब्ध है।

इस संस्थान में रक्त संग्रह इकाई (Blood Storage Unit) से संबंधित उपकरण उपलब्ध है तथा इसके यथाशीघ्र संचालन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

श्री रितुराज कुमार : माननीय महोदय, मैं उत्तर से संतुष्ट हूं, मगर माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी से इस मामले में मैंने मुलाकात भी की थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जल्द ही दो एमबीबीएस डॉक्टर को वहां पर पदस्थापित किया जाएगा। बस जो ब्लड स्टोरेज यूनिट है, वहां पर उसके लिए टेक्नीशियन जल्द से जल्द अगर करवा दिया जाए।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, ठीक है। हो जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या–2691, श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या–193, बड़हरा)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण एवं हर घर बिजली पहुँचाने के क्रम में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संरचनाओं में उतरोत्तर वृद्धि हुई है। कालांतर में स्थानीय लोगों के द्वारा विद्युत पोल–तार से सटाकर आवासीय भवनों का निर्माण करा लिया गया है। भवनों से सटे विद्युत पोल–तार हटाने की कार्रवाई आवेदन प्राप्त होने पर स्थल निरीक्षण के उपरांत तकनीकी संभाव्यता की उपलब्धता के आधार पर जमा कार्य योजना अंतर्गत लाभुक द्वारा सा०बि०पा०डि०कं०लि० को स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार सुपरविजन की राशि भुगतानोपरांत विद्युत संरचना का स्थानांतरण स्वयं के खर्च पर करने का प्रावधान है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षणोपरांत घनी आबादी एवं रिहायसी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार विद्युत के निम्न विभव सारणी विस्तार को LT AB Cable से तथा 11 के०वी० तारों को Covered conductor से बदलने की कार्रवाई की जाती है।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। यह समस्या अभी पूरे राज्य की समस्या है। ऐसा है कि बहुत से घरों के ऊपर से, अगल–बगल से विद्युत का तार प्रभावित होता है, जिससे लोगों के जीवन का खतरा बना रहता है। सरकार ने उत्तर में बताया है कि आवेदन प्राप्त होने पर सुपरविजन की राशि जमा करने के पश्चात् उसे हटाया जाएगा। सरकार से हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि जो लोग सुपरविजन की राशि देने के लायक नहीं हैं या अधिकांश जगहों पर मकान बनने के बाद भी बिजली विभाग ने वहां पर अपना लाइन खींच दिया है, तो क्या सरकार उन स्थानों पर या जो लोग जमा करने की स्थिति में नहीं हैं, उनके घरों से यह विद्युत तार हटाने का विचार रखती है या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर में, उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि हर घर बिजली लगने के बाद लोगों ने घर बनाने का काम किया है। जहां पहले से घर बना हुआ था, वहां ऊपर में नहीं गया....

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : नहीं, नहीं।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : लगता है कि हम एम0एल0ए0 नहीं हैं। हमारे कॉन्स्टिटेंसी में बिजली नहीं लगी है ?

अध्यक्ष : उनकी बात सुन लीजिए।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : लेकिन अगर वह हटाना चाहते हैं, टेक्निकल वायबिलिटी होगी, तभी तो होगा। नहीं तो पैसा जमा करिए, टेक्निकल वायबिलिटी देखा जाएगा। अभी कोई विचार नहीं है।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह राशि बहुत ज्यादा होती है, जो उपभोक्ता हैं वह देने की स्थिति में नहीं हैं। राज्य सरकार कहती है कि हम खजाना खोल के बैठे हैं। खजाना खोल के बैठे हैं, तो यह एक छोटी सी बात के लिए कि जिनके घरों के ऊपर से बिजली का तार जा रहा है, इसको हटाने के लिए सरकार को खर्च करने में क्या परेशानी है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य लिख कर दे दें कि घर बना हुआ था, तब बिजली गई। उसकी जांच हम करवायेंगे।

अध्यक्ष : मुरारी मोहन झा जी।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय,...

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरा क्वेश्चन है...

अध्यक्ष : जी। मुरारी मोहन जी, आप बैठ जाइये। इनका होने दीजिए, उसके बाद।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, यह बहुत बड़ी समस्या है।

अध्यक्ष : आप बैठिये। आपको मौका देंगे।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, अभी जो प्रश्न हमने रखा है, यह बड़ा गंभीर प्रश्न है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाए और मैं आपसे ज्यादा उम्मीद रखता हूं, विश्वास रखता हूं कि जो प्रश्न उठाए जाते हैं और जिनके बारे में सरकार का कोई उत्तर होता है सदन में, तो वह गंभीर तरीके से उत्तर होना चाहिए। कैशलेस का मामला हमने उठाया। आपने स्वयं कहा कि एक सप्ताह में सब कुछ निर्णय इसका ले लिया जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए थे। उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, इसको हम लागू करेंगे। तो बताया जाए, लागू होने की क्या स्थिति है? तो यह भी प्रश्न उसी स्थिति में टाल दिया जाए, यह तो कोई सेंस की बात नहीं होगी। इस पर सरकार गंभीरता से विचार करे।

अध्यक्ष : शालिनी जी।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी है इसमें और सरकार बहुत संवेदनशील है। जैसे कि बिजली बिल में उन्होंने इंटरेस्ट माफ

किया। यहां भी सबसिडाइज्ड रेट में शिफ्ट करने के लिए दें और बिलो पॉवर्टी लाइन पर जो लोग हैं, उनको तो माफ ही करना चाहिए और बाकी लोगों को सबसिडाइज्ड रेट में देना चाहिए। यही मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कुछ उस पर करें।

अध्यक्ष : मुरारी मोहन झा जी, बोलिये।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, जिसके छत पर से 11 हजार वोल्ट गुजर रहा है। सरकार अपने स्तर से उसका खर्चा वहन करे। पब्लिक क्यों करेगी ? यह कभी बहुत बड़ी घटना घट जाएगी महोदय। हम लोग के क्षेत्र में कम से कम 15–20 जगह में यह मामला है, महोदय।

श्री नागेन्द्र चन्द्रवंशी : मेरे क्षेत्र की कल की घटना है। 11 हजार वॉल्ट का तार नीचे रहने के चलते गाड़ी में आग लग गई। इसके पहले भी 8–10 दिन पहले लगी थी और बार–बार कहने के बाद अधिकारी इसको नहीं निपटाते हैं। तो, यह जनहित में एकदम ज्वलंत मुद्दा है सर, इसको करना चाहिए।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, हमारे समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड में, हमारे कॉन्स्टिटेंसी में महादलित टोला है और वर्षों–वर्षों से है, महोदय। सैकड़ों वर्षों से ऊपर वहां का इतिहास है, और वहां तार गुजर रहा है। हम लोग लगातार उसके लिए कवर के लिए ए0सी0 को भी कहे, सदन के अंदर भी सवाल लाए। मतलब, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के सुझाव पर सरकार समीक्षा करेगी और कार्रवाई भी करेगी। माननीय सदस्य लिखकर दे दें।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, एक बात, प्लीज। सर, बात सदन में आ गयी है।

अध्यक्ष : आप लिखकर दे दीजिए।

श्री अखतरूल ईमान : सर, बात सदन में आ गयी है।

अध्यक्ष : कृपया, बैठ जाएं।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राज्य की समस्या है। इस पर अपना निर्णय दिया जाए, सरकार को निर्देशित किया जाए।

अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों के...

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : नहीं, नहीं, यह नहीं होगा।

अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में सरकार समीक्षा करेगी, समीक्षा उपरांत कार्रवाई करेगी।

श्री संजय कुमार सिंह।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर कई माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये)

आसन से निर्देश हो चुका है माननीय मंत्री जी को। सभी माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में सरकार समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई करेगी।

(व्यवधान जारी)

श्री संजय कुमार सिंह। श्री देवेशकान्त सिंह।

बैठ जाइए, बैठिये। झा जी, बैठिये। सब बैठिये। आग्रह है सब बैठ जाइये। हमने आसन से कहा है कि...

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, आपने कहा था कि एक सप्ताह में अपने चैंबर में बैठक बुलाएंगे, तो हुजूर इसके बारे में बताएं।

अध्यक्ष : बिल्कुल, होली के बाद।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : क्या इसके लिए भी एक बैठक बुलाई जाएगी ?

अध्यक्ष : होली के बाद।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : क्या मतलब है? नहीं, बिलकुल सीधी बात है, सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए।

अध्यक्ष : होली के बाद अपने कक्ष में बैठक बुलाकर स्वास्थ्य वाले विषय पर और ऊर्जा वाले विषय पर विचार किया जाएगा।

श्री संजय कुमार सिंह।

(व्यवधान)

संजय जी पूछ लीजिए।

श्री साम्रीद वर्मा : महोदय, हमारे क्षेत्र में...

अध्यक्ष : बैठिये। झा जी, बैठिये। सारी बात आ गयी है।

श्री साम्रीद वर्मा : रोड के बीचों–बीच...

अध्यक्ष : आसन से निर्देश माननीय मंत्री जी को हो गया है। समीक्षा करके इसका निदान करायेंगे।

श्री साम्रीद वर्मा : एक पोल है महोदय, हमारे क्षेत्र में, रोड के बीचों–बीच एक पोल है, इसे हटाने के लिए भी पैसे मांगे जा रहे हैं।

अध्यक्ष : साम्रीद वर्मा जी, बैठिये। प्लीज, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री अजीत कुमार : महोदय, इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। विभाग इस पर नीतिगत निर्णय ले।

अध्यक्ष : बैठ जाइये। निश्चित तौर पर।

टर्न–6 / संगीता / 27.02.2026

तारांकित प्रश्न संख्या–2692, श्री संजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या–76, सिमरी बख्तियारपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिला के सलखुआ प्रखण्ड के स्वास्थ्य उपकेन्द्र–सह–हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, साम्हरखूर्द के भवन निर्माण की स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त निर्माण एजेन्सी (BMSICL) द्वारा निविदा निष्पादित करते हुए कार्यादेश निर्गत किया गया है । किन्तु सिविल सर्जन, सहरसा के पत्रांक–474, दिनांक–19.02.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र–सह–हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, साम्हरखूर्द के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि (मौजा–साम्हर, थाना सं०–330, खाता सं०–76, खेसरा सं०–1115, रकवा–8.733 डी०) अतिक्रमित है, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराकर अनापत्ति दिये जाने का अनुरोध अंचलाधिकारी, सलखुआ से किया गया है ।

साथ ही विभागीय पत्रांक–513(10) दिनांक–24.02.2026 द्वारा भी समाहर्त्ता, सहरसा से अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है न ।

श्री संजय कुमार सिंह : जी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री संजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिल गया है, इसमें मेरा यह कहना है कि मैंने प्रश्न पूछा था कि सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा के सलखुआ प्रखंड के साम्हरखूर्द पंचायत में एक स्वास्थ्य उप केन्द्र की स्वीकृति बहुत दिन पहले ही हुई थी, उत्तर में लिखा गया है कि सारी स्वीकृति हो गयी है, निविदा भी हो गई है लेकिन अभी तक निर्माण कार्य नहीं हो पाया है । एक्चुअली वहां पर...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संजय कुमार सिंह : यह भूमि विगत 2–3 साल से अतिक्रमित है और स्थानीय सी0ओ0 या जो भी पदाधिकारी हैं, वे उसको खाली नहीं करवा पा रहे हैं...

अध्यक्ष : संजय जी बैठ जाइए । माननीय मंत्री जी ।

श्री सजंय कुमार सिंह : इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि कोई ऐसा आदेश दिया जाए कि वह खाली हो जाए और जब मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद फिर लेटर लिखा गया है खाली करने के लिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, विभाग की मंशा बहुत साफ है कि हम वहां पर अस्पताल बनाना चाहते हैं और इसीलिए बी0एम0एस0आई0सी0एल0 ने निविदा भी निकाला और 10.05.2025 को कार्यादेश भी निर्गत किया है । पिछले साल मई में कार्यादेश निर्गत होने के बाद जब निर्माण करने वाली एजेंसी वहां गई तो वहां पर विषय अतिक्रमण का आया और स्वाभाविक रूप से जब अतिक्रमण का विषय आ गया तो मामला सी0ओ0 के पास गया । अभी माननीय सदस्य ने जब यह विषय लाया है तो उसके पूर्व भी वहां के सिविल

सर्जन ने इस बात की जानकारी विभाग को उपलब्ध करायी थी और विभाग ने फिर जिला समाहर्ता से आग्रह किया है कि उस भूमि पर जहां अतिक्रमण है, उसको अतिक्रमणमुक्त शीघ्रतिशीघ्र कराया जाए तो जितना काम स्वास्थ्य विभाग को करना है उतना काम कर दिए हैं, टेंडर कर दिए, वर्क ऑर्डर दे दिए, पैसा आया उसके लिए रख दिए, अब क्रियान्वयन तो जमीन पर होना है तो जिलाधिकारी से आग्रह किए हैं क्योंकि अंतिम अधिकारी तो जिला के वही होते हैं जमीन संबंधी, तो उनसे आग्रह किया गया है कि इसको अतिक्रमण मुक्त कराइए ।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : संजय जी, सारी बात आ गई ।

श्री संजय कुमार सिंह : उस जमीन पर जिन्होंने कब्जा किए हुए हैं, अतिक्रमित किए हुए हैं, जब वहां के लोकल जनप्रतिनिधि उसका विरोध किए तो उसकी हत्या भी हो गई थी, इसीलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि यह बहुत सेंसेटिव मैटर है और वह एरिया लगभग 4–5 पंचायत का है, बाढ़ पीड़ित एरिया है, उसको स्पेशली दिखवाया जाए और जब तक आप नहीं लगियेगा तब तक नहीं होगा ।

अध्यक्ष : श्री देवेशकान्त सिंह ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, मैं आज ही जिलाधिकारी से दूरभाष पर स्वयं बात कर लूंगा ।

अध्यक्ष : श्री देवेशकान्त सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2693, श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र संख्या–111, गोरेयाकोठी)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिला के बसंतपुर प्रखंड में 30 शय्या का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है । उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित 09 चिकित्सक (03 विशेषज्ञ चिकित्सक, 04 एम0बी0बी0एस0, 01 दन्त एवं 01 आयुष चिकित्सक), 05 जी0एन0एम0, 02 प्रयोगशाला प्रावैधिकी सहित अन्य कर्मियों द्वारा आमजनों तथा सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को आकस्मिक उपचार की सेवा उपलब्ध करायी जा रही है । इसके अतिरिक्त लगभग 20 कि0मी0 की दूरी पर अनुमंडलीय अस्पताल, महाराजगंज एवं लगभग 35 कि0मी0 की दूरी पर सदर अस्पताल, सिवान संचालित है ।

साथ ही सात निश्चय–3 के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने की योजना है ।

उक्त के आलोक में प्रश्न में वर्णित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसंतपुर को ट्रामा सेन्टर के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री देवेशकान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री देवेशकान्त सिंह : लेकिन माननीय मंत्री जी भी उसी जिले के हैं, उसी अनुमंडल के रहने वाले हैं और अब नया रोड बन गया है, छपरा होकर नहीं तो रोज उसी अस्पताल के सामने से हम सबों का आना–जाना रहता है । उनका जो उत्तर है, वह संतोषजनक है लेकिन स्वयं उन्होंने लिखा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना है लेकिन ट्रामा सेन्टर विचाराधीन नहीं है । मेरा उनसे आग्रह है, आज हमलोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और गौरव की बात है कि अयोध्या धाम से मां जानकी को जाने वाली राम जानकी पथ वहीं से गुजरती है, जहां इनका भी घर है और हमारा भी घर है और एक और सड़क है, जो मोहम्मदपुर से छपरा जाती है...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री देवेशकान्त सिंह : दोनों नेशनल हाईवे के बीच में, इस फोर क्रॉसिंग के बीच में वह एक बड़ा अस्पताल व्यवस्थित है...

अध्यक्ष : आप चाहते क्या हैं ?

श्री देवेशकान्त सिंह : मेरा आग्रह है माननीय मंत्री जी से, भौगोलिक रूप से वे समझते हैं तो उनका कहना है कि अनुमंडलीय अस्पताल, महाराजगंज है लेकिन भौगोलिक रूप से...

अध्यक्ष : अच्छा प्रस्ताव है ।

(व्यवधान)

शांति, शांति ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, देवेश जी कम से कम तीन दफा बोल चुके हैं कि हमारा घर, इनका घर अगल–बगल है, हम दोनों आदमी उसी के सामने से गुजरते हैं । तो महोदय, इनका घर उनका घर अगल–बगल है, बीच में अस्पताल है तो यह प्रश्न पूछने का और हल करने का जगह पटना काहे चुन रहे हैं ?

श्री देवेशकान्त सिंह : माननीय मंत्री जी मैं इनको इस प्रश्न के माध्यम से इनका मामला व्यक्तिगत बनाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ट्रामा सेन्टर की बात इसलिए, चूंकि राम जानकी पथ बड़ी योजना है और वह चौराहे पर...

अध्यक्ष : आप आग्रह कर लीजिए, देवेश बाबू आग्रह कर लीजिए ।

श्री देवेशकान्त सिंह : मेरा आग्रह है कि माननीय मंत्री जी इसको अपने विचार में लाएं और इसको विचार के रूप में आग्रह करता हूं कि इसको अपने स्तर से इस पर

जरूर विचार करें और विचाराधीन से हटकर उसपर विचार किया जाए कि वह बने, आग्रह यही है महोदय ।

अध्यक्ष : श्री जनक सिंह ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : माननीय सदस्य की भावना के आलोक में उनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए उनसे बातचीत करके मैं अग्रेतर विभाग के साथ चर्चा करूंगा ।

अध्यक्ष : श्री जनक सिंह ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–2694, श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या–116, तरैया)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित क्षेत्र नारायणी नदी का दियारा वाला क्षेत्र है, जो वर्षा ऋतु एवं बाढ़ की स्थिति में नदी के जल से जलमग्न रहता है । इस क्षेत्र में स्थायी आबादी भी नहीं है तथा इन क्षेत्रों में केवल मौसमी कृषि का कार्य सीमित अवधि के लिए ही की जाती है ।

प्रत्येक वर्ष जलजमाव एवं बाढ़ होने की स्थिति में अप्रत्याशित रूप से मिट्टी का कटाव होने के कारण विद्युत संरचना का निर्माण करना एवं विद्युत आपूर्ति बहाल रखना तकनीकी दृष्टिकोण से व्यवहार्य नहीं है ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब आया हुआ है लेकिन नेगेटिव है, पोजीटिव नहीं । मेरे कहने का मतलब है कि मेरे तरैया विधान सभा जो है, उसके किनारे पर 2 ब्लॉक है, पानापुर और तरैया, 12 किलोमीटर जो दियारा क्षेत्र में है उसका बहुत बड़ा भू–भाग दियारा क्षेत्र में गया हुआ है, वहीं पर मैंने बिजली के पोल के लिए माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था तो इसका जवाब आया है, विभाग ने दिया है कि वहां संभव नहीं है, कटाव होता है । दुनिया कहां से कहां जा रही है, अगर बाढ़ का समय है तो हम क्यों नहीं, उसको उस समय लाइन काट दें, चूंकि बहुत बड़ा भू–भाग है । इसलिए आपसे कहूंगा, मंत्री जी से भी आग्रह है कि उसकी जांच करा लें क्योंकि इस तरह का जवाब आया है, स्थल पर जाकर नहीं देखा गया है, ऐसे में मैं आग्रह करता हूं इस विषय में भी जानना चाहता हूं चूंकि जवाब मिला है कि चूंकि जलजमाव एवं बाढ़ होने की स्थिति में अप्रत्याशित रूप से मिट्टी का कटाव होने के कारण...

अध्यक्ष : आपने आग्रह कर दिया है, अब जवाब सुन लीजिए जनक बाबू ।

श्री जनक सिंह : सर, 20 वर्ष से बहुत बड़ा भू–भाग में खेती हो रही है, दलहन की हो रही है, तिलहन की हो रही है, गेहूं की हो रही है और धान की भी हो रही है इसलिए आपसे आग्रह करता हूं...

अध्यक्ष : आग्रह कर दीजिए ।

श्री जनक सिंह : आग्रह करता हूं कि हम मंत्री जी से हमको जवाब दिला दें कि इस भू–भाग पर बिजली के विद्युतीकरण का काम होगा कि नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं इनके जिले का प्रभारी मंत्री हूं, इनके साथ जाकर देखकर निराकरण करा दूंगा ।

अध्यक्ष : श्रीमती गायत्री देवी ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2695, श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या–25, परिहार)
(लिखित उत्तर)

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से विभागीय पत्रांक–745, दिनांक–24.02.2026 द्वारा उक्त स्थल को पर्यटकीय दृष्टिकोण से मूलभूत सुविधाओं के विकास के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् समीक्षोपरान्त शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है माननीय मंत्री जी से जो उसका उत्तर प्राप्त हुआ है, वह हमको समझा दें कि उत्तर में क्या है तथा इस भवन का सौंदर्यीकरण कब तक करा लिया जाएगा तथा शौचालय, पेयजल की व्यवस्था कब तक करा दी जाएगी ? एक तो तिथि बताने की कृपा करेंगे और वहां पर मंत्री जी से मैं कहना चाहती हूं कि हमारे परिहार विधान सभा में कई ऐसा मठ है, जहां लाखों लोग जाते हैं, जलाभिषेक करने और...

अध्यक्ष : समय कम है, और भी मेम्बरों का भी है, आप आग्रह कर लीजिए ।

श्रीमती गायत्री देवी : उनका भी सौंदर्यीकरण करा दें...

अध्यक्ष : आप आग्रह कर लीजिए ।

श्रीमती गायत्री देवी : मैं आग्रह करती हूं मंत्री जी से कि चलकर परिहार विधान सभा में देख लें मठ–मंदिर का, और हमलोग ये कहते हैं मठ मंदिर पर सुविधा होनी चाहिए, हमारे यहां मठ–मंदिर के पास कोई शौचालय नहीं है कोई सुविधा नहीं है इसीलिए मैं मंत्री जी से मैं आग्रह करती हूं कि वहां सुविधा देने का काम करें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से विभागीय पत्रांक–745, दिनांक–24.02.2026 द्वारा उक्त स्थल को पर्यटकीय दृष्टिकोण से मूलभूत सुविधाओं के विकास के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् समीक्षोपरान्त शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : श्रीमती कोमल सिंह ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, समय सीमा तो बता दिया जाए ।

अध्यक्ष : प्रतिवेदन आ आएगा । प्रतिवेदन आते ही कार्रवाई की जाएगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2696, श्रीमती कोमल सिंह (क्षेत्र संख्या–88, गायघाट)
(लिखित उत्तर)

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराने तथा मूलभूत सुविधाओं के संबंध में विभागीय पत्रांक–722 दिनांक–20–02–2026 द्वारा विहित प्रपत्र में विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गयी है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई शीघ्र की जायेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है न ?

श्रीमती कोमल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जी उत्तर प्राप्त है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्रीमती कोमल सिंह : मेरा प्रश्न था कि कटरा प्रखंड में माँ चामुंडा स्थान और बंद्रा प्रखंड में बाबा खगेश्वरनाथ मंदिर को पर्यटन स्थल में...

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए माननीय सदस्या ।

श्रीमती कोमल सिंह : विकसित करने के संबंध में प्रश्न था मेरा, उत्तर मिला है कि जिला पदाधिकारी जी से डिटेल रिपोर्ट मंगाया गया है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कब तक, कोई समयसीमा इसके लिए निर्धारित कर दिया जाए क्योंकि लगातार सालों से इस चीज के लिए प्रश्न उठाया जा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : महोदय, बिहार राज्य के धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक क्षेत्र इत्यादि जहां देशी–विदेशी पर्यटकों का आगमन होता रहता है, वह पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होता है । पर्यटन विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से पर्यटकीय दृष्टिकोण से मूलभूत सुविधाओं के विकास के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन यथा– पर्यटकों की संख्या, भूमि की विवरणी, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य के साथ प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : व्यक्तिगत रूचि लेकर डी0एम0 से आप बात करके, मंगवा करके आगे कार्रवाई कीजिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : जी बिल्कुल ।

टर्न–7 / यानपति / 27.02.2026

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं । अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–27 फरवरी, 2026 के लिए माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान, स0वि0स0 से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । आज दिनांक–27 फरवरी, 2026 को सदन में गैर सरकारी संकल्प निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम–19(1) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, आखिरी दिन है, पढ़ लेने दीजिए ।

अध्यक्ष : पढ़िएगा, आगे मत बढ़िएगा ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मछली, मुर्गा एवं मांस की दुकानों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता से गरीब फुटपाथ विक्रेताओं पर भय का माहौल बना हुआ है । लाइसेंस की अनिवार्यता से गरीब मल्लाह, मुर्गा एवं मांस के विक्रेताओं के रोजगार प्रभावित होंगे और उनको आजीविका की समस्या भी उत्पन्न होगी । इस व्यवसाय में अधिकांश दलित एवं कमजोर वर्ग के लोग हैं ।

अतः मैं मछली, मुर्गा एवं मांस के फुटपाथ विक्रेताओं के हित में, लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए, कार्यस्थगन की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे । माननीय सदस्या, श्रीमती शालिनी मिश्रा ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, एक बात, आखिरी दिन है, होली का मौका है ।

अध्यक्ष : आगे मत बढ़िए । रूक जाइये, बैठ जाइये ।

श्री अखतरूल ईमान : इस विषय पर नहीं सर ।

अध्यक्ष : वह अलग से, मौका देंगे आपको । शालिनी मिश्रा जी ।

<u>शून्यकाल</u>

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के मेरे विधान सभा क्षेत्र केसरिया अंतर्गत प्रखंड कल्याणपुर के दिलावरपुर, संग्रामपुर के भवानीपुर एवं केसरिया बौद्ध स्तूप स्थित पोखरों के सौंदर्यीकरण, चारों तरफ से छठ घाट एवं सुंदर पार्क निर्माण की मांग सरकार से करती हूं ।

श्रीमती बिनिता मेहता : अध्यक्ष महोदय, बरेव से गोविंदपुर सड़क एन0एच0–20 से एस0एच0–103 में जोड़ती है । इस रोड से झारखंड की दूरी कम है और बड़ी गाड़ियों के गुजरने से रोड काफी जर्जर अवस्था में होने के कारण काफी दुर्घटना होती है । मांग करती हूं कि इस रोड को नए तरीके से स्टेट हाईवे बनाया जाय ।

श्री राधाचरण साह : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला, बड़हरा प्रखंड अंतर्गत बिन्दगांवा ग्राम के पास गंगा, सोन एवं सरयू नदी का संगम स्थल सिर्फ नदियों का मिलन नहीं है बल्कि आस्था और मोक्ष की सदियों पुरानी विरासत भी है । अतः मैं इस स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग करता हूं ।

श्रीमती श्वेता गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मिसिंग लिंक सड़क एस0एच0–54 ढाका–बेलवा घाट शिवहर मार्ग में देवापुर से सिंगाही तक 3.4 कि0मी0 का मिसिंग लिंक भू–अर्जन के अभाव में वर्षों से लंबित है । वर्षा में सड़क बंद हो जाती है, जिससे आवागमन बाधित रहता है । यह मार्ग शिवहर व ढाका अनुमंडल को जोड़ता है, शीघ्र निर्माण कराया जाय ।

श्री राम चन्द्र सदा : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला अंतर्गत अलौली विधान सभा क्षेत्र के आनंदपुर मारन पंचायत में वरियाही से लेकर कित्ता सुखाशन पुलाघाट तक यह कच्ची सड़क है जिसके कारण यहां के लोगों को खासकर बरसात के दिनों में बिल्कुल आवागमन बाधित हो जाता है । अतः सरकार से उक्त सड़क को पक्की सड़क बनाने की मांग ।

श्री नागेन्द्र चंद्रवंशी : अध्यक्ष महोदय, आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि सुधार हेतु लोगों को पटना जीपीओ जाना पड़ता है, जिससे आमजन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । बिहार के प्रत्येक जिले और प्रत्येक प्रखंड में आधार निर्माण और सुधार की समुचित हो, स्थायी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री भीषम प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलांतर्गत 'सारण नहर प्रमंडल' के हथुआ शाखा नहर 90 आरडी से 183 आरडी तक बनी सिंगल कालीकरण सड़क चार विधान सभा को जोड़ती है । इससे काफी संख्या में लोगों का आवागमन होता है । अतः मैं सदन के माध्यम से उक्त सड़क की चौड़ीकरण की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अरूण कुमार ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री संजय कुमार पाण्डेय । श्री नीरज कुमार सिंह । पाण्डेय जी हैं, पढ़िए । बब्लू बाबू, एक मिनट, पाण्डेय जी हैं । श्री संजय कुमार पाण्डेय जी, पढ़िए अपना जीरो आवर । तैयार रहा कीजिए, नहीं तो पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा ।

श्री संजय कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज विधान सभा क्षेत्र के वार्ड–3 स्थित कटहरी की अनुसूचित जाति बस्ती में जल निकासी के अभाव में वर्षा का पानी जमा रहता है जिससे लगभग 30–35 परिवार प्रभावित हैं । यहां लगभग एक कि0मी0 नाला निर्माण आवश्यक है । मैं सदन के माध्यम से अविलंब कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री नीरज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य के माध्यमिक विद्यालयों हेतु घोषित 26,000 कंप्यूटर शिक्षक पद अब तक टी0आर0ई0–4 भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किए गए हैं । पद सृजन की घोषणा के बावजूद अधिसूचना जारी नहीं होना युवाओं में असंतोष उत्पन्न कर रहा है । सरकार से स्पष्ट समय–सीमा घोषित कर शीघ्र बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग करता हूं ।

श्रीमती ज्योति देवी : अध्यक्ष महोदय, गयाजी जिला अंतर्गत प्रखंड–बाराचट्टी, पंचायत–रोही के ग्राम–दरवार में किसान प्रशिक्षण केंद्र निर्माण हुआ है । भवन टूटने–फूटने लगा है । भवन निर्माण कार्य में गुणवत्ता की घोर अनदेखी की गयी है । अतः समुचित जांच कर पदाधिकारी, संवेदक के खिलाफ कार्रवाई हेतु शून्यकाल की सूचना देती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रजनीश जी, सूचना स्पष्ट हो, अभी मौका दे रहे हैं, आगे से ध्यान रखिएगा।

श्री रजनीश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बरौनी डेयरी के द्वारा अपशिष्ट जल को पिपरा में उपजाऊ भूमि पर अनियंत्रित रूप से बहाने से स्थानीय किसानों का लगभग 100 एकड़ कृषि योग्य भूमि बंजर हो रहा है तथा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है ।

अतः जनहित में इस समस्या के स्थायी निदान की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरगनिया में सफाई कार्य लगभग अवरुद्ध है जबकि सरकार 87,000 रुपये भुगतान करती है । क्षेत्रीय निदेशक द्वारा 30 प्रतिशत कटौती के आदेश के अवहेलना कर पूरी राशि का भुगतान प्रभारी एवं प्रधान लिपिक की सहभागिता दर्शाता है सरकार मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री कौशल कुमार ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री पप्पु कुमार वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अरवल जिले के कुर्था विधान सभा अंतर्गत पुनपुन नदी किनारे बसे चुल्हनबीघा, भगवतीपुर, अनुआ, कनैया जैसे दर्जनों गांव जो नदी के कटाव के कारण समाप्त हो रहे हैं । इसलिए नदी किनारे बसे गांव में रीटेनिंग वाल के निर्माण की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री कृष्णनंदन पासवान । कृष्णनंदन जी, पढ़िए । कहां रखते हैं ध्यान ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत हरसिद्धि उन्नीस पंचायतों का प्रखंड है । दस पंचायतों से प्रखंड मुख्यालय की दूरी बीस कि0मी0 है, मध्य में गायघाट प्रखंड बनने की तमाम शर्तें पूरी करती हैं । जनहित में गायघाट को प्रखंड बनाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री मनोज विश्वास : अध्यक्ष महोदय, फारबिसगंज, अररिया जिला का हृदय स्थल है । यहां मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने से नरपतगंज, रानीगंज, सिकटी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों की लाखों जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी । आपातकाल में पटना जाने की मजबूरी खत्म होगी, रोजगार बढ़ेगा और पूरा क्षेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में सशक्त बनेगा ।

टर्न–8 / मुकुल / 27.02.2026

श्री प्रमोद कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलांतर्गत मदनपुर प्रखंड के मुंशी बिगहा एवं सिरोंधा ग्राम स्थित विद्यालयों का भवन नहीं होने के कारण दोनों गांवों के छात्र–छात्राओं को पढ़ने हेतु 2 किलोमीटर दूर बादम गांव जाना पड़ता है, उक्त दोनों विद्यालय के भवन का निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री सुरेंद्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड ठकराहा में बड़ी संख्या में पशुपालक निवास करते हैं किंतु सरकारी स्तर पर दुध क्रय की कोई व्यवस्था नहीं है । मैं सदन के माध्यम से सरकार से सुधा डेयरी क्रय केन्द्र खोलने की मांग करता हूं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, कटिहार नगर के शहीद चौक स्थित कर्पूरी मार्केट के निकट बस स्टैंड की खाली जमीन एवं जर्जर यात्री प्रतीक्षा गृह के स्थान पर मार्केट काम्प्लेक्स वाहन पार्किंग एवं अन्य नागरिक सुविधाओं का जनहित में सरकार निर्माण करवाये ।

श्री रंजन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल प्रशासनिक निगरानी के अभाव में मुजफ्फरपुर नगर में प्रभावी नहीं है । मानकविहीन पाइपलाइन और सड़कों की बेतरतीब खुदाई के कारण आते–जाते वाहनों से अक्सर ही पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे दूषित जल मिल रहा है ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नीति–2023 के तहत सभी राज्यों में विद्यालय संचालन का मानक समय सुबह 10 से 4 बजे तक निर्धारित है, जबकि बिहार में सुबह 9.30 से 04 बजे तक है । मैं सरकार से बिहार में विद्यालय का समय सुबह 10 से 4 करने की मांग करता हूं ।

श्री राहुल कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला अंतर्गत डुमरांव नगर पालिका के खिरौली वार्ड में एन0एच0–120 लेफ्टओवर सेक्शन पर दोनों ओर नाला निर्माण नहीं होने से लगभग 100 एकड़ खेती योग्य भूमि जलमग्न है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के बंद पड़े चकिया एवं मोतिहारी चीनी मिल को कृषकहित में चालू करने हेतु सरकार ने निर्णय लिया है । शीघ्र अगले पेराई सत्र तक चीनी मिल चालू करने तथा किसानों को गन्ना उत्पादन से आर्थिक समृद्धि के लिए सरकार से मांग करता हूं ।

श्री रोहित पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक राष्ट्र, एक कर की भावना के अनुरूप कर व्यवस्था को सरल व न्यायसंगत बनाया जाना आवश्यक है । बिहार में जी0एस0टी0 पंजीकृत व्यापारियों पर प्रोफेशनल टैक्स व ट्रेड लाइसेंस शुल्क का प्रावधान पुनर्विचार योग्य है । सरकार से अनुरोध है कि प्रोफेशनल टैक्स जी0एस0टी0 में समाहित कर एकीकृत कर प्रणाली लागू करे ।

श्रीमती सावित्री देवी : अध्यक्ष महोदय, जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखण्ड के अजय नदी के योगियाटिलहा घाट पर बौंगी के किल्ली नदी पर एवं मेघनी नदी पर पुल निर्माण करने की मांग सरकार से करती हूं ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, झंझारपुर नगर परिषद् में जलजमाव के स्थायी निदान हेतु बुडको, पटना द्वारा दिनांक–27.09.2025 को समर्पित स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज कार्य योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर ट्रकों से अवैध वसूली के कारण सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है । गोपालगंज एस0पी0 ने लगभग 200 लोगों पर मुकदमा भी किया है । सरकार लम्बे समय से चल रहे अवैध वसूली के जिम्मेवार डी0टी0ओ0 गोपालगंज सहित अन्य की भूमिका की जांच कराये ।

श्री मनोज कुमार : अध्यक्ष महोदय, जे0पी0 आंदोलन में वैसे लोग जो भूमिगत रहकर आंदोलन में सक्रिय थे, वैसे लोगों को पहचान कर उन्हें जे0पी0 सेनानी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत सम्मानित करते हुए पेंशन का लाभ देने हेतु सरकार से इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं ।

श्री जिवेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के जाले प्रखंड अंतर्गत गौतम कुण्ड स्थान एवं मौनी बाबा स्थान, लगनमा धाम खिरोई नदी तट पर अवस्थित है । बाढ़ के समय जलभराव व कटाव से मंदिर परिसर प्रभावित होता है । जनहित में श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु फ्लड फाइटिंग एवं सुरक्षात्मक कार्य कराया जाए ।

श्री रितुराज कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलांतर्गत सभी प्रखंडों में बकाश्त भूमि पर दीर्घकाल से काबिज रैयतों के अभिलेख संशोधन, दाखिल–खारित, परिमार्जन, स्वामित्व मान्यता एवं लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निष्पादन हेतु बाध्यकारी निर्देश जारी करने की जरूरत है । अतः इस संबंध में सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी और ध्यानाकर्ष के उपरांत समय बचने पर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएंगी ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री उपेन्द्र प्रसाद, विनय कुमार चौधरी एवं अन्य आठ सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री उपेन्द्र प्रसाद आपकी सूचना पढ़ी गयी है । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन0आई0ओ0एस0) क्षेत्रीय केन्द्र, पटना के प्रतिवेदन के अनुसार बिहार राज्य में ग्रामीण चिकित्सक नहीं बल्कि कुल 36,203 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हेल्थ वर्कर) के रूप में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया है । ये बुनियादी चिकित्सकीय सुविधा प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि वे अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी थे, जिन्हें स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–484(12), दिनांक–08.06.2014 के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत एन0आई0ओ0एस0 के माध्यम से ''जन स्वास्थ्य'' में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया ।

स्वास्थ्य विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक–399(12), दिनांक–26.05.2015 के द्वारा राज्य में सभी के लिए स्वास्थ्य (Health for all) कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जनता को प्रभावी, सक्षम एवं सुलभ स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण सहयोग हेतु बहुउद्देशीय सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए एन0आई0ओ0एस0 द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत 'सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र' (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) हेतु राज्य के सभी 38 जिलों में कार्यरत 149 एफ0आर0यू0(First Referal Unit) तथा 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHCs) में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना कर प्रशिक्षण दिया गया ।

एन0आई0ओ0एस0 से प्रशिक्षण प्राप्त बहुउद्देशीय सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग लेने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत विशाल और उदार हृदय के हैं, लेकिन जवाब इनका कुछ थोड़ा प्रतिकूल आया है महोदय । मैं उसी ग्रामीण चिकित्सक के ही बारे में कह रहा हूं और आपने तो खुद ग्रामीण चिकित्सकों की भूरि–भूरि प्रशंसा किया है महोदय, दिनांक–10.09.2024 के अखबार में मैं देखा हूं और ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में इन्होंने इतनी भूरि–भूरि प्रशंसा की और इन्होंने इतना तक कबूल किया और स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण चिकित्सकों को कोरोना काल में चिकित्सा करने की छूट भी दी थी, उनको मौका भी दिया था महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आग्रह कर लीजिए ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : और ग्रामीण चिकित्सक के ही कारण कोरोना पर हमलोग विजय भी पाये थे महोदय, सरकारी डॉक्टर तो उसको छूने से डरते थे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : ग्रामीण चिकित्सक ही उनका ईलाज कर–कर के बहुत बचाने का काम किया महोदय और आपने तो खुद कबूल किया है, भले उसका टेक्नीकल नाम कुछ और दिया है ग्रामीण चिकित्सक ही थे ।

अध्यक्ष : उपेन्द्र बाबू, पूरी दुनिया को पता है, सीधे पूरक प्रश्न पूछिए समय कम है ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : आपने 50 हजार के करीब उनलोगों को प्रशिक्षित भी किया है तो हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वृद्धजन हैं, असहाय लोग हैं उनकी चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए कुछ विशेष ग्रामीण चिकित्सकों में से ही जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको समायोजन करने की बात कही है महोदय तो मैं माननीय मंत्री जी से जवाब चाहता हूं ।

टर्न–09 / सुरज / 27.02.2026

अध्यक्ष : विनय बाबू पूछ लीजिये । एक मिनट में बोलिये ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, हम एक लाइन बोलेंगे । अभी उपेन्द्र बाबू ने कहा कि मंत्री जी बहुत विशाल ह्रदय के हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाईड । आप कहते हैं कि करूंगा तो जल्दी कर दीजिये न । बस इतना ही मेरा आग्रह है ।

अध्यक्ष : श्री बीरेन्द्र कुमार अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री बीरेन्द्र कुमार, सुश्री मैथिली ठाकुर एवं अन्य सोलह सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (गृह विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के कई प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्तराखंड, गुजरात सहित अन्य प्रदेशों में विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 (संशोधित 2024) के अंतर्गत धर्म परिवर्तन के विरूद्ध कड़े कानून लागू है । धोखाधड़ी, बल–विवाह, प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के विरूद्ध इस कानून के अंतर्गत 01–10 या 20 वर्षों तक सजा का प्रावधान है और यह सभी अपराध गैर जमानती हैं । इस कानून का उपयोग मुख्य रूप से विवाह के बहाने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिये किया जा रहा है । धर्मांतरण के कारण बिहार में मुसलमानों और ईसाई की जनसंख्या में असामान्य वृद्धि हुई है । बिहार में 5000 से अधिक चर्च की स्थापना हो चुकी है । ईसाईयों को राष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ रेट 15.52 प्रतिशत है वहीं बिहार में 143.23 फीसदी है । इसी प्रकार सीमावर्ती कई जिलों के क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । बिहार राज्य के अंतर्गत सभी जिलों में विवाह के बहाने धर्मांतरण, बल–विवाह, प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन, ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक धर्म गुरूओं द्वारा धड़ल्ले से कराया जा रहा है ।

इसके कारण सर्वाधिक SC/ST/EBC/OBC एवं सामान्य वर्गों की युवतियां ज्यादा शिकार हो रही हैं ।

अतः उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य 11 राज्यों के तर्ज पर बाल–विवाह, प्रलोभन, जबरन धर्मांतरण को रोकने एवं कड़े कानून बनाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में धर्मांतरण रोकने के संबंध में कानून बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया जवाब तो सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

संजय जी बैठिये, जवाब सुनना चाहिये ।

(व्यवधान)

बैठिये पहले, प्लीज बैठ जाइये । डिबेट नहीं होगा, जिनका नाम है वही बोलेंगे ।

(व्यवधान)

परमिशन देंगे तो बोलियेगा, बैठिये । बोलिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : महोदय, हमने बता दिया कि इस संदर्भ में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है सरकार के समक्ष ।

अध्यक्ष : संजय जी संक्षेप में पूछ लीजिये ।

श्री संजय कुमार सिंह : महोदय...

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : संजय जी बैठ जाइये । आप पूछ लीजिये ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : महोदय, धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 में सबसे कड़े प्रावधान हैं । मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के पुराने कानून को स्थापित किया है...

अध्यक्ष : आप आग्रह कर लीजिये ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कड़े कानून लागू हैं, उस कानून को बिहार में भी श्रीमान लागू किया जाए ।

अध्यक्ष : संजय जी, संक्षेप में ।

श्री संजय कुमार सिंह : महोदय, यह धर्मांतरण केवल धर्मांतरण नहीं है, यह राष्ट्रांतरण है, विचार परविर्तन है और पूरे सीमायी इलाकों में आप देखेंगे पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, सीतामढ़ी हो, मधुबनी हो, सुपौल हो...

अध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री संजय कुमार सिंह : कटिहार, किशनगंज और अररिया । ये सभी हमारे अंतराष्ट्रीय जिले हैं, जो लगते हैं अंतराष्ट्रीय सीमाओं से । इन्हीं सीमाओं पर अधिकाधिक

धर्मांतरण कराये जा रहे हैं और ये राष्ट्रांतरण का एक जिहादी जो प्रक्रिया है वह चलाया जा रहा है...

अध्यक्ष : श्री जिवेश कुमार ।

श्री संजय कुमार सिंह : 73 प्रतिशत...

अध्यक्ष : बैठिये, भाषण नहीं । सुझाव दीजिये, सुझाव ।

श्री जिवेश कुमार : हां महोदय ।

अध्यक्ष : भाषण नहीं, सुझाव दीजिये ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, यह भारत का संविधान है और भारत के संविधान में बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से अनुच्छेद–25 में अंतःकरण की और धर्म की आबाध रूप से मानने की चर्चा की है । जब एक बार हम किसी धर्म में पैदा हुये हैं तो उस धर्म को बदलने की इजाजत भारत का यह प्रतिष्ठित संविधान नहीं देता है । दूसरी बात...

(व्यवधान)

महोदय, दूसरी बात इस देश में मुझे जाति बदलने की इजाजत नहीं है...

अध्यक्ष : संक्षेप में, पूरक ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, संक्षेप में पूरक पर ही आ रहे हैं । आपका संरक्षण चाहता हूं । महोदय, इस देश में हमको जाति बदलने की इजाजत नहीं है तो धर्म कैसे बदल लेंगे और मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि अगर हम जाति नहीं बदल सकते हैं तो धर्म कैसे बदल लेंगे और मेरा दूसरा सवाल है कि धर्म बदलने के बाद आरक्षण का लाभ कैसे ले लेते हैं ? एक उदाहरण देता हूं अभी–अभी हमारे क्षेत्र का मामला है, यह लवजिहाद का मामला है । यादव समाज की जो नाबालिग लड़की है, उसको मोहम्मद सितारे दो बच्चे का बाप है बहला–फुसलाकर लेकर भाग हुआ है । अनुच्छेद–28 स्पष्ट इस पर कड़ी सजा का वकालत करती है भारत का संविधान । मैं इस पर खड़ा हूं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अनिल जी । बैठिये आप । अनिल जी बोलिये ।

श्री जिवेश कुमार : अगर कड़ा कानून नहीं आयेगा तो इस प्रकार की घटनाएं इस देश में घटती रहेगी । कड़े कानून...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइये । अनिल जी बोलिये ।

(व्यवधान)

हम देंगे मौका । अनिल जी बोलिये संक्षेप में ।

श्री अनिल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी जानना चाहता हूं इन्होंने कहा कि कोई प्रस्ताव नहीं है । महोदय, इस तरह के कानून देश के अन्य राज्य में हैं । हमलोगों ने यही प्रस्ताव लाया है कि बिहार में भी इस तरह की घटनाएं व्यापक पैमाने पर घटित हो रही हैं जिसके कारण आज यहां ईसाईयों

का जो राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्रोथ रेट है, 15.52 है लेकिन बिहार में 143.23 है । हमलोग जैसे दक्षिणी भाग में भी बिहार के...

अध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री अनिल सिंह : ईसाई धर्मावलंबियों ने जाकर एस0सी0/एस0टी0 गांव में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं । तो हमलोगों ने इसी के लिये तो लाया है प्रस्ताव कि यह प्रस्ताव सरकार संज्ञान में ले, इसको स्वीकार करे और कड़े कानून एक साल से दस साल और दस से बीस साल तक का ऐसे कारनामे करने वालों के विरूद्ध सख्त कानून बनाये और उस पर प्रावधान करे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य के सुझाव के आलोक में सरकार इसकी समीक्षा करे और निश्चित आगे कार्रवाई करे । श्री सुनील कुमार जी अपनी सूचना को पढ़ें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में सरकार निश्चित तौर पर समीक्षा करेगी और आगे जरूरत पड़ने पर कानून बनाने का काम करेगी । श्री सुनील कुमार ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : सुनील जी पढ़िये आप ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह जनहित से जुड़ा हुआ ध्यानाकर्षण सूचना है..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हमने नियमन दे दिया । आसन ने डायरेक्शन दे दिया है कि माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में सरकार समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ा तो कानून बनाने का काम करेगी ।

(व्यवधान)

सुनील जी पढ़िये । शांति, शांति ।

(व्यवधान)

शांति, शांति । विषय खत्म हो गया । आलोक जी प्लीज आग्रह है । पढ़िये ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह जनहित से जुड़ा हुआ ध्यानाकर्षण...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : संजय जी बैठिये ।

(व्यवधान)

पढ़िये आप ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह जनहित से जुड़ा हुआ ध्यानाकर्षण सूचना है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब नियमन हो गया । जिवेश जी बैठिये । आसन का नियमन हो गया ।

(व्यवधान)

प्लीज कोई चर्चा मत करिये, बैठिये ।

(व्यवधान)

देखिये, ऐसा मत करिये, जिवेश जी । बैठिये आपलोग ।

(व्यवधान)

तारकिशोर जी, आलोक जी बैठिये । संजय जी बैठिये ।

(व्यवधान)

जिवेश जी बैठिये । तारकिशोर जी, जनक जी बैठिये ।

(व्यवधान)

ऐसा मत कीजिये, आपको मौका दिये, बैठिये । बैठिये पहले, बैठिये । कोई खड़े नहीं रहेंगे ।

(व्यवधान)

जिवेश जी सुन लीजिये, बैठिये, गलत बात । जनक जी बैठिये ।

(व्यवधान)

हमने आसन से नियमन दे दिया है । कोई चर्चा नहीं होगी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य पढ़िये आप ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये आप । आसन से नियमन हो गया है बैठ जाइये । पढ़िये ।

टर्न–10 / धिरेन्द्र / 27.02.2026

(व्यवधान)

डॉ॰ सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह जनहित से जुड़ा हुआ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मननीय सदस्य, पढ़िये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, शांति–शांति । बैठिये, बिना अनुमति के खड़े मत होइये, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

आसन से नियमन हमने दे दिया है । माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में सरकार समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ेगा तो कानून बनाया जायेगा ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, पढ़िये ।

डॉ॰ सुनील कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जनहित से जुड़ा हुआ ध्यानाकर्षण सूचना है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पढ़िये ।

डॉ॰ सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, लाखों की संख्या में बिहार में उपस्थित प्रजापति (कुम्हार) समाज के जीवनस्तर को उठाने के लिए अभी तक बिहार सरकार के द्वारा कोई ऐसा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले सुनिये न । माननीय सदस्य, शांति बनाइये, हमको चिंता है आपके सुझाव, अभी 12.30 बज गया है, अभी होने दीजिये ।

डॉ॰ सुनील कुमार एवं श्री सियाराम सिंह, स॰वि॰स॰ से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

डॉ॰ सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह जनहित से जुड़ा हुआ ध्यानाकर्षण सूचना है । लाखों की संख्या में बिहार में उपस्थित प्रजापति समाज, कुम्हार समाज के जीवन स्तर को उठाने के लिए अभी तक प्रयास नहीं किया गया है । इसी पर हमने ध्यानाकर्षण सूचना लाया है ।

बिहार में प्रजापति (कुम्हार) जाति की बड़ी आबादी मिट्टी के बने मूर्ति एवं बर्तन आदि उद्योग से जुड़े हैं । देश के विभिन्न राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में प्रजापति (कुम्हार) जाति के कल्याण के लिए माटीकला बोर्ड का गठन किया गया है, जो प्रजापति (कुम्हार) जाति के विकास के लिए कार्य करता है ।

अतः राज्य के लाखों प्रजापति (कुम्हार) जाति के परिवारों के चहुँमुखी विकास के लिए बिहार में भी माटीकला बोर्ड के गठन करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग । माननीय सदस्य, बैठ जाइये, जवाब सुन लीजिये । समय कम है ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डॉ॰ सुनील कुमार जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण मामले में ध्यानाकर्षण लाया गया है और बिहार में जो प्रजापति (कुम्हार) जाति की बड़ी आबादी मिट्टी के बने मूर्ति एवं बर्तन आदि के उद्योग से जुड़े हुए हैं और इन प्रजापति (कुम्हार) जाति के कल्याण के लिए माटी कला बोर्ड का गठन करने के लिए और प्रजापति (कुम्हार) जाति के विकास के लिए इनकी चिंता है ।

महोदय, राज्य सरकार बिहार में निवास करने वाले प्रजापति (कुम्हार) जाति के साथ–साथ कुंभकारी व्यवसाय एवं माटी कला से जुड़े कर्मकारों के कल्याण की दिशा में कल्याण एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है । उद्योग विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना द्वारा हस्तशिल्प में अन्य कलाओं के साथ माटी कला (टेराकोटा एवं सेरामिक कला) में भी निःशुल्क छमाही प्रशिक्षण एवं मासिक

छात्रवृति के साथ राज्य के अन्य माटी कला के शिल्पियों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराता है । माटी कला से संबंधित शिल्पियों को मेला एवं प्रदर्शनियों में निःशुल्क बिक्री केन्द्र (स्टॉल) भी उपलब्ध कराया जाता है और इसके लिए प्रति मेला इन्हें 5000/– रुपया प्रति शिल्पी यात्रा व्यय के रूप में भुगतान भी किया जाता है। अभी जो व्यवस्था है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ । मौलागंज, दरभंगा में टेराकोटा हेतु वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के IDPH (Integrated Development & Promotion of Handicrafts) योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है, जिसे जीविका के माध्यम से संचालित किया जा रहा है । बिहार....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने आग्रह किया है कि राज्य में लगभग 28 लाख कुम्हार जाति के लोग हैं, उनके हित को ध्यान में रखते हुए माटी कला बोर्ड की स्थापना के संबंध में आग्रह किये हैं । हम भी चाहेंगे कि निश्चित सरकार समीक्षा कर और विचार कर भविष्य में माटी कला बोर्ड का गठन कराने की कृपा करे । अब शेष शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(व्यवधान)

सभा से निर्देशित हो गया ।

डॉ॰ सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रजापति समाज के लोगों को 10 लाख रुपये की न्यूनतम ब्याज में कैश दें और 25 परसेंट सब्सिडी दें । यही मैं सरकार से डिमांड करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शेष शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है। सदन की सहमति से इन्हें लिखित उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया जायेगा ।

शेष शून्यकाल पढ़ा हुआ माना गया

श्रीमती निशा सिंह : प्राणपुर विधान सभा के सभी पावर हाउस से गर्मी एवं बरसात में होने वाले सभी फॉल्ट का तुरंत समाधान कर बिजली आपूर्ति करने तथा उपभोक्ताओं के फोन का जवाब नहीं देने वाले संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग मैं सरकार से करती हूं।

श्री शंकर प्रसाद : मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत पारू प्रखंड में मलाहीचौक से रघुनाथपुर होते हुए शंकरचौक तक जाने वाली मुख्य सड़क अत्यंत जर्जर स्थिति में है सड़क पर बड़े–बड़े गड्ढे होने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है जनहित में इस सड़क का अविलंब जीर्णोद्धार कराए जाने की सरकार से मांग करता हूं।

श्री बशिष्ठ सिंह : रोहतास जिला अंतर्गत प्रखंड कोचस में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र परसथुआ एवं पशु चिकित्सालय परसथुआ भवनहीन होने के कारण रोगियों को इलाज करने में समस्या हो रही है। अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र एवं पशु चिकित्सालय परसथुआ का भवन निर्माण कराने की मांग करता हूँ।

श्री राज कुमार : समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर विधान सभा, जिला मुख्यालय से लगभग 75 से 80 किलोमीटर की दुरी पर अवस्थित है भौगोलिक दृष्टिकोण से सुदूर देहात के लोगों को जिला मुख्यालय आने में काफी परेशानी होती है।

अतः जनहित में हसनपुर को जिला बनाने की मांग सरकार से करता हूं।

श्री देवेशकान्त सिंह : सिवान के गोरेयाकोठी प्रखंड स्थित हेयातपुर (सानीबसतपुर) का प्राचीन जंगली बाबा शिव मंदिर ऐतिहासिक आस्था का केंद्र है जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं जन–आस्था के इस गौरव को सजाने हेतु सरकार से इसके सर्वांगीण विकास एवं इसे राजकीय पर्यटन मानचित्र पर अंकित करने की मांग करता हूं।

श्री मुरारी मोहन झा : केवटी विधान सभा के सार्वजनिक स्थलों पर अधिष्ठापित हाई मास्क लाइट का बिजली बिल भुगतान नहीं होने के कारण कनेक्शन वियोजित किया जा रहा है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा का संकट उत्पन्न हो गया हैं, सदन के माध्यम से अविलंब बिल भुगतान करने की मांग करता हूं।

श्री राहुल कुमार : जहानाबाद के अरवल मोड़ पर 250 करोड़ की एलिवेटेड फ्लाईओवर योजना, जिसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हुआ, भूमि मूल्यांकन के कारण लंबित हैं। सरकार समयसीमा तय कर शीघ्र निर्माण सुनिश्चित करें।

श्री इन्द्रदेव सिंह : सिवान जिलांतर्गत प्रखंड मुख्यालय बड़हरिया बाजार में कोई बाईपास सड़क नहीं होने से हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे व्यवसायी, आमजनों एवं छात्रों को काफी परेशानी होती है। अतः मैं सदन के माध्यम से बड़हरिया बाईपास सड़क बनाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।

श्री विमल राजवंशी : रजौली विधान सभा क्षेत्र के अधिकोश +2 विद्यालयों में भवन का अभाव है, जिससे पठन–पाठन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है, सरकार शीघ्र भवन निर्माण हेतु विशेष योजना बनाकर राशि आवंटित कर कार्य प्रारंभ करेगी।

श्रीमती अनीता : नवादा जिलान्तर्गत प्रखण्ड काशीचक के ग्राम बौरीए भट्टाए बिरनामा एवं प्रखण्ड, पकरीबरावां के पड़रियाए बेलखुण्डाए जसतए बड़ी गुलनीए मठगुलनीए दत्तरौलए मडवाए हसनगंजए राईश जम्हरिया तथा प्रखण्ड, वारिसलीगंज के बाघीए दोसुतए रहमगंजए नवाजगढ़ए जमुआवंए मसुदा के कब्रिस्तानों की घेराबन्दी नही हुयी है।

अतः उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी करवाने की मांग करती हूं।

श्रीमती संगीता देवी : मैं सरकार का ध्यान 65 बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र की आशा फैसिलिटेटर एवं आशा कर्मियों की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं उनका मानदेय पिछले छह माह से लंबित है जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं मानदेय भुगतान कराने की मांग करती हूं।

श्री शुभानंद मुकेश : भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला प्रखंड के सिलहन खजुरिया पंचायत स्थित महादेव स्थान में शारदीय नवरात्र के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित दस

दिवसीय मेला आस्था और क्षेत्रीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र है । अतः प्रमंडल स्तरीय राजकीय मेला घोषित करने की माँग करता हूँ ।

श्री मुरारी पासवान : भागलपुर के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत ओरियप पंचायत के ग्राम–काशडीह मध्य विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक 760 छात्र नामांकित है। विद्यालय में मात्र 6 कमरे है जो छात्र संख्या के अनुपात में अपर्याप्त है। अतः मैं सरकार से 4 अतिरिक्त कमरों के निर्माण की मांग करता हूँ।

श्री गौतम कृष्ण : महिषी विधान सभा क्षेत्र का 16 पंचायत कोसी नदी के बीच पेट में है। 2–3 माह बाद कोसी नदी में बाढ़ का जलस्तर बढ़ने लगेगा, जिससे कटाव एवं क्षति का खतरा बना रहता है। अतः कटाव निरोधक कार्य अविलंब कराया जाए, ताकि क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

श्री राकेश रंजन : बक्सर जिलान्तर्गत ब्रह्मपुर प्रखण्ड के गायघाट में जिलाधिकारी बक्सर, के निर्देश पर शिवजी मल्लाह को सदस्य बनाने के निर्देश के बाद भी प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति सदस्य नही बनाया गया, सहित 520 मछुवारे उक्त समिति से वंचित है, समिति का संचालन उपविधि के विरूद्ध है। सरकार जांच करावे।

श्रीमती छोटी कुमारी : भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी भाषा को वैश्विक पहचान दिलाई भारतरत्न देने हेतु बिहार सरकार पहल करे साथ ही भोजपुरी में अश्लील जातिसूचक गानों व गायकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करती हूं।

श्री विनय कुमार : सारण जिला के सोनपुर प्रखंड के सबलपुर पूर्वी सबलपुर पश्चमी, सबलपुर उत्तरी, सबलपुर मध्यवर्ती, नजरमिरा, शाहपुर दियारा और गंगाजल ये सभी सात पंचायत प्रत्येक वर्ष गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने पर कटाव के कारण मकान गंगा में समाहित हो जाता है जनहित में कटाव को रोकने के लिए रिंग बांध के निर्माण कराए।

श्री सरवर आलम : कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत हिम्मतनगर पंचायत के बालानगर और फुलवारी के बीच कनकई नदी पर पुल नहीं होने से छात्र 10 किमी0 चक्कर लगाने को मजबूर है। नदी पार करते समय कई बच्चों की डूबने से मृत्यु हो चुकी है जनहित में यहां जल्द पुल निर्माण की मांग करता हूं।

श्री कुंदन कुमार : बेगूसराय में एन.एच.–31 के मुख्य संपर्क पथ तिलरथ रैक पॉइंट, हरपुर ढाला, रेलवे गुमटी–53AT एवं लाखों–कुश्महौत मार्ग, रेलवे गुमटी–42 **BT** पर जाम की भयावह स्थिति रहती है अतः जनहित में उक्त दोनों रेलवे ढालाओं पर फ्लाईओवर (ROB) निर्माण यथाशीघ्र कराने हेतु, मैं सरकार से मांग करता हूं।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : डेहरी अंतर्गत गोड़ेला पहाड़ स्थित बाबा तिलेश्वर महादेव धाम पर श्रद्धालुओं की बडी संख्या में आवाजाही होती है वहां सुगम मार्ग, शुद्ध पेयजल एवं शेड जैसी मूलभूत सुविधाओं एवं सुरक्षा हेतु आधारभूत सुविधाएं शीघ्र कराने की मांग मैं सरकार से करता हूं।

श्री सुभाष सिंह : गोपालगंज में समाज कल्याण विभाग के वात्सल्य योजना अंतर्गत कार्यान्वित स्पोंसरशिप योजना में 270 आवेदकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है जबकि आवेदकों की संख्या प्रतिवर्ष 1000 है। लक्ष्य के अभाव में सभी आवेदक इस लाभ से वंचित है। सरकार पूर्व निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाकर सभी वंचित आवेदकों को इसका लाभ दे।

श्री नागेन्द्र राउत : सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सुरसंड विधानसभा के प्रखंड सुरसंड ग्राम जमुनिया के प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर होने से बड़े हादसे का कारण बन सकता है। अतः नए प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : तांती ततवा पान को SC का दर्जा दें।

श्री आनन्द मिश्र : बक्सर की सुप्रसिद्ध त्रेतायुगीन महत्ता वाली पंचकोसी परिक्रमा के समापन पर उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए, मैं सरकार से इसे राजकीय मेला का दर्जा देने की मांग करता हूं।

श्री भरत बिन्द : कैमूर जिलांतर्गत भभुआ प्रखंड के ग्राम भेकास महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज से भभुआ अष्टभुजी मंदिर तक कच्ची सड़क रहने के कारण दर्जनों गांवों के लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। उक्त सड़क को पक्कीकरण कराने की मांग सरकार से करता हूं।

श्री मंजीत कुमार : गोपालगंज जिला के मेरे बरौली विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनबरसा के साथ बिहार के कक्षा 11वीं के सत्र 2025–26 के हजारों विद्यार्थियों का OFSS पोर्टल पर नामांकन नहीं दिखने से उनका पंजीयन नहीं हो रहा है अतएव OFSS पोर्टल पर उनके नामांकन की मांग सरकार से करता हूं।

श्री कुमार शैलेन्द्र : भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के मड़वा ग्राम में बाबा ब्रजलेश्वर धाम अवस्थित है जहां हजारों भक्तगण प्रतिदिन पूजा पाठ करने आते है। अतः मैं सरकार से बाबा ब्रजलेश्वर धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग करता हूं।

श्री राम चन्द्र प्रसाद : दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किसानों को नई तकनीक एवं प्रशिक्षण के अभाव में किसानों को भारी मात्रा में फसल क्षति होता है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से हायाघाट विधान सभा क्षेत्र में कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापना कराने की मांग करता हूं।

श्री उदय कुमार : शेरघाटी विधान सभा में भूजलस्तर काफी नीचे जाने से पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है। अतः प्रत्येक वार्ड में चापाकल उपलब्धता बंद नल जल को चालू कराते हुए टूटे पाईप लाइन की मरम्मती एवं उच्च क्षमता की जलमीनार स्थापित कर जलापूर्ति कराने की मांग करता हूं।

श्रीमती शीला कुमारी : फुलपरास विधान सभा 39 में मधेपुर प्रखंड अंतर्गत कोसी नदी के किनारे बसीपटटी या भगता 10 किमी0 दूर भेजा थाना में है जो सुपौल और मधुबनी का बॉर्डर भी है मैं बसीपटटी या भगता में पुलिस थाना निर्माण करने की सरकार से मांग करती हूं।

श्री रोमित कुमार : तपोवन में मलमास मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं अतः मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि राजगीर की तर्ज पर चिकित्सा सुविधा एवं पर्याप्त शौचालय जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं शीघ्र सुनिश्चित की जाए।

श्री आलोक कुमार सिंह : रोहतास जिला अंतर्गत दिनारा विधान सभा क्षेत्र के राज राजेश्वरी हाई स्कूल सूर्यपुरा में फील्ड, ब्लॉक एवं सूर्यपुरा गांव में जल जमाव हमेशा रहता है, गांव का करीब 20 हजार जनसंख्या है अतिशीघ्र जनहित में दोनो तरफ आरसीसी नाला निर्माण करा कर पानी निकासी की मांग करता हूं।

श्री सियाराम सिंह : पटना जिला के बाढ़ नगर स्थित उमानाथ मंदिर परिसर में माघ महीने के पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेले को सरकारी स्तर पर उमानाथ महोत्सव के रूप में मनाने की मांग सरकार से करता हूं।

श्रीमती गायत्री देवी : सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत भीसवा ग्राम में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चहारदिवारी नहीं रहने के कारण मरीजों को कठिनाई होती है।

अतः भीसवा ग्राम में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चहारदीवारी निर्माण करने की मांग सरकार से करती हूं।

श्री रणविजय साहू : रोहतास जिला निवासी धनजी साह के नाबालिग पुत्री महिमा कुमारी गांव के कोचिंग में पढ़ाई करती थी दिनांक 22.02.2026 को कोचिंग संचालक के द्वारा अश्लील छेड़खानी किया गया । जिसका कोचस थाना कांड संख्या 49/26 है। शिक्षक को स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाने की मांग सरकार से करता हूं।

श्री अभिषेक रंजन : संजय गांधी जैविक उद्यान में स्थित सफेद बंगाल टाइगर की हालत अत्यंत चिंताजनक है। हालिया वायरल वीडियो से स्पष्ट है कि उसे समुचित भोजन व देखभाल नही मिल रही । राष्ट्रीय पशु की ऐसी दशा राजधानी के लिए शर्मनाक है। सरकार तत्काल क्या कदम उठाएगी ?

श्री जनक सिंह : सारण जिलान्तर्गत तरैंया विधान सभा के सलेमपुर वितरणी, शामकौड़ियो उप–वितरणी, अगौथर लघु–नहर, जयथर जलवाहा, सढ़वारा लघु–नहर, छपियां, लघु–नहर, रसौली लघु–नहर, धनौती लघु–नहर, घोबवल उप–वितरणी, डेवली लघु–नहर, फरीदपुरा (धेनुकी) लघु–नहर का अनुचित प्रबंधन के कारण कृषि कार्य कभी इसकी उपयोगिता नहीं रही है। सरकार इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करावे।

श्रीमती अश्वमेध देवी : समस्तीपुर नगर निगम के सभी वार्डों में अभी तक पूर्ण रूप से स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। कई जगहों पर अंधेरा रहने से लोगों को रात में

आवागमन में परेशानी होती है। अतः सरकार से सभी वार्डों में जल्द लाइट व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग करती हूं।

श्री कलाधर प्रसाद मंडल : पूर्णिया जिला के रूपाली प्रखंड में गेदूहा से लाठी जाने वाली पथ में कारी कोशी के बसुलिया घाट पर R.C.C पुल नहीं रहने से आवागमन में काफी कठिनाई होती है। अतः सरकार के माध्यम से बसुलिया घाट पर पुल निर्माण की मांग करता हूं।

श्री बाबुलाल शौर्य : ऐसे बच्चे जिनकी माता–पिता या कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने के बाद मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की राशि कुछ परिवार को ही दिया जाता है मैं सरकार से मांग करता हूं । इस तरह के घटित सभी परिवार के बच्चों को लाभ दिया जाए।

श्री गुलाम सरवर : पूर्णिया जिला बायसी विधान सभा में उर्वरकों का बड़े पैमाने पर कालाबाजारी होता है । थोक विक्रेता द्वारा खुदरा विक्रेताओं को खाद के साथ अन्य उर्वरक दिया है 266 का यूरिया 400, 1300 का डीएपी 1700 में किसान लेने पर विवश है । किसानों को सरकारी दरों पर खाद उपलब्ध कराया जाय ।

श्री संजय कुमार सिंह : सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा अंतर्गत विशनपुर, बाघोड़, बेलवारा, उदारही (बेलडाबर), सामरखुर्द, दहघाट में भीषण कटाव हो रहा है, जिससे सैकड़ों घर नदी में विलीन हो गया है उन जगहों पर प्रतिवर्ष होने वाले कटाव से जीवन त्रस्त है। सरकार से जनहित में यहां स्थायी कटाव निरोधक उपाय की मांग करता हूं।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : बिहार में भेड़ पालकों एवं बुनकरों के विकास एवं सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए बुनकर आयोग के गठन की सरकार से मांग करता हूं एवं भेडों के दुर्घटना में मौत होने पर आर्थिक मुआवजा देने की भी सरकार से मांग करता हूं।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत कुढ़नी प्रखंड में सरकारी आईटीआई कॉलेज नहीं रहने से प्रतिभावान बच्चों को दूसरे जगह पढ़ने जाना पड़ता है जिससे काफी कठिनाई होती है अतः सरकार से मैं कुढ़नी प्रखंड में सरकारी आईटीआई कॉलेज खोलने का मांग करता हूं।

सुश्री मैथिली ठाकुर : दरभंगा जिलांतर्गत अलीनगर विधानसभा के तारडीह प्रखंड में कुरसों मूसहरी टोला से जयदेवपट्टी संस्कृत उच्च विद्यालय तक सड़क निर्माण कार्य मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत विगत दस वर्षो से लंबित है। अतः मै सरकार से जनहित में उक्त कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराने की मांग करती हूं।

श्रीमती देवंती यादव : अररिया में स्वैच्छिक सेवानिवृति के उपरान्त अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त 32 चौकीदारों की नियुक्ति को तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा 12.12.

2024 के प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। अतः मैं सदन के माध्यम से पुनः योगदान करवाने की सरकार से मांग करती हूं।

श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम : अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड के चौकता ग्राम पंचायत में चौकता गांव के निकट बकरा नदी द्वारा कटाव किया जा रहा है अतः उक्त गांव के निकट कटाव निरोधक कार्य की मांग करता हूं।

श्री रूहेल रंजन : इस्लामपुर सहित पूरे बिहार में अभी अधिकतर बोरिंग और चापाकल लगभग 150 फीट ही खोदे जाते हैं, जो पानी की कमी के कारण फेल जो जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सभी नए बोरिंग और चापाकल कम से कम 250 फीट की गहराई तक खुदवाए जाए।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 532 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–11/पुलकित/27.02.2026

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब गैर सरकारी संकल्प लिए जाएँगे। आज माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी को कुछ आवश्यक कार्यक्रम में भाग लेना है ।

अतः सदन की सहमति से मैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्पों को पहले ले रहा हूँ और माननीय उद्योग मंत्री श्री दिलीप कुमार जायसवाल जी ने अनुरोध किया है, माननीय मंत्री काउन्सिल में हैं । उनसे संबंधित संकल्प बाद में लिये जायेंगे । फिर यह क्रमवार चलेगा ।

माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह । आप ही का नंबर आ गया । आपने भगवान श्री राम का नाम लिया और आप ही का गैर सरकारी संकल्प पहले आ गया ।

<u>गैर सरकारी संकल्प</u>

<u>क्रमांक–14 : श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, स०वि०स०</u>

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मटिहानी विधान सभा सहित पूरे बिहार में महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग परिवार के भूमिहीन शादीसुदा परिवार को 05 डिसमिल जमीन वास हेतु उपलब्ध करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, उल्लेखनीय है कि वर्तमान में सरकार द्वारा सभी जिलों में अभियान बसेरा–2 कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है । जिसके अंतर्गत सुयोग्य श्रेणी यथा महादलित, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग 1 और 2 के वास भूमि विहीन परिवारों को सर्वेक्षित कर वास हेतु 5 डिसमिल सरकारी भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कुल 1,38,554 परिवारों को सर्वेक्षित किया गया । इनमें से वास भूमि हेतु सुयोग्य पाए गए अब तक कुल 70,333 वास भूमि परिवारों को वास भूमि उपलब्ध करा दी गई है । शेष सर्वेक्षित परिवारों को वास भूमि आवंटित करने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है ।

उक्त अभियान बसेरा–2 कार्यक्रम के तहत सुयोग्य श्रेणी में सामान्य वर्ग को शामिल किए जाने के कारण सामान्य वर्ग के भूमिहीनों को वास हेतु भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी गाल बजा रहे हैं। लोहिया स्वच्छता अभियान का नारा दे रहे हैं । स्वच्छ बिहार, स्वस्थ बिहार । लेकिन संपूर्ण बिहार में गंदगी का अंबार है । हमारा सिर्फ आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है जो क्षेत्र में शादीशुदा जितने भी लड़के हैं, उनका सर्वे कराकर पांच डिसमिल जमीन जरूर उपलब्ध कराई जाए । कागज पर सरकार बहुत मीठा–मीठा स्लोगन दे रही है, लेकिन जमीन की सच्चाई यह है कि आप एक पंचायत का सिर्फ सर्वे करेंगे तो 50 प्रतिशत परिवार में शादीशुदा लड़के के पास एक डिसमिल जमीन उपलब्ध नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : अध्यक्ष जी, मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं । सरकार जवाब देने के लिए खड़ी हुई है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : पर्टिकुलर आप बता देंगे, हम देख लेंगे । माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–25 : श्री चन्द्र शेखर, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक–67 : श्री साम्रीद वर्मा, स०वि०स०</u>
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक–102 : श्री गोपाल कुमार अग्रवाल, स०वि०स०</u>
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक–114 : श्रीमती शीला कुमारी, स०वि०स०</u>

श्रीमती शीला कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखण्ड में 20 पंचायत है, मधेपुर प्रखण्ड एवं भेजा पंचायत, नगर पंचायत बनने की सभी अर्हता पूरा करता है, सरकार मधेपुर एवं भेजा को नगर पंचायत बनावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–2095, दिनांक 22.07.2025 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी से नए निकाय का गठन एवं पुराने नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । साथ ही विभागीय पत्रांक–3392, दिनांक 09.01.2025 द्वारा स्मारित किया गया ।

उक्त आलोक में राज्य सरकार को मधेपुरा प्रखंड एवं भेजा पंचायत के नगर पंचायत बनाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । महोदय, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 3 के प्रावधान अनुसार 12,000 से अधिक किंतु 40,000 से अनधिक तथा सभी दशाओं में दीर्घकालीन, अल्पकालीन काश्तकार कर्मियों, कृषि कर्मियों की कुल जनसंख्या उस क्षेत्र की कुल कर्मियों की जनसंख्या का 50 प्रतिशत से कम होने पर नगर पंचायत के गठन का प्रावधान है ।

साथ ही धारा 3(1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा पृथक शर्तें अवधारित करते हुए किसी पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थान, पर्यटक स्थल या मंडी को नगरपालिका क्षेत्र के रूप में गठित कर सकेंगे का प्रावधान है । उक्त प्रावधान अनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या–2145, दिनांक 10.08.22 द्वारा नगर निकाय के गठन हेतु निर्धारित जनसंख्या में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है ।

अतः उक्त प्रक्रिया के विधिसम्मत कार्यवाही संभव होगी । अतः माननीय सदस्या से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्रीमती शीला कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इसको इतनी जनसंख्या होनी चाहिए । आपको हम कहना चाहेंगे कि वहां सब चीज अर्हता पूरी कर रहा है । अगर उसको करवा दिया जाए तो वहां जो व्यापारी

वर्ग के लोग हैं उसको भी अच्छा होगा । वहां सब चीज का दिक्कत होती है, जो डेवलपमेंट होना चाहिए वह नहीं हो पाता है । मैं अपना संकल्प वापस लेती हूँ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–123 : श्री अरूण सिंह, स०वि०स०

श्री अरूण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट विधान सभा के काराकाट (गोड़ारी) नगर पंचायत में डिहरी बिक्रमगंज पथ से काराकाट प्रखण्ड कार्यालय, थाना, विद्युत कार्यालय एवं एस०एफ०सी० गोदाम होते हुए नाद सड़क तक की स्थिति अत्यंत ही जर्जर व जीर्णशीर्ण अवस्था में है, उक्त सड़क को पी०सी०सी० निर्माण करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत काराकाट विधानसभा के काराकाट नगर पंचायत में डिहरी बिक्रमगंज पथ से काराकाट प्रखंड कार्यालय, थाना, विद्युत कार्यालय एवं एस0एफ0सी0 गोदाम होते हुए नाद सड़क पी0सी0सी0 निर्माण हेतु योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में लिया गया है । उक्त सड़क के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर बुडको के द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, बुडको के जरिये कार्यवाही हो रही है, इस वित्तीय वर्ष में बनवा देंगे कि नहीं, यह बात बताइये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए । सरकार ने ग्रहण कर लिया है आपकी बातों को । सरकार ने आपकी बातों को सुना है ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, कहना है कि 2024–25 में...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा कि दिखवा लेते हैं । अरूण जी अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री अरूण सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–125 : श्री गौतम कृष्ण, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–133 : श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता, स०वि०स०

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिला अंतर्गत नगर निगम सहरसा के 8 से 10 वार्डों में वर्षों से घरों से निकले वेस्ट वाटर जिससे सड़कों पर सालों भर जल–जमाव रहता है, की स्थायी निकासी की व्यवस्था करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा नगर निगम क्षेत्रांतर्गत 8 से 10 वार्डों में नालों का आउटलेट नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न होती है । नगर निगम सहरसा द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पंप मोटर लगाकर जल निकासी की जाती है । उक्त समस्या के स्थायी निदान हेतु स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना फेज–2 के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है । उक्त कार्य हेतु बुडको मुख्यालय पटना के स्तर से निविदा प्रक्रियाधीन है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, कल उन्होंने कहा था कि आपकी पगड़ी की लाज रखूँगा ।

अध्यक्ष : पगड़ी बंध गयी आपकी फिर से ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : जी । एकदम हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

(व्यवधान)

सर, हम होली की सभी को बधाई देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन एक चीज मैं आपको कह देता हूँ –

''उलफत न सही, नफरत ही सही,
हम यूं ही गुजारा कर लेंगे ।
एक याद तेरे दिल में लिए,
जीने का सहारा कर लेंगे।।''

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–12 / हेमन्त / 27.02.2026

<u>क्रमांक–67 : श्री साम्रीद वर्मा, स०वि०स०</u>

श्री साम्रीद वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिला के सिकटा प्रखण्ड के निवासियों को उच्च स्तरीय एवं मूलभूत नगरीय नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत को उत्क्रमित करते हुए सिकटा नगर पंचायत की स्थापना करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–2095, दिनांक– 22.07.2025 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी से नए निकाय का गठन एवं पुराने नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। साथ ही, विभागीय पत्रांक–3392, दिनांक–09.12.2025 द्वारा स्मारित किया गया। उक्त आलोक में राज्य सरकार को पश्चिमी चंपारण जिला के सिकटा को नगर पंचायत बनाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 3 के प्रावधान अनुसार 12 हजार से अधिक किंतु 40 हजार से अनधिक तथा सभी दशाओं में दीर्घकालीन अल्पकालीन कर्मियों की कुल जनसंख्या, उस क्षेत्र की कुल कर्मियों की जनसंख्या का पचास प्रतिशत से कम होने पर नगर पंचायत के गठन का प्रावधान है। महोदय, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा पृथक शर्तें अवधारित करते हुए किसी पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थान, पर्यटन स्थल या मंडी को नगरपालिका क्षेत्र के रूप में गठित कर सकेंगे, का प्रावधान है। उक्त प्रावधान अनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या 2145, दिनांक 10.08.2022 द्वारा नगर निकायों के गठन हेतु निर्धारित जन संख्या में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। संप्रति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के गजट अधिसूचना संख्या 514 (4), दिनांक 28.07.2025 द्वारा भारत की जनगणना 2027 के तहत बिहार राज्य के सभी जिलों, अनुमंडलों, सामुदायिक विकास प्रखंडों, संविधिक शहरों, ग्राम पंचायतों, ग्रामों की प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार की सीमाओं में दिनांक 31.12.2025 के पश्चात से भारत की जनगणना 2027 का कार्य पूर्ण होने की तिथि 31.03.2027 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना निषेध है। उक्त प्रक्रिया के बाद विधि सम्मत कार्रवाई संभव है।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें।

श्री साम्रीद वर्मा : महोदय, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, एक बार अपने स्तर से एक रिव्यू करा लिया जाए। सिकटा एक सीमा पर आता है और वहां का व्यवसाय और लोगों की आबादी बहुत बढ़ रही है, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर...

अध्यक्ष : वापस ले लीजिए।

श्री साम्रीद वर्मा : मैं वापस लेता हूं।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक–125 : श्री गौतम कृष्ण, स०वि०स०</u>

श्री गौतम कृष्ण : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिला अंतर्गत महिषी विधानसभा क्षेत्र के 15 (पंद्रह) पंचायत कोसी तटबंध के अंदर अवस्थित हैं तथा प्रतिवर्ष बाढ़ एवं धारा परिवर्तन से प्रभावित होते रहते हैं और जहाँ, पूर्व सर्वेक्षण के समय जिन भू–भागों से कोसी नदी प्रवाहित हो रही थी, उन भूमि को बिहार सरकार के नाम दर्ज कर लिया गया था और जहाँ, कोसी नदी की प्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष अपना प्रवाह मार्ग परिवर्तित करने की है, जिसके कारण पूर्व में नदी के भीतर रही भूमि वर्तमान में उपजाऊ कृषि भूमि बन चुकी है तथा पूर्व की उपजाऊ

भूमि पर वर्तमान में नदी प्रवाहित हो रही है और जहाँ, प्रस्तावित अथवा प्रचलित पुनः सर्वेक्षण की स्थिति में किसानों के स्वामित्व अधिकार के संबंध में किसानों के पूर्ववर्ती वैध अभिलेखों के आधार पर पुनः जांच कर दुरूस्ती/नामांतरण की विशेष व्यवस्था के तहत कोसी तटबंध के अंदर निवासरत किसानों की भूमि सुरक्षा एवं स्वामित्व संरक्षण के लिए स्थायी एवं व्यवहारिक समाधान सुनिश्चित करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। सहरसा जिला अंतर्गत महिषी विधानसभा क्षेत्र की 15 पंचायतें कोशी तटबंध के अंदर अवस्थित हैं, जो प्रतिवर्ष बाढ़ एवं कोसी नदी की धारा परिवर्तन से प्रभावित होती रहती हैं। महोदय, कोशी नदी के उक्त प्रवृत्ति के कारण पूर्व में जो भूमि नदी की धारा में थी, वह उपजाऊ कृषि योग्य भूमि बन गई है, जबकि पूर्व की कृषि योग्य भूमि वर्तमान में नदी के प्रवाह क्षेत्र में है। पूर्व के सर्वेक्षण के समय जो भूभाग नदी प्रवाह में थे, उन्हें सरकारी भूमि की श्रेणी में दर्ज किया गया था। पुराने स्थल पर जलमग्न भूमि के निकल आने पर या उसमें पुनः प्रवेश के संदर्भ में बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 52 के प्रावधान के अनुसार ऐसी भूमि के संबंध में लगान निर्धारित किए जाने के सुसंगत प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार किसानों के स्वामित्व की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। यदि नदी की धारा में परिवर्तन के कारण पुराने भू अभिलेखों या जमाबंदी पंजी में विसंगति परिलक्षित होती है, तो विभागीय पत्रांक 19 दिनांक 03.01.2018 से निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में जमाबंदी पंजी को पुनर्गठित करने का स्पष्ट प्रावधान है। वैसे भूमि के स्वामित्व हेतु उपरोक्त वर्णित विभागीय पत्र के द्वारा 16 प्रकार के साक्ष्यों के आधार पर जमाबंदी पंजी को पुनर्गठित किया जा सकता है। निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में अंचल अधिकारी द्वारा स्थानीय जांच एवं हितबद्ध रैयतों द्वारा समर्पित कागजात के आधार पर जमाबंदी पंजी में आवश्यक सुधार किया जा सकता है।

अध्यक्ष : वापस ले लीजिए।

श्री गौतम कृष्ण : मैं वापस लूंगा, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से बस निवेदन करूंगा, क्योंकि यह एक विशेष व्यवस्था के तहत करवाया जाए, नहीं तो मार्ग बदलने के बाद, लिटिगेशन बहुत ज्यादा वहां हो रहा है।

अध्यक्ष : वापस ले लीजिए।

श्री गौतम कृष्ण : जी, वापस लेते हैं।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को, कल हमने कहा था कि अवगत कराएंगे कि जहां पर हमारा अभिलेख उपलब्ध नहीं है, महोदय, जो उपलब्ध कराएंगे या हम भी अपने तरफ से, उसको तो गोपनीय रखेंगे ही, महोदय, और वैसे अभिलेख उपलब्ध कराने वाले लोगों को बिहारी भू योद्धा के रूप में हम पुरस्कृत भी करेंगे, सम्मानित भी करेंगे और यह अभियान हम लोग शुरू करने जा रहे

हैं और यह तो पद पर रहे हैं, तो इनको भी जानकारी, डिटेल उपलब्ध कराने में आसानी होगी।

क्रमांक–102 : श्री गोपाल कुमार अग्रवाल, स०वि०स०

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला के दिघलबैंक प्रखंड में गत 40 सालों में बिहार सरकार, भूदान, लालकार्ड की जमीन जो स्थानीय दलित आदिवासी एवं गरीब सूरजापुरी मुस्लिम भाइयों को बंदोबस्त की गई थी, वर्तमान में ऐसे 90 जमीनों को गत 10 वर्षों में मालदा मुर्शिदाबाद के नाम पर आए बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है। ऐसे भी जमीनों का भौतिक निरीक्षण कराकर अवैध कब्जा धारियों से मुक्त करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, समाहर्ता किशनगंज से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि मालदा मुर्शिदाबाद के नाम पर आए बाहरी लोगों द्वारा भूमि पर कब्जा करने संबंधी कोई विशिष्ट मामला प्रकाश में नहीं आया है। योग्य श्रेणी के व्यक्तियों को बंदोबस्त भूमि की अवैध हस्तांतरण, खरीद–बिक्री के मामले प्रकाश में आने पर भूमि के क्रेता के नाम पर कायम जमाबंदी एवं बंदोबस्तदार के नाम की बंदोबस्ती विधिवत रद्द करने की कार्रवाई की जाती है। ऐसे भूमि का बंदोबस्त रद्द हो जाता है एवं अधिकार पुनः सरकार को प्राप्त हो जाता है। महोदय, माननीय सदस्य अगर साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, तो मैं इसकी जांच भी करा दूंगा और आवश्यक कार्रवाई भी करूंगा।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें।

अध्यक्ष : वापस ले लीजिए।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह मामला सिर्फ किशनगंज जिले का नहीं है।

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है साक्ष्य दीजिए न।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : यह मामला पूरे किशनगंज जिले का है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप साक्ष्य दे दीजिए।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : महोदय, एक मिनट। जो दिघलबैंक प्रखंड है, वह विशेषकर इससे 90 प्रतिशत ग्रसित है और भारत का चिकेन नेक है हमारा विधानसभा और हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री ने भी कहा है। यह जो स्थिति वहां बन रही है, पिता ने 40 साल पहले जमीन, बिहार सरकार भूदान का तो छोड़ दिए, सर। इसके अलावा पिता ने जो 40 साल पहले जमीन बेची, उस जमीन को, अब वह लोग मालदा मुर्शिदाबाद से जो लोग आए हैं, सर, वह उनके बेटे रजिस्ट्री करवा रहे थे।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि साक्ष्य उपलब्ध करायें, सरकार कार्रवाई करेगी।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : वह रजिस्ट्री करवाकर, दाखिल खारिज करवाकर...

अध्यक्ष : सारी बातों की जांच सरकार करवायेगी।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : और जोर–जबरदस्ती उसका भी जमीन दखल कर ले रहे थे।

अध्यक्ष : सारी बातों की सरकार जांच करवाएगी। आप साक्ष्य दीजिए। आप वापस लीजिए।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : सर, मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि दिघलबैंक के लिए,

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : और यह सर्वविदित है। पूरा जिला जान रहा है, पूरा देश जान रहा है, पूरा पार्लियामेंट, पूरा विधानसभा जान रहा है। आप एक हाई लेवल कमिटी दिघलबैंक के लिए बना दीजिए और

अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : पूरी जमीन, 90 प्रतिशत बिहार...

अध्यक्ष : श्री मिथुन कुमार।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : माननीय सदस्य कि जो चिंता है, वह चिंता इस सदन में बैठे सभी लोगों की है और आपकी बातों को गंभीरता से सरकार ली है और इसकी जरूरत पड़ेगी, तो स्पेशल कमिटी से भी जांच कराएंगे।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : महोदय,...

अध्यक्ष : बैठ तो जाइए।

टर्न–13 / संगीता / 27.02.2026

<u>क्रमांक–01 : श्री मिथुन कुमार, स०वि०स०</u>

श्री मिथुन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत सबौर प्रखण्ड के लैलख–ममलखा स्टेशन के पास टिकट काउन्टर के समीप पर रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कराने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री विधान परिषद् में हैं, आयेंगे तो जवाब हो जाएगा ।

श्री मिथुन कुमार : धन्यवाद ।

<u>क्रमांक : 02 श्री भाई बिरेंद्र, स०वि०स०</u>

श्री भाई वीरेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखंड स्थित पंचायत कित्ता चौहत्तर पश्चिमी के ग्राम हल्दी छपरा (पुराना टोला) में पृथ्वी राय के घर से सुभक सिंह के जमीन तक सोन–सोती पर पुल का निर्माण करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के एक तरफ से अवस्थित बसावट हल्दी छपरा को जिला परिषद् द्वारा निर्मित पी0सी0सी0 पथ से संपर्कता प्राप्त है, जो आर0सी0डी0 पथ हल्दी छपरा बाजार से निकलकर प्रश्नाधीन पुल स्थल तक जाती है । प्रश्नाधीन पुल स्थल के दूसरी तरफ कृषि योग्य भूमि है एवं कोई बसावट अवस्थित नहीं है । प्रश्नाधीन पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के किसी भी कोर नेटवर्क में अंकित पथ के आरेखन में सम्मिलित नहीं है एवं जिला संचालन समिति द्वारा अनुमोदित सूची में शामिल नहीं है । संबंधित प्रश्नाधीन पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, वहां हजारों एकड़ जमीन सिंचित भूमि है, वहां आने–जाने के लिए, चूंकि सोन–सोती में पानी रहता है और हर साल एक दर्जन, दसों आदमी डूब जाते हैं, अगर उस पुल की व्यवस्था हो जाए तो सिंचित भूमि को, जो वहां दियारावासी हैं, वे अपनी खेती कर सकेंगे । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वहां यह पुल निर्माण आवश्यक है और चूंकि वह रोड पी0डब्लू0डी0 में मैंने करा दिया है तो वह अगर पुल बन जाता है तो हजारों एकड़ जो सिंचित भूमि है उस पर खेती लोग कर सकते हैं ।

अध्यक्ष : आग्रह के साथ प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि इसको दिखवा लीजिए और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक : 03 मोहम्मद मुर्शिद आलम, स०वि०स०

श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखण्ड के महलगांव, कुर्सेल, भूना, सहित 13 ग्राम पंचायतों को मिलाकर महलगांव प्रखण्ड का निर्माण करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखण्ड के महलगांव को नए प्रखंड सृजन के संबंध में जिला पदाधिकारी, अररिया से प्रखंड सृजन संबंधी विहित प्रपत्र–16 कॉलम में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रमंडलीय आयुक्त से अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम : शुक्रिया सर, करा दें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–04 श्री उदय कुमार सिंह, स०वि०स०</u>

श्री उदय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गयाजी जिलान्तर्गत शेरघाटी अनुमंडल को जिला का दर्जा दिलावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय मंत्री जी विधान परिषद् में हैं, जब वे आ जायेंगे तो उसका जवाब देंगे ।

<u>क्रमांक–05 श्री अवधेश सिंह, स०वि०स०</u>

श्री अवधेश सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह हाजीपुर विधान सभा सहित राज्य के गरीबों के टोला/बस्ती को संम्पर्कता हेतु सड़क निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अंगेर टोला बसावटों में संपर्कता देने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की शुरूआत वर्ष 2023 में की गई । इस योजना अंतर्गत 100 से अधिक आबादी वाले अंगेर टोलों, बसावटों को बारहमासी एकल संपर्कता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । इस योजना अंतर्गत राज्याधीन कुल 13 हजार 814 बसावटों को चिन्हित किया गया है, जिसमें अब तक कुल 6 हजार 83 बसावटों को संपर्कता देते हुए 8 हजार 95 किलोमीटर के पथ की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । शेष टोलों, बसावटों को संपर्कता देने हेतु निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अवधेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम उस संपर्कता की बात कर रहे हैं, जो गरीबों की बस्ती है और सरकारी सड़क नहीं है । कितनी कठिनाई होती है बारिश के समय के अलावे, डेड बॉडी भी निकालना कठिन हो जाता है और कभी–कभी चुनाव, जो लोक सभा या विधान सभा का होता है जो दबंग लोग होते हैं, गरीबों का एक रास्ता, पैरिया जिसको बोलते हैं, उसको लोग कांटा–तार से घेर देता है, उनको निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है...

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है, निश्चित तौर पर ।

श्री अवधेश सिंह : सरकार की नीति है कि भूमि अधिग्रहण नहीं करेंगे, लोगों की सहमति हो तो सहमति अगर एक दर्जन लोगों का है अगर एक–दो लोग उसमें सहमत नहीं हो पाते हैं तो उनको रास्ता नहीं मिल पाता है । सरकार ऐसी व्यवस्था

करे कि हम उन गरीबों को रास्ता दे सकें । माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि कुछ ऐसा आश्वासन दें कि इसमें कुछ बदलाव करके हम गरीबों को रास्ता दे सकें ।

अध्यक्ष : अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री अवधेश सिंह : पहले ही वापस ले लें सर तो फिर । ठीक है, आपके आदेशानुसार मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं लेकिन सरकार को इस पर देखना चाहिए ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–06 : श्री विनय कुमार चौधरी, स०वि०स०</u>

श्री विनय कुमार चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वर्तमान में बेनीपुर अनुमंडल का प्रशासनिक तथा न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार मात्र दो प्रखंड का है, जिसे बढ़ावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, काउंसिल में हैं, जवाब हो जाएगा ।

श्री विनय कुमार चौधरी : जी ।

<u>क्रमांक : 07 श्री उपेन्द्र प्रसाद, स०वि०स०</u>

श्री उपेन्द्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गयाजी जिला अन्तर्गत गुरूआ, गुरारू एवं परैया प्रखण्ड में ग्लोबल निविदा के माध्यम से हो रहे सड़कों के निर्माण हेतु पूर्व की तरह निविदा प्रकाशित करावे।"

महोदय, कई ऐसी सड़के हैं, जो कि खरोंच करके छोड़ दिया गया है चुनाव के पहले...

अध्यक्ष : आप पढ़ दिए न, अब माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए । जवाब सुनना चाहिए ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : जी, ठीक है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना एवं ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम नवंबर, 2024 में मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक–1718, दिनांक–15.11.2024 द्वारा इस योजना का संकल्प निर्गत किया गया है । उक्त संकल्प की कंडिका–8 में उल्लिखित है कि योजनाओं के क्रियान्वयन प्रखंडवार एवं अनुमंडलवार पैकेज तैयार करके किया जाएगा । चूंकि इस योजना अंतर्गत सभी पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण डिफेक्ट लायमेट्री की अवधि से बाहर हुए पथों को एक साथ स्वीकृत करने हेतु इससे पूर्व कोई योजना नहीं थी । अतएव संरचनात्मक रूप से पथों की संख्या वित्तीय वर्ष

2024–25 एवं 2025–26 में अधिक हो गई, जिसके कारण प्रखंडवार पैकेज तैयार करने से पथों की संख्या एवं राशि अधिक हुई । पैकेज के माध्यम से निविदा करने के कारण निष्पादन में भी सुविधा हुई है । मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना अवशेष एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अंतर्गत भी पैकेज के माध्यम से निविदा किए जाने हेतु संकल्प निर्गत है, जिसका अनुपालन जारी है । पूर्व में भी निविदा का प्रकाशन एवं निष्पादन पी0डब्लू0डी0 को एवं इस योजना हेतु निर्गत संकल्प एवं बिल्डिंग डॉक्यूमेंट के आधार पर किया जाता रहा । संदर्भित योजनाओं का भी निविदा प्रकाश पी0डब्लू0डी0 कोड एवं मंत्रिपरिषद् स्वीकृति उपरांत निर्गत संकल्प के आधार पर की जा रही है ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : महोदय, सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन महोदय व्यावहारिक रूप से जस्ट इसका उलटा है, चूंकि हमारे यहां चुनाव के पहले कई ऐसे सड़क हैं, दे तो दिया गया निविदा के आधार पर, उसके पास मशीनरी पर्याप्त नहीं है। एक जगह काम करता है, बाकी जगह रोड को खरोंच कर छोड़ दिया है...

अध्यक्ष : अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : बच्चों को तो स्कूल में साइकिल भी मिल गया, प्रत्येक दिन बच्चा साइकिल से गिरता है, रोड उबड़–खाबड़ हो गया है...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : एक और इम्पोटेंट है महोदय...

अध्यक्ष : आ गया सारा इर्म्पोटेंट । अब वापस हो गया, बैठ जाइए ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : मेरे क्षेत्र में एक भारद्वाज मेसर्स है, वह ब्लैकलिस्टेड है उसको भी निविदा दे दिया गया है...

अध्यक्ष : सरकार देख लेगी ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : महोदय, मैं आपके सम्मान में अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं लेकिन इसपर गंभीरता से विचार हो ।

(इस अवसर पर सभापति, श्री आलोक कुमार मेहता ने आसन ग्रहण किया)

<u>क्रमांक–08 श्री सुजीत कुमार, स०वि०स०</u>

श्री सुजीत कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत राजनगर राज परिसर को उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन महत्व को दृष्टिगत रखते हुए दरंभगा महराज की निजी संपत्ति को सरकार द्वारा संबंधी संपत्ति स्वामी से परस्पर सहमति एवं संवाद स्थापित करते हुए पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के माध्यम से इसके संरक्षण, सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकास करावे।"

टर्न–14 / यानपति / 27.02.2026

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी मधुबनी से उक्त स्थल का सौंदर्यीकरण एवं पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में विभागीय पत्रांक–723 दिनांक 20.02.2026 द्वारा विहित प्रपत्र में विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गई है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री सुजीत कुमार : मैं वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : धन्यवाद । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–09 : श्री चेतन आनंद, स०वि०स०

श्री चेतन आनंद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के नवीनगर, अम्बा तथा कुटुम्बा को मिलाकर नवीनगर अनुमंडल बनावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री जी अभी काउंसिल में हैं । प्रभारी मंत्री।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ।

श्री चेतन आनंद : दूसरा है ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, विधान परिषद् में हैं, वे जवाब बाद में देंगे ।

क्रमांक–10 : श्री अमरेन्द्र कुमार, स०वि०स०

श्री अमरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के गोह प्रखण्ड अन्तर्गत अति–महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल देव कुण्ड में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है । राज्य सरकार के प्रस्ताव के आलोक में केंद्र सरकार द्वारा पूर्व से ही औरंगाबाद जिला अंतर्गत गोह प्रखंड के देवकुंड में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है, साथ ही भूमि एक रुपये में टोकन मूल्य पर केंद्रीय विद्यालय संगठन को बंदोबस्त किए जाने का भी आदेश निर्गत किया जा चुका है । तत्काल इस केंद्रीय विद्यालय का स्थायी संचालन के लिए राजकीय आई0टी0आई0 दाउदनगर औरंगाबाद से भवन चिन्हित किया गया है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, हम अपना प्रस्ताव तो वापस लेते हैं लेकिन देवकुंड जो है, स्वीकृत तो हो गया है ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : आप अपना प्रस्ताव तो वापस लीजिए ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं महोदय । धन्यवाद ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

<u>क्रमांक–11 श्री पंकज कुमार मिश्र, स०वि०स०</u>

श्री पंकज कुमार मिश्र : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीमामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड अन्तर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों को दूसरे विद्यालय में पठन–पाठन का कार्य चलाए जा रहे हैं, जबकि नवसृजित विद्यालय का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

अतः नवसृजित विद्यालयों के नाम से आवंटित भवन में विद्यालय का स्थानांतरित करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी में करीब ऐसे 12 भवन का निर्माण कराया जा चुका है जिनका मूल रूप से दूसरे जगह चल रहा था विद्यालय । अतः अगले 15 दिनों के अंदर इनका स्थानांतरण करा दिया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, प्रस्ताव वापस लें । माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट बताया ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : ठीक है, माननीय मंत्री जी के कहने पर मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : धन्यवाद ।

<u>क्रमांक–12 : श्री अनिल कुमार, स०वि०स०</u>

श्री अनिल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड के सिंगरहिया पंचायत के शिवनगर टोले बघमरी से रीगा को जाने वाली पथ में लखनदेई नदी के ऊपर उच्चस्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री अभी विधान परिषद् में हैं ।

श्री अनिल कुमार : महोदय, अभी जवाब देंगे ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : प्रभारी मंत्री ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल सीतामढ़ी जिलांतर्गत बथनाहा विधान सभा के बथनाहा प्रखंड अंतर्गत लखनदेई नदी

पर अवस्थित है जिसके एक तरफ बघमरी गांव है एवं दूसरी तरफ शिवनगर गांव है । शिवनगर गांव में अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत निर्मित पथ नवीनगर से श्रीनगर से जानेवाली सड़क से संपर्कता प्राप्त है । तथा गांव को अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत निर्मित पथ हाजीपुर से बघमरी जानेवाली सड़क से संपर्कता प्राप्त है । गांव श्रीनगर एवं बघमरी गांव के बीच लखनदेई नदी पर प्रश्नाधीन पुल निर्माण हेतु प्रभारी मंत्री सीतामढ़ी जिला की अध्यक्षता में गठित जिला संचालन समिति की प्राथमिकता सूची के क्रमांक–108 में सम्मिलित है । निधि की उपलब्धता, प्राथमिकता एवं टेक्निकल फिजिबिलिटी के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य ।

श्री अनिल कुमार : माननीय सभापति महोदय, ये पुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई पंचायतों तो जोड़ती है और बथनाहा और रीगा विधान सभा को भी जोड़ती है । और बरसात के समय में वहां पर चचरी पुल का निर्माण...

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट...

श्री अनिल कुमार : करा के और लोग वहां आते जाते हैं इसीलिए मैं इसी विश्वास के साथ माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और इसी विश्वास के साथ कि इस साल हम उस पुल का निर्माण करा भी देंगे । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–13 श्रीमती मीना कुमारी, स०वि०स०</u>

श्रीमती मीना कुमारी : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही विधान सभा क्षेत्र के बाबूबरही प्रखंड में 165 एकड़ में फैला बलिराजगढ़ जो मिथिला की प्राचीनतम ऐतिहासिक धरोहर है, को सांस्कृतिक, पुरातात्विक संरक्षण, रोजगार सृजन को देखते हुए सुविधाओं सहित पर्यटकीय स्थल घोषित करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलांतर्गत बलिराजगढ़ स्थित प्राचीन किला का अवशेष केंद्र सरकार प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में सुरक्षित घोषित स्थल है । यहां किसी भी प्रकार का निर्माण भारत सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है । अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य ।

श्रीमती मीना कुमारी : माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि मधुबनी जिला में उस समय के जो एस0डी0ओ0 थे अंग्रेज जॉर्ज ग्रियसन ने 1884 में इसकी खोज की थी । और 1938 में इसे राष्ट्रीय महत्व की संपदा घोषित किया गया और 1962–63 में इसकी पहली बार खुदाई की गई ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्या, आप संकल्प वापस लें ।

श्रीमती मीना कुमारी : जी, वापस तो लेना ही है, थोड़ा प्वाइंट बता देते हैं । 1972–73 और 73–74 में दो चरणों में उसकी खुदाई पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण जी द्वारा किया गया । माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था इसीलिए उनको थोड़ा आग्रह किया जाय और इसके साथ ही मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : आप लिखित दे दीजिएगा । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–15 श्रीमती संगीता देवी, स०वि०स०

श्रीमती संगीता देवी : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अंतर्गत बरसोई अनुमंडल में अग्निशमन (फायर स्टेशन) का आज तक अपना भवन नहीं है, जिस कारण अग्निशमन कर्मियों को कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, साथ ही यह भी कि 65 बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 6 थाना क्षेत्र आते हैं, जहाँ आगजनी जैसी घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रत्येक थाना क्षेत्र में कम से कम दो–दो फायर ब्रिगेड वाहन की अत्यंत आवश्यकता है।

अतः बरसोई अनुमंडल में फायर स्टेशन या स्थायी भवन निर्माण एवं बलरामपुर विधानसभा के सभी थाना क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में फायर ब्रिगेड वाहन उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलांतर्गत दो यूनिट की अधिसूचित अग्निशामालय बारसोई के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है । भवन निर्माण हेतु राशि बिहार पुलिस भवन निगम के पी0एल0 खाता में हस्तांतरित कर दी गई है । बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के स्तर से अग्निशामालय बारसोई के भवन निर्माण हेतु टेंडर की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ही अनुमंडल अग्निशामालय बारसोई में स्थित है जहां दो बड़ी टावर टेंडर अग्निशामक वाहन एवं एक अदद लिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन प्रतिनियुक्त है ।

(क्रमशः)

टर्न–15 / मुकुल / 27.02.2026

क्रमशः

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ही अनुमंडल अग्निशमन बरसोई में स्थिति है जहां दो बड़ी टावर टेंडर अग्निशामक वाहन एवं एक अदद मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशामन वाहन प्रतिनियुक्त है । साथ ही, बलरामपुर थाना में भी एक बड़ी वाटर टेंडर अग्निशामक वाहन प्रतिनियुक्त है, इसके अतिरिक्त बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कदवा एवं अवादपुर थाना में एक–एक अदद मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशामन वाहन प्रतिनियुक्त है, जहां से बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र में अग्निशामन का कार्य किया जाता है । उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये अपना संकल्प वापस लें ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य ।

श्रीमती संगीता देवी : धन्यवाद महोदय । इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : धन्यवाद । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक–16 : श्री विनोद नारायण झा, स०वि०स०</u>

श्री विनोद नारायण झा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के कलुआही प्रखण्ड में गरीब छात्र एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई का अवसर प्रदान करने के लिए डिग्री महाविद्यालय का निर्माण करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अभिभाषण एवं सात निश्चय–3 के अंतर्गत राज्य के वैसे प्रखंड जहां पूर्व से महाविद्यालय संचालित नहीं हैं, उन प्रखंडों में महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, इस क्रम में विभागीय पत्रांक–40, दिनांक–14.01.2026 द्वारा राज्य के वैसे सभी जिलों में जहां ब्लॉक में उपलब्ध नहीं है महाविद्यालय, उसकी भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी है और अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य ।

श्री विनोद नारायण झा : माननीय मंत्री जी, वहां पर भूमि उपलब्ध है, मैं दिलवा दूंगा, आप अधिकारियों को कह दें और उस कॉलेज खुलवा दीजिए कलुआही में, वहां पर कॉलेज नहीं है ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव ले लीजिए ।

श्री विनोद नारायण झा : सभापति महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–17 : श्री प्रकाश चन्द्र, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–18 : श्री अजय कुमार, स०वि०स०

श्री अजय कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय–रोसड़ा पथ के एस.एच–88 पर सिंघिया बाजार में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण के लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत प्रश्नगत स्थल दलसिंहसराय–रोसड़ा पथ के एस0एच0–88 पर सिंघिया बाजार में सम्पार–21 पर आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु रेलवे द्वारा अपने संसाधन से किया जाना प्रस्तावित है । वर्तमान में रेलवे द्वारा डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्रवाई शुरू की गयी है । अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि ये अपना संकल्प वापस लें ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य ।

श्री अजय कुमार : माननीय मंत्री महोदय तो पूरा कर दिये तो वापस लेना कहां है ? आप तो दे दिये हो गया, धन्यवाद ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–19 : श्री रत्नेश कुमार, स०वि०स०

श्री रत्नेश कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राजकीय बालक मध्य विद्यालय, धवलपुरा, पटना सिटी, भूमिहीन विद्यालय को कुशवाहा पंचित बैठका बाहरी धवलपुरा में 15 डिसीमील जमीन जो चार सदस्य रणजीत कुमार, बैजु प्रसाद, प्रमोद कुमार, दिलीप कुमार भारती के नाम पर निबंधन है, वे उक्त भूमि को स्कूल के लिए दे रहे है, उक्त जमीन पर स्कूल का निर्माण करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बालक मध्य विद्यालय, धवलपुरा, पटना सिटी जो वर्तमान में भूमिहीन होने के कारण कन्या मध्य विद्यालय, बेगमपुर के भवन में प्रातः पाली में संचालित किया जा रहा है, लेकिन उक्त

जमीन के आलोक में भूमि निःशुल्क निबंधन हेतु जिला कार्यालय के द्वारा समाहर्ता, पटना को पत्र दिया गया है । निःशुल्क निबंधन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्राथमिकता पर यहां पर भवन निर्माण का कार्य तेजी से पूरा किया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री रत्नेश कुमार : महोदय, मैं लेता हूं, लेकिन मैं एक माननीय मंत्री जी को एक और राजकीय प्रेस मध्य विद्यालय, कंटाहीघाट में भी अपनी जमीन अवस्थित है, उस पर भी विद्यालय प्राथमिकता के आधार पर निर्माण किया जाए । मैं मंत्री जी को धन्यवाद करते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–20 : श्री जनक सिंह, स०वि०स०</u>

श्री जनक सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला अंतर्गत हमारे तरैंया विधानसभा के प्रखंड पानापुर के भोरहां डाकबंगला के पास गंडक नदी पर परिवहन की सुविधा, दूरी की कमी, फसल की सुरक्षा, आर्थिक मजबूती, कृषि आधुनिकीकरण एवं कनेक्टिविटी हेतु किसानों के हित में दियारा जाने के लिए पीपा पुल का निर्माण करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण अंतर्गत प्रश्नगत स्थल तरैंया विधान सभा के प्रखंड पानापुर के भोरहां डाकबंगला के पास गंडक नदी पर पीपा पुल का निर्माण प्राथमिकता के अनुरूप संसाधन की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री जनक सिंह : बहुत–बहुत धन्यवाद । महोदय, वह जो बिंदु है, माननीय जल संसाधन मंत्री जी का भी आश्वासन आया, आज माननीय ऊर्जा मंत्री जी का भी आश्वासन आया ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री जनक सिंह : और मैं धन्य हूं कि मैं तरैंया की जनता की ओर से ढेरों साधुवाद देता हूं अपने पथ निर्माण मंत्री जी को......

<u>क्रमांक–21 : श्री राज कुमार राय, स०वि०स०</u>

श्री राज कुमार राय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर विधान सभा में स्थित करेह नदी के दोनों

तटबंध (पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध) कच्ची उच्चीकरण करते हुए सड़क का निर्माण करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिस तटबंध की चर्चा की है, उसके उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव हमलोग विश्व बैंक सम्पोषित योजना के तहत कराने के लिए हमलोग प्रस्तावित कर चुके हैं, इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि ये अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य ।

श्री राज कुमार राय : धन्यवाद महोदय ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–22 : श्री विशाल प्रशांत, स०वि०स०

श्री विशाल प्रशांत : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत तरारी प्रखण्ड को विभाजित कर सिकराहटा को नया प्रखण्ड के रूप में घोषित करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिला अंतर्गत सिकराहटा को नये प्रखंड का दर्जा दिये जाने हेतु जिला पदाधिकारी, भोजपुर से विहित प्रपत्र 16 कॉलम में मंतव्य सहित प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । नये प्रखंड सृजन संबंधी विहित प्रपत्र 16 कॉलम में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री विशाल प्रशांत : सभापति महोदय, मेरा सरकार से यही गुजारिश रहेगा कि आने वाले भविष्य में इसको जल्द से जल्द दिखवा लिया जाए, यह कहते हुए मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–23 : श्री सतीश कुमार सिंह यादव, स०वि०स०

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला के NH-19 (G.T. Road) पर जहां काफी दुर्घटना होती है, इस कारण दुर्गावती प्रखण्ड में NH-19 (G.T. Road) के पास एक ट्रामा सेंटर का निर्माण करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिला अंतर्गत दुर्गावती प्रखण्ड में एन0एच0–19 (जी0टी0 रोड) से लगभग 500 मीटर की दूरी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है । उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों द्वारा आमजनों तथा सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं । साथ ही, सात निश्चय–3 के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने की योजना है, इसके अतिरिक्त दुर्गावती प्रखण्ड मुख्यालय से लगभग 15 कि0मी0 की दूरी पर एन0एच0–19 जी0टी0 रोड पर अवस्थित अनुमंडलीय अस्पताल, मोहनिया के परिसर में ट्रामा सेंटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है । उक्त के आलोक में दुर्गावती प्रखण्ड में ट्रामा सेंटर का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य ।

टर्न–16 / धिरेन्द्र / 27.02.2026

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का जिक्र किये हैं, वहां मात्र दो डॉक्टर हैं और एन॰एच॰–19 पर सबसे अधिक दुर्घटना डेहरी टोल टैक्स से उत्तर प्रदेश के बिहार बॉर्डर तक होती है तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भविष्य में वहां ट्रामा सेंटर का निर्माण करावें ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं इस आशा के साथ अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–24 : श्री विजय कुमार खेमका, स॰वि॰स॰</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक–26 : श्री सियाराम सिंह, स॰वि॰स॰</u>

श्री सियाराम सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल को जिला का दर्जा प्रदान करावे ।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य श्री सियाराम सिंह जी का प्रस्ताव है, बाढ़ अनुमंडल को जिला का दर्जा देने का । महोदय, इसके पहले संयोग से मैं उस सदन में था, तीन और प्रस्ताव इसी तरह के आये थे श्री उदय कुमार सिंह जी का शेरघाटी को अनुमंडल बनाने के लिए, श्री विनय कुमार चौधरी जी का आया था बेनीपुर अनुमंडल का क्षेत्राधिकार बढ़ाने के लिए, श्री चेतन आनंद जी का आया था नवीनगर को अनुमंडल बनाने के लिए और महोदय, इनके बाद भी श्री केदार नाथ सिंह जी का है मशरक को अनुमंडल बनाने के लिए, श्री राधाचरण साह जी का है शाहाबाद को प्रमंडल बनाने के लिए, श्री सरवर आलम जी का है कोचाधामन को अनुमंडल का दर्जा देने के लिए, श्री निरंजन मेहता जी का है मुरलीगंज को अनुमंडल बनाने के लिए, श्री राम सिंह जी का है बगहा को जिला बनाने के लिए, श्री नीतीश कुमार सिंह जी का है कसबा को अनुमंडल बनाने के लिए और श्री अतिरेक कुमार जी का है बिरौल को अनुमंडल बनाने के लिए । महोदय, अगर आसन की अनुमति हो तो इन सारे प्रश्नों पर सरकार का रिस्पॉन्स एक ही तरह का है, समरूप है तो मैं एक ही बार सभी का उत्तर कर देता हूँ ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, अनुमति है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी सरकार में नये प्रमंडल, नये जिले या नये अनुमंडल के सृजन का प्रस्ताव नहीं है । सरकार फिलहाल इस पर विचार नहीं कर रही है । वैसे इन सब के बारे में मांग पहले से आ रही है और सरकार ने प्रिलिमनरी एक्सरसाईज भी कराया हुआ है, अभी चूंकि सरकार इस पर निर्णय नहीं ले रही है । इसलिए अभी निर्णय नहीं होगा, भविष्य में जब इस पर निर्णय लिया जायेगा तो इन सभी मामलों पर सरकार विचार करेगी। इसलिए इन सभी माननीय सदस्यों श्री उदय कुमार सिंह जी, श्री विनय कुमार चौधरी, श्री चेतन आनंद जी, श्री सियाराम सिंह जी, श्री केदार नाथ सिंह जी, श्री राधाचरण साह जी, श्री सरवर आलम जी, श्री निरंजन मेहता, श्री राम सिंह जी, श्री नीतीश कुमार सिंह जी और श्री अतिरेक कुमार जी, हालांकि आगे आने वाले सदस्यों ने अभी अपनी सूचना नहीं पढ़ी है लेकिन उनको पढ़ा कर इसको उत्तरित मान लिया जाय ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य श्री सियाराम सिंह जी, अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री सियाराम सिंह : सभापति महोदय, वर्ष 1865 से ही बाढ़ अनुमंडल बना हुआ है आजादी के पूर्व, करीब–करीब 162 वर्ष पहले का अनुमंडल है....

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, सरकार का इतना स्पष्ट जवाब है ।

श्री सियाराम सिंह : महोदय, सबसे पहले प्रायोरिटी में बाढ़ को वह जिला बनाने का विचार करें ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री सियाराम सिंह : महोदय, ठीक है । मैं मंत्री जी के आश्वासन पर अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

(व्यवधान)

मानीय सदस्य श्री चेतन आनंद जी, आप क्या बोलना चाहते हैं ?

क्रमांक–09 : श्री चेतन आनंद, स॰वि॰स॰

श्री चेतन आनंद : महोदय, इसको जल्द–से–जल्द, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो इसको भी थोड़ा देखा जाय ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव भी वापस ले रहे हैं ?

श्री चेतन आनंद : जी महोदय, बिल्कुल मैं वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से इनका भी प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर जी ।

श्री चन्द्रशेखर : सभापति महोदय....

(व्यवधान)

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : चन्द्रशेखर बाबू, एक मिनट । माननीय सदस्य श्री केदार नाथ सिंह जी, आप क्या बोलना चाहते हैं ?

क्रमांक–28 श्री केदार नाथ सिंह, स॰वि॰स॰

श्री केदार नाथ सिंह : सभापति महोदय, वर्ष 2005 के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मशरक में गये थे और मशरक में खेल हो रहा था, उस टाईम हम विधायक नहीं थे, हुजुर, एक मिनट । सर वहां पर घोषणा किये थे कि सरकार बनेगी तो हम अनुमंडल यहां पर देंगे ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री जी, उनका भी दर्ज कर लिया जाय कि वे क्या कह रहे हैं ।

श्री केदार नाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, बहुत–बहुत धन्यवाद । माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर जी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठिये । माननीय सदस्य, कृपया चन्द्रशेखर जी को बोलने दें, फिर उसके बाद देखते हैं ।

क्रमांक–25 : श्री चन्द्र शेखर, स॰वि॰स॰

श्री चन्द्र शेखर : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भूमिहीन परिवारो के मृतकों के दाह संस्कार के लिए श्मशान हेतु पंचायत स्तर पर जमीन आवंटित करने तथा भूमिहीन पर्चाधारियो को पर्चे की जमीन पर कब्जा दिलाने की व्यवस्था करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, उल्लेखनीय है कि वर्तमान में सरकार द्वारा सभी जिलों में अभियान बसेरा–2 कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सुयोग्य श्रेणी तथा महादलित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग–01 एवं 02 के वास भूमिविहीन परिवारों को सर्वेक्षण कर वास हेतु 05 डिसमिल सरकारी भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 01 लाख 38 हजार 554 परिवारों को सर्वेक्षित किया गया है जिसमें से वास भूमि हेतु सुयोग्य पाये गये अब तक कुल 70 हजार 333 वास भूमिहीन परिवार को वास भूमि उपलब्ध करा दी गई है । शेष सर्वेक्षित परिवारों को वास भूमि आवंटित करने की कार्रवाई निरंतर की जा रही है । उक्त अभियान बसेरा–2 कार्यक्रम के तहत भूमिहीन परिवारों को पर्चा उपलब्ध कराने के साथ–साथ दखल–कब्जा भी दिलाने का प्रावधान है । अगर पर्चाधारियों का पर्चा वाली जमीन पर दखल–कब्जा नहीं है तो अंचल कार्यालय में इससे संबंधित आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा जांचोपरांत दखल–कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जाती है । उल्लेखनीय है कि भूमिहीन परिवारों के मृतकों के दाह संस्कार के लिए श्मशान हेतु पंचायत स्तर पर जमीन उपलब्ध कराने से संबंधित कार्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संचालित नहीं किया जाता है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, यह सर्वविदित है कि जो भूमिहीन लोग हैं चाहे जिस वर्ग के भी लोग हैं, मेरे हाथ में कम–से–कम दो दर्जन ऐसे उदाहरण हैं कि समुचित श्मशान के अभाव में गरीब भूमिहीन...

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह इस विभाग से संबंधित नहीं है ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, गरीब भूमिहीन, माननीय मंत्री जवाब दूसरा पढ़ दिये, जो हमारा संकल्प था उससे अलग जवाब पढ़ दियें ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री ने उससे संबंधित जवाब पढ़ा है लेकिन श्मशान के बारे में उन्होंने कहा कि यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित नहीं है ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, ठीक है । हम सरकार को सुना रहे हैं, यह राजस्व एवं भूमि सुधार का मामला नहीं है, यह सरकार का मामला है । महोदय, हमारा यह कहना है कि आज कोई प्रश्नोत्तर काल नहीं है, यह संकल्प है । महोदय,

हमारा यह कहना है कि ऐसे दो दर्जन उदाहरण हैं कि श्मशान के अभाव में मजबूर हो कर लोग अपने घर और दरवाजे पर अपने माता–पिता का शव दाह किये हैं। महोदय, मेरा मतलब बिहार में गरीबी है, भूमिहीन लोग हैं....

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, आप अपनी राय दे दीजिये ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, मेरी बात सुन ली जाय । उसके बाद पर्चाधारियों को कब्जा दिलाने का मामला है । मैं व्यक्तिगत रूप से....

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, यह बहस, यह प्रश्नोत्तर काल तो है नहीं....

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, हम बहस नहीं कर रहे हैं । जवाब दें माननीय मंत्री । सरकार के माननीय मंत्री जी ने गलत जवाब पढ़ दिया, हमारा यह है कि स्पेशल ड्राइव चलाकर....

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, आप अपनी राय दे दीजिये ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, राय नहीं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, यह बहस का समय नहीं है ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, विशेष....

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, आप प्रस्ताव वापस लें और आप राय दे दें । सरकार राय नोट कर रही है ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, मैं इस आशा के साथ प्रस्ताव वापस लेता हूँ कि विशेष अभियान चलाकर सरकार भूमिहीन पर्चाधारियों को कब्जा दिलावे ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–27 : श्री भरत बिन्द, स०वि०स०</u>

श्री भरत बिन्द : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला के चाँद प्रखंड कर्मनासा चाँद नहर रोड से ग्राम–नौकटा से ग्राम–वीउरी तक कच्ची सड़क होने के कारण राहगीरों को लगभग 15 कि०मी० घुमकर जाना पड़ता है। उक्त कच्ची सड़क को पक्कीकरण करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री मो० जमा खान, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिला के चाँद प्रखंड कर्मनासा चाँद नहर रोड से ग्राम–नौकटा से ग्राम–वीउरी तक पथ वर्तमान समय में कच्ची है । सुलभ संपर्कता योजना के तहत उक्त पथ के निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक–62, दिनांक–16.02.2026 द्वारा सूचना प्राप्त हुई है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य श्री भरत बिंद जी, प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री भरत बिंद : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उस पर संज्ञान लेकर उस रोड को जल्दी पक्कीकरण करायें । प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–17 / पुलकित / 27.02.2026

क्रमांक–29 : श्री प्रमोद कुमार सिंह, स०वि०स०

श्री प्रमोद कुमार सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मदनपुर प्रखंड अन्तर्गत उमगा पर्वत पर अवस्थित 52 मंदिरों की श्रृंखला, जिसमें सभी देवी–देवताओं का वास है, जो एन.एच–19 से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर अवस्थित है, का सौंदर्यीकरण के साथ पर्यटन सुविधा हेतु रोपवे का निर्माण करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पर्यटन विभाग के द्वारा औरंगाबाद जिला अंतर्गत उमगा पहाड़ी मंदिर के पास पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष– 2014–15 में 1 करोड़ 50 लाख 28 हजार रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है । इस योजना के अंतर्गत जन सुविधाएं, 12 दूकान, 6 मंडप स्थल, पाथ–वे, पार्किंग एवं मंदिर के पाथ–वे का निर्माण इत्यादि कार्य कराया गया है । वर्तमान में उक्त स्थल पर रोपवे निर्माण के संबंध में कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री प्रमोद कुमार सिंह : सभापति महोदय, मंत्री जी वहां पर घोषणा किए थे रोपवे का, तो मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से...

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : आप निवेदन कर लीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार सिंह : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–30 : श्री नन्द किशोर राम, स०वि०स०

श्री नन्द किशोर राम : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पिछड़े और आदिवासी बाहूल्य क्षेत्र रामनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में पश्चिम चम्पारण जिले के सरकारी प्रक्षेत्र में 120 सीटों पर एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में राजकीय

चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बेतिया का संचालन किया जा रहा है । वर्तमान में पश्चिम चम्पारण के रामनगर में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है । सभी जिलों में सरकार की तरफ से एक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बनाने की योजना है जिसके तहत बेतिया में मेडिकल कॉलेज अस्पताल चल रहा है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध होगा कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री नन्द किशोर राम : मैं आसन से आग्रह करना चाहता हूं...

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सरकार ने स्पष्ट बताया कि एक जिला में एक मेडिकल कॉलेज की योजना है ।

श्री नन्द किशोर राम : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–31 : श्री संदीप सौरभ, स०वि०स०</u>

श्री संदीप सौरभ : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला अंतर्गत पालीगंज विधानसभा के रानीतालाब और आरा जिला अंतर्गत संदेश के बीच सोन नदी पर पुल निर्माण करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विषयगत स्थल से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर पर कोइलवर पुल एवं दक्षिण दिशा में अरवल के पास बदरावाद में उच्च्य स्तरीय पुल है । 15 किलोमीटर के ही अंतर में दो पुल पहले से वहां पर है । वर्तमान में पटना जिला अंतर्गत पालीगंज विधानसभा के रानी तालाब और आरा जिला अंतर्गत संदेश के बीच सोन नदी पर पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री संदीप सौरभ : सभापति महोदय, दिनांक– 20.03.2025 को सदन में यही सवाल हमने पूछा था। सरकार ने उस समय स्वीकार किया था कि 50 किलोमीटर अरवल और कोइलवर पुल के बीच की दूरी है 50 किलोमीटर । रानी तालाब पड़ता है बीचो–बीच 25 किलोमीटर पर । सरकार का यह लिखित जवाब है जिसमें उन्होंने कहा है अंत में कि तकनीकी संभाव्यता एवं संसाधन की उपलब्धता के अनुरूप पुल निर्माण पर विचार किया जाएगा । अब अचानक से 15 किलोमीटर कैसे हो गया महोदय ? यह गलत मापी की गयी है । एक बार हम मंत्री जी को पिछला जवाब खाली दे दे रहे हैं, मंत्री जी देख लें इसको । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–32 : श्री रजनीश कुमार, स०वि०स०</u>

श्री रजनीश कुमार : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला अंतर्गत तेघड़ा प्रखंड के आधारपुर बाँध (NH28) से बरौनी प्रखंड के चकिया (NH31) तक गुप्ता बाँध पर बने सड़क की जीर्णोद्धार एवं चौड़ीकरण करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित बेगूसराय जिला अंतर्गत तेघड़ा प्रखंड के आधारपुर बांध एन0एच0–28 से प्रारंभ होकर मधुरापुर, जयनगर, कसबा, परियाही चकिया रेलवे लाइन तक गंगा नदी किनारे निर्मित तटबंध गुप्ता बांध के पथ का मूल निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा वर्षों पूर्व कराया गया था । वर्ष 2020 में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल तेघड़ा द्वारा नई अनुरक्षण नीति, 2018 के अंतर्गत पथ का मरम्मती कार्य दिनांक 03.12.2022 को पूर्ण किया गया है। गुप्ता तटबंध पर निर्मित कुल लंबाई 18.4 किलोमीटर है एवं कैरिज–वे की चौड़ाई 3.75 मीटर है । पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के चतुर्थ वर्ष में है । पथ की स्थिति संतोषप्रद है । अनुरक्षण अवधि की समाप्ति के पश्चात निधि की उपलब्धता, प्राथमिकता एवं टेक्निकल फिजिबिलिटी के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रजनीश कुमार : सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि सिमरिया धाम का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हुआ है और पूरे बिहार का एक पर्यटन का हब बना है । महोदय, बहुत बड़ा एक आस्था का केंद्र है मिथिला के लोगों का, आपका भी क्षेत्र है महोदय । दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, ये मिथिला के लोग जो सिमरिया धाम आना चाहते हैं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : आप अपनी राय दे रहे हैं ।

श्री रजनीश कुमार : महोदय, आधा मिनट दिया जाए । उनको एन0एच0–28 और एन0एच0–31 पर जो लोड है उसको कम करने के लिए वहां सिमरिया पहुंचने का एक वैकल्पिक मार्ग बन सकता है । इसके चौड़ीकरण कराने की बड़ी आवश्यकता है ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री जी इसको देखियेगा ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : ठीक है ।

श्री रजनीश कुमार : और इसका थोड़ा बहुत अतिक्रमण है । अतिक्रमण मुक्त कराकर किया जाए ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री रजनीश कुमार : मैं स्वयं वापस लेता हूं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण है । अतिक्रमण मुक्त उसको कराना है और जो मरम्मत की बात हुई है । वह पूरा मरम्मत नहीं हुआ है और मैंने चौड़ीकरण की मांग की है सड़क ठीक भी बनी हुई है । यह एक बहुत बड़ा वहां सिमरिया धाम के विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है । मिथिला के लोगों को सुगमतापूर्वक वहां पहुंचने का प्रश्न है । इसलिए आग्रह है और मैं यह आशा करता हूं महोदय कि सरकार इस पर संज्ञान लेकर कराएगी इसलिए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–33 : श्री राधाचरण साह, स०वि०स०

श्री राधाचरण साह : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर जिला को मिला कर शाहाबाद को प्रमण्डल का दर्जा प्रदान एवं इसका मुख्यालय आरा में स्थापित करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है वह पहले से माननीय मंत्री जी ने, उसको स्वीकार किया है और उसका जवाब दिया है । इसलिए माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री राधाचरण साह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–34 : श्री मुरारी मोहन झा, स०वि०स०

श्री मुरारी मोहन झा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के सिंघवाड़ा प्रखंड अंतर्गत पंचायत टेक्टार के वार्ड सं० 5 में श्यामाधाम आर0डब्लू0डी0 मुख्य सड़क से जीवन झा घर होते हुए मर्दन सागर पोखरा तक नाला निर्माण करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : सभापति महोदय, प्रश्नाधीन पथ में एम0आर0 354 योजना अंतर्गत टेक्टार ठाकुरवाड़ी से रेलवे स्टेशन तक महादेव मंदिर 120 किलोमीटर के नाम से स्वीकृत है । प्राक्कलन में भूमि उपलब्धता के अनुसार पात्र पी0सी0सी0 पथ का ही प्रावधान था । पथ का निर्माण कार्य दिनांक 12.08.2025 को पूर्ण किया गया है । पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के प्रथम वर्ष में है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लें रहे हैं ?

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–35 : श्री राणा रणधीर, स०वि०स०

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह को प्राधिकृत किया गया है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत पकड़ीदयाल प्रखंड को पताही प्रखंड से जोड़ने वाले शेखपुरवा चौक (नवादा पंचायत) पर पुलिस टी०ओ०पी० थाना का निर्माण करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत शेखपुरवा चौक से पकड़ी दयाल थाना की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है तथा पताही थाना से मात्र 4 किलोमीटर है । उक्त क्षेत्र के पैतृक थाना से संपर्क पथ एवं आवागमन के साधन सुगम होने के कारण पहुंचने में बहुत कम समय लगता है । इस क्षेत्र के अंतर्गत पांच वर्षों में लूट के 01 एवं हत्या के 02 कांड प्रतिवेदित हुए हैं । इसके निकटतम थाना पकड़ी दयाल एवं पताही के द्वारा ही अपराध नियंत्रण में है। वर्तमान में शेखपुरवा चौक, नवादा पंचायत पर पुलिस टी0ओ0पी0 थाना स्थापित करने का औचित्य नहीं है । उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे । इसके साथ ही मैं प्रस्ताव अपना वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–18/हेमन्त/27.02.2026

क्रमांक–36 : श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स०

श्री राजेश कुमार सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के अन्तर्गत मोहनपुर प्रखण्ड का ग्राम पंचायत बिशनपुर बेड़ी जिसका अंचल कार्यालय एवं पुलिस थाना पूर्व से ही मोहिउद्दीन नगर प्रखण्ड में है, को अनुश्रवण पदाधिकारी पंचायती राज विभाग के पत्रांक–1103/पे०रा० पटना, दिनांक–15.03.2022 जो उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित है, के क्रम में ग्राम पंचायत बिशनपुर बेड़ी, प्रखण्ड–मोहनपुर को प्रखण्ड–मोहिउद्दीन नगर में सम्मिलित करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पंचायती राज विभाग के पत्रांक संख्या 1103, दिनांक 17.02.2022 एवं पत्रांक संख्या 7308, दिनांक 16. 12.2021 द्वारा नियमानुसार कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया है। जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से मोहनपुर प्रखंड के बिशनपुर बेड़ी पंचायत को मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में सम्मिलित किए जाने के संबंध में पंचायत स्थानांतरण के औचित्य सहित स्पष्ट मंतव्य के साथ पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त से अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेश कुमार सिंह : यह जो माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, यह 2025, मार्च में मैंने इस प्रश्न को उठाया था और आपके आदेशानुसार उस पर कमिश्नर ने भी और डीएम समस्तीपुर ने भी अपनी रिपोर्ट आपके यहां सबमिट कर दी थी मार्च में ही। तो आपसे आग्रह करेंगे कि उसको दिखवा लिया जाए।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : वही तो बोल रहे हैं कि प्रोसेस में है। अपना संकल्प वापस लें।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं वापस लेता हूं।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक–37 : श्रीमती देवंती यादव, स०वि०स०</u>

श्रीमती देवंती यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज विधानसभा में नरपतगंज नगर पंचायत के वार्ड सं०–13 वार्ड सं०–20, पिथौरा पंचायत के वार्ड सं०–5, मानिकपुर पंचायत के वार्ड सं०–06, कुशमौल पंचायत के वार्ड सं०–04, वार्ड सं०–05 और जयनगर पंचायत के वार्ड सं०–08 महादलित टोला में आवाजाही की उचित व्यवस्था करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि अभिस्तावित संकल्प सात पथों से संबंधित है, जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित चार पथों की स्थिति निम्नवत है– नरपतगंज विधानसभा में नरपतगंज नगर पंचायत बसावट को पीएमजीएसवाई–2 के योजना अंतर्गत निर्मित पथ से घोरना से जय नगर से संपर्कता प्राप्त है। नगर पंचायत वार्ड नंबर 20 को संपर्कता प्रदान करने हेतु छूटे हुए बसावट अंतर्गत एमएमजीएसवाई रोड नियर हनुमान मंदिर टू नरेश पवन हाउस, एमएमजीएसवाई रोड लेंथ 120 कि.मी., के नाम से सर्वे किया गया है जिसका सर्वे आईडी 8809 है। पिठौरा पंचायत को आरआरएसएमपी की योजना अंतर्गत निर्माणाधीन पथ एल 056 रामपुर से बेलसंडी पथ से संपर्कता

प्राप्त है। मानिकपुर पंचायत को पीएमजीएसवाई टू के योजना अंतर्गत निर्मित पथ घूरना से जय नगर से संपर्कता प्राप्त है। कुशमौल पंचायत वार्ड नंबर चार, वार्ड नंबर पांच और जय नगर पंचायत के वार्ड नंबर आठ, महा दलित टोला को छूटे हुए बसावट अंतर्गत कुशमौल वार्ड नंबर चार, सतुदास ब्राह्मण टोला से जय नगर रोड, जेबीसी नहर 250 किमी के नाम से सर्वे किया गया है, जिसका सर्वे आईडी 10821 है। निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अभिस्ताव में शेष तीन पंचायती राज विभाग से संबंधित थे, जो निम्न हैं– वार्ड संख्या 13, नरपत गंज नगर पंचायत का आंतरिक पथ, वार्ड नंबर पांच, पिठौरा पंचायत का आंतरिक पथ वार्ड नंबर छह, मानिकपुर पंचायत का आंतरिक पथ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्रीमती देवंती यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक–38 : श्री महेश पासवान, स०वि०स०</u>

श्री महेश पासवान : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत गड़हनी प्रखंड के गड़हनी में पचास गांवो की बारह हजार की आबादी को पुराना बाजार से नई बाजार जाने के लिए ओवर ब्रिज का निर्माण करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, पथ निर्माण।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि भोजपुर जिला अंतर्गत प्रश्नगत स्थल, नई गड़हनी बाजार एवं पुरानी गड़हनी बाजार का पथ नगर पंचायत गड़हनी के अधीन है। प्रस्तावित स्थल से लगभग 200 मीटर की दूरी में आरा सासाराम पथ, एस एच 12 के 17वें किलोमीटर में 12 मीटर चौड़ाई का पुल निर्मित है, जिससे यातायात परिचालन सुचारू रूप से चल रहा है।

अतः माननीय अनुरोध सदस्य अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री महेश पासवान : माननीय मंत्री से आग्रह है कि वह पुल दो फीट का है और बरसात में आने–जाने के लिए पूरी तरह आवागमन टूट जाता है। आपसे आग्रह है, आप दयालु आदमी हैं, पिछड़ा इलाका है, मंत्री जी, यह पुल बनवा दीजिए और हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक–39 : श्री विनय कुमार सिंह, स०वि०स०</u>

श्री विनय कुमार सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के सोनपुर अनुमंडल में कारागार का निर्माण करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, गृह विभाग।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : सभापति महोदय, सारण जिला के सोनपुर अनुमंडल में कारागार प्रस्ताव का निर्माण वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, अपना प्रस्ताव वापस लें।

श्री विनय कुमार सिंह : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से...

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : आप निवेदन कर दें।

श्री विनय कुमार सिंह : महोदय, व्यवहार न्यायालय सोनपुर में कार्यरत है और 60 किमी से वहां के कैदियों को जेल से लाना जाना पड़ता है। इससे सरकार के राजस्व की भी बचत होगी।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक–40 : श्री बैद्यनाथ प्रसाद, स०वि०स०</u>

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के पश्चिम भाग में केन्द्रीय विद्यालय नहीं रहने के कारण केन्द्रीय कर्मी एवं स्थानीय लोगों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार द्वारा स्थापित विषयक सक्रिय विद्यालय होता है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के कर्मी के बच्चों को शिक्षा दिया जाना है। भारत सरकार द्वारा नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु निर्धारित मानक अंतर्गत उस क्षेत्र में केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बैंक कर्मी की न्यूनतम संख्या की उपलब्धता आदि प्रमुख कारण हैं। यह विद्यालय पोषक क्षेत्र आधारित विद्यालय नहीं है। वर्तमान में सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सैन्य क्षेत्र अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय पूर्व से स्थापित है। बिहार सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने हेतु स्वयं विद्यालय स्थापित करने हेतु नये एवं आधुनिक बनाए जाने के अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें मॉडल विद्यालय स्थापित करना भी लक्ष्य में रखा गया है। वर्तमान में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में सरकार के पास इस तरह का विचार नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : महोदय, मैं तो सिर्फ...

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य, आपने अपनी बातें रख दीं। आप प्रस्ताव वापस लें।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : महोदय, प्रस्ताव तो वापस लेंगे। सिर्फ ये कह रहे हैं कि रेलवे, एसएसबी का,..

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री ने सारे औचित्य पर प्रकाश डाला। वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में भी बताया। आप अपना प्रस्ताव वापस लें।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : यहाँ तो सिर्फ यह प्रस्ताव भेजने का है महोदय,...

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

टर्न–19 / संगीता / 27.02.2026

क्रमांक–41 : श्री उमेश सिंह कुशवाहा, स०वि०स०

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह हाजीपुर–बछवारा रेल खंड के मध्य शाहपुर पटोरी एवं बासुदेवपुर चंदेल स्टेशनों के बीच 27 न० सी रेलवे फाटक कई मार्गों को जोड़ने वाली ग्रामीण कार्य विभाग की अति व्यस्त सड़क पर अवस्थित है, जो दो प्रखंडों–महनार और जंदाहा, दो अनुमंडल–महनार और महुआ तथा कई पंचायतों को जोड़ने एवं आवागमन का मुख्य मार्ग है । विभाग द्वारा इस रेलवे फाटक को बंद करने के लिए तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है । अतएव इस रेलवे फाटक को बंद करने की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगावे ।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, हाजीपुर–बछवारा रेल खंड के मध्य शाहपुर पटोरी एवं बासुदेवपुर चंदेल स्टेशनों के बीच 27 न० सी रेलवे फाटक कई मार्गों को जोड़ने वाली ग्रामीण कार्य विभाग की अति व्यस्त सड़क पर अवस्थित है, जो दो प्रखंडों–महनार और जंदाहा, दो अनुमंडल–महनार और महुआ तथा कई पंचायतों को जोड़ने एवं आवागमन का मुख्य मार्ग है । संबंधित विभाग द्वारा इस रेलवे फाटक को बंद करने के लिए तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है । अतएव इस रेलवे फाटक को बंद करने की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करती है ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–42 श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स०

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला के 16 कल्याणपुर विधान सभा अन्तर्गत कैथवलिया में निर्माणाधीन विश्व के सबसे बड़े हिन्दू मंदिर विराट रामायण मंदिर के चारो

तरफ चहारदिवारी सहित गेट का निर्माण का कार्य कर मंदिर क्षेत्र को सुरक्षित एवं संरक्षित करावे ।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के कैथवलिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर परिसर के सुरक्षा के दृष्टिकोण से चहारदिवारी एवं गेट निर्माण कार्य सहित अन्यान्य संबंधित प्रस्ताव जिला द्वारा तैयार कर विभाग को भेजने की प्रक्रिया की जा रही है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : बहुत–बहुत धन्यवाद के साथ मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आप इस काम को करवा देंगे ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक : 43 मो० सरवर आलम, स०वि०स०</u>

मो० सरवर आलम : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखण्ड, जो अनुमण्डल के लिए सभी शर्ते पूरी करती है, को अनुमण्डल का दर्जा दिलावे ।"

सभापति महोदय, जवाब आ गया है माननीय मंत्री जी ने पहले ही जवाब दे दिया है कि वे अभी विचाराधीन है लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि सर, हमारा 24 पंचायत का एक प्रखंड है, नहीं हो तो एक अतिरिक्त प्रखंड कम से कम बना दिया जाए कन्हैयावारी को, वहां से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, काफी लंबा–चौड़ा प्रखंड है तो उसमें कम से कम एक अतिरिक्त प्रखंड कर दिया जाए कोचाधामन में कन्हैयावारी को ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक : 44 श्रीमती अनीता, स०वि०स०</u>

श्रीमती अनीता : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवादा जिलान्तर्गत वारिसलीगंज प्रखण्ड में ग्राम–पैंगरी के निकट सकरी नदी में चेक डैम का निर्माण करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इस योजना पर सरकार पहले से काम कर रही है, डी0पी0आर0 तैयार है, अगले वित्तीय वर्ष में हमलोग इसका क्रियान्वयन करा रहे हैं । इसलिए माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्रीमती अनीता : धन्यवाद, मंत्री महोदय और सभापति महोदय के साथ आज लास्ट दिन है, मैं सभी अपने माननीय साथीगण और पक्ष–विपक्ष सभी के साथीगण को मैं धन्यवाद देती हूं । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक : 45 श्री जितेंद्र कुमार, स०वि०स०

श्री जितेंद्र कुमार : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालन्दा जिलान्तर्गत सरमेरा प्रखण्ड के ग्राम सेखड़ाबिगहा एवं मोहद्दीपुर का प्राथमिक विद्यालय भवन नहीं होने के कारण अन्य गाँव में चल रहा है; बच्चों के हित में सेखड़ाबिगहा एवं मोहद्दीपुर गाँव में प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिलान्तर्गत सरमेरा प्रखण्ड के ग्राम सेखड़ाबिगहा एवं मोहद्दीपुर में कोई भी विद्यालय वर्तमान में स्वीकृत नहीं है लेकिन सेखड़ाबिगहा से कुछ दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सेखड़ा, पश्चिम में प्राथमिक विद्यालय छोटी महलगांवा, दक्षिण में प्राथमिक विद्यालय, मोहम्मदपुर स्थित है, जहां अपने भवन में संचालित है, जहां सेखड़ाबिगहा के बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसी तरह से मोहद्दीपुर मुहल्ले से करीब 600 मीटर की दूरी पर स्थित नया प्राथमिक विद्यालय वंछीबिगहा एवं उत्तर में प्राथमिक विद्यालय, मोहनपुर स्थित है, जो अपने भवन में संचालित है, जहां मोहद्दीपुर के बच्चे पढ़ने जाते हैं परन्तु, चूंकि माननीय सदस्य ने यहां पर चिन्ता जतायी है, उसका हम पुनः आकलन कर लेंगे । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लें ।

श्री जितेंद्र कुमार : सभापति महोदय, सेखड़ाबिगहा और मोहद्दीपुर में वहां पर स्कूल के जो बच्चे हैं, दूसरी जगह जाते हैं, 10 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं...

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री जी ने बताया कि उस पर विचार किया जाएगा तो आप अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री जितेंद्र कुमार : जी, विचार किया जाएगा इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक : 46 श्री जितेन्द्र कुमार राय, स०वि०स०

श्री जितेन्द्र कुमार राय : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला स्थित अनुमंडलीय अस्पताल, मढ़ौरा में चिकित्सकों का कुल सृजित 30 पदों के विरूद्ध 05 चिकित्सक कार्यरत है, जो अतिरिक्त प्रभार में सदर अस्पताल, छपरा में कार्यरत है, उक्त शेष 25 रिक्त पदों पर चिकित्सकों का पदस्थापन करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला अंतर्गत अनुमंडलीय अस्पताल, मढ़ौरा के नए भवन का निर्माण हो चुका है, जिसका उद्घाटन 06.08.2025 को किया गया है । वर्तमान में रेफरल अस्पताल, मढ़ौरा में 01 मूर्च्छक, 01 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 01 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मढ़ौरा में 03 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, 01 दंत चिकित्सक पदस्थापित हैं । जिनके द्वारा अनुमंडलीय अस्पताल, मढ़ौरा के नए भवन में ही मरीजों को समुचित चिकित्सकीय सुविधा मुहैया करायी जा रही है । पूर्व में अनुमंडलीय अस्पताल, मढ़ौरा में पदस्थापित कुल–5 चिकित्सकों में से 4 चिकित्सक उच्चतर अध्ययन हेतु विरमित किए गए हैं एवं शेष 01 चिकित्सक को अनुमंडलीय अस्पताल, मढ़ौरा तत्समय क्रियाशील नहीं रहने के कारण सदर अस्पताल, छपरा में कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिन्हें पुनः अनुमंडलीय अस्पताल, मढ़ौरा में कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है । आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर रिक्त पदों पर पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि संकल्प वापस लें ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लें ।

श्री जितेन्द्र कुमार राय : संकल्प वापस ले रहे हैं लेकिन सरकार के संज्ञान में देना चाहता हूं कि अनुमंडलीय अस्पताल के उद्घाटन हुए 6 महीना से ऊपर हो गया तो अनुमंडलीय अस्पताल संचालित कराया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक : 47 श्री अनिल सिंह, स०वि०स०</u>

श्री अनिल सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के बच्चों के लिए बैकलॉग की व्यवस्था करते हुए उम्र सीमा में छूट दिए जाने का प्रावधान बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2019 में करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, ये (EWS) कैटेगरी के लिए जो हमलोगों ने रिजर्वेशन का प्रावधान किया है, यह केंद्र सरकार द्वारा जो अधिनियम बनाया

गया है, जो एक्ट बनाया गया है, उसी को हूबहू लागू करने के लिए हमलोगों ने यहां नियमावली बनायी है । एक्ट, जो भारत सरकार ने बनायी है, वह पूरे देश में लागू है । हमलोगों ने सिर्फ यहां नियमावली बनायी है कि कैसे लागू करें, न उस अधिनियम में यह प्रावधान है क्योंकि जो एस0एस0एस0टी0 के लिए है या अन्य लोगों के लिए, जो केंद्र सरकार के अधिनियम से लागू है, उसमें यह प्रावधान है लेकिन इस अधिनियम में केंद्र सरकार ने भी यह प्रावधान नहीं किया है या अन्य राज्यों में भी जो (EWS) कैटेगरी है, उसमें भी यह प्रावधान लागू नहीं है, इसलिए अभी यहां यह सरकार के विचाराधीन नहीं है । इसलिए हम माननीय सदस्य से आग्रह करते हैं कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लें ।

टर्न–20 / यानपति / 27.02.2026

श्री अनिल सिंह : सभापति महोदय, मैं यही तो आग्रह माननीय मंत्री महोदय से, वापस तो लेना है महोदय, लेकिन अन्य वर्गों एस0सी0 / एस0टी0, ओ0बी0सी0 को जब आपने आरक्षण दिया है, उम्र सीमा में छूट दी है, शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए दिया है ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि केंद्रीय...

श्री अनिल कुमार : महोदय, मेरी बात भी एक मिनट सुन ली जाय । तो मैंने वही प्रस्ताव लाया है, मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि इसपर अग्रेतर कार्रवाई करे और भारत सरकार से अगर मार्गदर्शन प्राप्त करने की जरूरत हो या लिखना हो तो वह लिखकर यहां से बिहार सरकार को संसूचित करके इसे...

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री अनिल सिंह : महोदय, महोदय...

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री जी ने आपकी बात नोट कर लिया है ।

श्री अनिल सिंह : महोदय, पांच प्रदेश में लागू है महोदय, उम्र सीमा में छूट दी गई है मध्य प्रदेश में । मैं चाहूंगा सरकार इसको संज्ञान में ले और इसकी सूचना प्राप्त करे और हम चाहेंगे कि इसको लागू करे । इस आग्रह के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–48 : श्री दामोदर रावत, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–49 : श्री नचिकेता, स०वि०स०

श्री नचिकेता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर विधान सभा क्षेत्र में एन0एच0–80–सफियाबाद के भागीचक–रामनगर होते हुए छोटी आशिकपुर में अवस्थित रेल पुल के ऊपर ब्रिज बनाने हेतु ईस्ट कॉलोनी तक टू लेन सड़क का निर्माण करावे।"

सभापति (श्री आलोक कुमार मेहता) : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर विधान सभा क्षेत्र में एन0एच0–80 सफियाबाद के भागीचक रामनगर होते हुए छोटी आशिकपुर में अवस्थित रेलवे अंडरपास के स्थान पर आर0ओ0बी0 के निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक संख्या–1398, दिनांक–22.02.2026 को, अभी तुरंत, के द्वारा हमलोगों ने पूर्व रेलवे से अनुरोध कर दिया है ।

श्री नचिकेता : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं । धन्यवाद ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । श्री निरंजन कुमार मेहता । पुट नहीं हुआ है ।

क्रमांक–50 श्री निरंजन कुमार मेहता, स०वि०स०

अध्यक्ष : अभी निरंजन मेहता जी अनुपस्थित थे, उनकी जगह पर प्राधिकृत किया है उन्होंने श्री ललित नारायण मंडल जी को । पढ़ दीजिए। निरंजन कुमार मेहता जी वाला पढ़ दीजिए, आपको प्राधिकृत किया गया है।

श्री ललित नारायण मंडल : महोदय, वह वापस हो गया है ।

अध्यक्ष : वापस हो गया है ।

क्रमांक–51 श्री मुरारी पासवान, स०वि०स०

श्री मुरारी पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला के विधान सभा क्षेत्र सं०–154, पीरपैंती में स्थित पीरपैंती रेलवे स्टेशन है। उक्त स्टेशन मालदा रेल मंडल के अन्तर्गत में है। उक्त रेलवे मंडल को यहां से राजस्व की अधिप्राप्ति अत्यधिक होने के कारण ट्रेन संख्या–13415/13416 की ठहराव हेतु भारत सरकार से सिफारिश करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के विधान सभा क्षेत्र 154 पीरपैंती में स्थित पीरपैंती रेलवे स्टेशन मालदा रेलवे मंडल के अंतर्गत है । उक्त रेलवे मंडल को यहां से राजस्व की अधिप्राप्ति अधिक होने के बावजूद भी ट्रेन संख्या–13415/13416 का ठहराव नहीं होता है । उक्त ट्रेन का ठहराव पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर करने हेतु रेल मंत्रालय भारत सरकार से सिफारिश करती है ।

अध्यक्ष : स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–52 : श्री बीरेन्द्र कुमार, स०वि०स०

श्री बीरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के रोसड़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत लादा कृषि विज्ञान केन्द्र, चहारदीवारी विहीन है, जिसके कारण कृषि वैज्ञानिकों को अनुसंधान कार्य एवं उन्नत बीज निर्माण तथा सरकारी संपत्ति की सुरक्षा में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः समस्तीपुर जिला के रोसड़ा विधान सभा अंतर्गत स्थित लादा कृषि, के चारों ओर चाहरदीवारी का निर्माण करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री रामकृपाल यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कृषि विज्ञान केंद्र पूर्णतः केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत संचालित संस्थान है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् आई0सी0ए0आर0 नई दिल्ली के अधीन कार्य करता है तथा प्रशासनिक रूप से डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के क्षेत्राधिकार में आता है । अतः इसके अवसरंचना संबंधी कार्यों की स्वीकृति एवं वित्तीय प्रावधान संबंधित केंद्रीय संस्थाओं के स्तर पर किया जाता है । इस संबंध में डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा द्वारा पत्रांक संख्या–222, दिनांक–28.05.2025 के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र, लादा सहित विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुल पांच कृषि विज्ञान केद्रों में चहारदीवारी निर्माण हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत निधि उपलब्ध कराने के लिए परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्रालय को भेजा गया था । माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा दिनांक–02.12.2025 को जारी पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि पी0एम0आर0के0वी0वाई0 योजना के तहत वित्तीय सहायता केवल उन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई जाती है जिन्हें राज्यस्तरीय स्वीकृति समिति तथा मंत्रालय के परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा स्वीकृत किया गया हो । साथ ही इस योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्थान को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है तथा सरकारी या निजी परिसरों में चहारदीवारी निर्माण के लिए इस योजना के अंतर्गत फंडिंग की अनुमति भी नहीं है । वर्तमान विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2026–31 की अवधि के लिए ई0एफ0सी0 के प्रस्ताव के अंतर्गत इस कार्य हेतु आवश्यक निधि की मांग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से की गई है जिस पर संबंधित स्तर पर विचार किया जा रहा है । निधि उपलबध्ता होते ही चहारदीवारी के निर्माण का कार्य करा लिया जायेगा । मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि कृपया इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : वापस ले लीजिए, स्पष्ट जवाब आया है ।

श्री बिरेन्द्र कुमार : महोदय, वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–53 श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स०वि०स०

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव दलीय आधार पर करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पंचायत के चुनाव बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 2006 एवं बिहार राज्य निर्वाचन नियमावली के आधार पर कराये जाते हैं । दलीय आधार पर पंचायत के चुनाव कराये जाने से संबंधित प्रस्ताव अभी सरकार के अधीन विचाराधीन नहीं है । हालांकि महोदय ऐसा विषय है, इससे जुड़े हुए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, राजनीतिक दलों या आमलोगों के बीच विचार–विमर्श होना चाहिए और अगर आम सहमति बनती है तो इसको किया जा सकता है । माननीय सदस्य से अभी अनुरोध है कि प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : महोदय, हर राज्य में दलीय आधार पर चुनाव होता है, जिला परिषद्, मुखिया, वार्ड कमिश्नर का, सिर्फ बिहार में नहीं होता है । मेरा आग्रह होगा सरकार से कि सभी दलीय नेताओं से विचार–विमर्श करके, अभी समय है पांच–छः महीना, इसका निर्णय हो जाय महोदय ।

अध्यक्ष : आग्रह कर लीजिए । आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : ठीक है सर । आपका जैसा विचार हो, वापस ले लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–54 श्रीमती शालिनी मिश्रा, स०वि०स०

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के कल्याणपुर प्रखंड के राजपुर पंचायत के बहुआरा (कैथवलिया) में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर परिसर की बाउंड्री कराते हुए उसमें पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल जी की प्रतिमा की स्थापना करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पांडे : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि बिहार मंदिर चहारदवारी निर्माण योजना का प्रशासी विभाग गृह विभाग विशेष शाखा है तदालोक में पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के कल्याणपुर प्रखंड के राजपुर पंचायत के बहुआरा, कैथवलिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर परिसर की चहारदीवारी निर्माण के संबंध में

नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु विधि विभागीय पत्रांक–1735, दिनांक–25.02.2026 के द्वारा गृह विभाग, पटना से अनुरोध किया गया है ।

(क्रमशः)

टर्न–21/मुकुल/27.02.2026

श्री मंगल पांडे, मंत्री : साथ ही, पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल की प्रतिमा की स्थापना के प्रस्ताव में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की सहमति है । अतएव माननीय सदस्या से अनुरोध है कि ये अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूं । आदरणीय किशोर कुणाल जी सामाजिक, आध्यात्मिक और धार्मिक आदर्श रहे हैं हमलोगों के । उनकी प्रतिमा सिर्फ बनाना और लगाना सिर्फ हमारी भावना नहीं है, पूरे बिहार की इसमें भावना है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया वापस ले लें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : इसलिए इस पर सहमति सरकार दे रही है, मैं धन्यवाद देती हूं और अपना प्रस्ताव वापस करती हूं यह कहते हुए कि इसे जल्द से जल्द करवा लिया जाए ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–55 श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स०</u>

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह छपरा जंक्शन से गोमती नगर, लखनऊ के बीच चलने वाली ट्रेन सं० 15113 एवं 15114 का ठहराव गोपालगंज जिले के रतनसराय स्टेशन पर करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, छपरा जंक्शन से गोमती नगर, लखनऊ के बीच में चलने वाली ट्रेन सं0–15113 एवं 15114 का ठहराव गोपालगंज जिले के रतनसराय स्टेशन पर करने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करती है ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : धन्यवाद सर ।

अध्यक्ष : यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>क्रमांक–56 श्री आबिदुर रहमान, स०वि०स०</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक–57 : श्री अजीत कुमार, स०वि०स०</u>

श्री अजीत कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कांटी प्रखंड के दामोदरपुर–शेरूकाही RWD पथ, पकड़ी बाँध से चमरूआ NH भाया मधुबन, नरसंडा, बंगरा, रौतनीया RWD पथ, एवं मड़वन टेढ़ी पुल से बड़कागॉव भाया RWD सड़क को PWD से अधिग्रहण कराकर उक्त तीनों सड़क का जीर्णोद्धार करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री मो0 जमा खान : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ 3 (तीन) पथों से संबंधित है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है–

1. दामोदरपुर–शेरुकांही आर0डब्ल्यू0डी0 पथ :– पथ की लम्बाई–6.500 कि0मी0 है, जिसका मरम्मति कार्य ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम योजनान्तर्गत कराया जा चुका है । कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि–25.09.2025 है ।

2. पकड़ी बांध से चमरूआ एन0एच0 भाया मधुबन, नरसंडा, बंगरा, रौंतनीया आर0डब्ल्यू0डी0 पथः– इस पथ में कुल पांच पथ सम्मिलित हैः–

(1) नरसंडा से पकड़ी भाया धमौली रामनाथः– पथ की लम्बाई–3.550 कि0मी0 है, जिसका मरम्मति कार्य ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम योजनान्तर्गत कराया जा रहा है । एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि–30.07.2025, कार्य समाप्ति की तिथि–29.07.2026 है । पथ का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

(2) नरसंडा से मानिकपुर नरोहन तकः– पथ की लम्बाई–3.750 कि0मी0 है जो बिहार ग्रामीण पथ नई अनुरक्षण नीति–2018 योजनान्तर्गत निर्मित है । पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के चतुर्थ वर्ष में है ।

(3) पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड से मुबारकपुर स्कूल तकः– पथ की लम्बाई–0.240 कि0मी0 है जिसका मरम्मति कार्य ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम योजनान्तर्गत कराया जा रहा है । एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि–30.07.2025, कार्य समाप्ति की तिथि–29.07.2026 है ।

(4) मुजफ्फरपुर देवरिया पी0डब्ल्यू0डी0 पथ मुबारकपुर गांव से बंगरा चौक भाया मजार तकः– पथ की लम्बाई 3.200 कि0मी0 है, जिसका मरम्मति कार्य ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम योजनान्तर्गत कराया जा रहा है । एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि–06.10.2025, कार्य समाप्ति की तिथि–05.10.2026 है ।

(5) मिठनपुरा से महम्मदपुर सुबे पथः–पथ की लम्बाई 2.450 कि0मी0 है जिसका मरम्मति कार्य बिहार ग्रामीण पथ नई अनुरक्षण नीति–2018 योजनान्तर्गत निर्मित है । पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के द्वितीय वर्ष में है ।

3. मड़वन टेढ़ी पुल से बड़कागांव भाया आर0डब्ल्यू0डी0 सड़कः– इस पथ में कुल दो पथ सम्मिलित है जो मड़वन तेरियापुर से ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जी संक्षेप में कर लीजिए । आप जवाब की एक प्रति माननीय सदस्य को दे दीजिए ।

श्री मो0 जमा खान : मड़वन तेरियापुर से चैनपुर पथः– पथ की लम्बाई 7.300 कि0मी0 है जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हो चुका है । पथ का सर्वे आई0डी0 1574 है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संक्षेप कीजिए ।

श्री मो0 जमा खान : पी0डब्ल्यू0डी0 वाया चक से बड़कागांव तक पथः–पथ की लम्बाई 3.200 कि0मी0 है जिसका मरम्मति कार्य ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम योजनान्तर्गत कराया जा रहा है । एकरारनामा के अनुसार....

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य से तो पूछ लीजिए, अगर वे संतुष्ट होकर वापस ले लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री अजीत कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं । महोदय, सड़क की दुर्दशा को देखते हुए सदन के समक्ष मैं इस सवाल को लाया हूं । महोदय, माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं, पूरे जवाब को हम चुनौती देते हैं महोदय, यह टेंडर हुआ है, काम 10 मीटर करके छोड़ दिया और इन तीनों सड़क पर दोनों तरफ गरीबों का 90 परसेंट लम्बी बस्ती है और महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री पुनः इन बातों को देखकर निश्चित तौर पर इनका निदान करेंगे । आप प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री अजीत कुमार : महोदय, ये तीनों सड़क को पी0डब्ल्यू0डी0 में टेकओवर करा दिया, महोदय मैं कोई नई बात थोड़े ही कह रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं आर0डब्ल्यू0डी0 इसको नहीं करा पा रही है, पी0डब्ल्यू0डी0 में इसको ट्रांसफर करा दिया जाए और महोदय सड़क बना दिया जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रस्ताव वापस ले लीजिए । मंत्री जी ने कहा है कि इसको दिखवाते हैं, कृपया आप प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अजीत कुमार : हुजूर के हुक्म से प्रस्ताव वापस लेते हैं, ये इन तीनों रोड को....

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–58 श्री रामानन्द मंडल, स०वि०स०</u>

श्री रामानन्द मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखण्ड अन्तर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय रसूलपुर में 11.08.2015 को विद्यालय भवन निर्माण हेतु 1.20 करोड़ प्राक्कलन राशि आवंटन किया गया, पर आज तक विद्यालय भवन नहीं बना, सरकार विद्यालय भवन का निर्माण करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जो एम0के0 इन्टरप्राइजेज को यह काम सौंपा गया था प्रक्रिया पूरी करने के बाद, लेकिन यह काम शुरू इसलिए नहीं हुआ कि वहां पर 15 फीट से ज्यादा गड्ढे थे । अतः जो वैकल्पिक व्यवस्था में स्कूल चल रहा है और वर्तमान में हमलोगों ने कार्रवाई की है कि सही जमीन उपलब्ध हो, जैसे ही उपलब्ध होगा उम्मीद है कि एक महीने के अंदर यह जमीन वहां के जिलाधिकारी ने कहा कि वह दे देंगे । उसके बाद हमलोग निश्चित रूप से इसका कार्य शुरू करके निर्माण कार्य पूरा करा देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : कृपया माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–59 श्री राम सिंह, स०वि०स०

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चंपारण जिला के बगहा पुलिस जिला को मुख्यालय से सुदुर गॉव की दूरी को ध्यान में रखते हुए बगहा को राजस्व जिला बनावे।"

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पढ़ चुके हैं । माननीय मंत्री जी से जवाब ले लीजिए ।

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं कह देना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी का जवाब हो गया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, वादा किये हैं आप कृपया वापस ले लें ।

श्री राम सिंह : नहीं–नहीं महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी यात्रा में गये हैं वह कहकर आये हैं और मैं वहां के भौगोलिक दृष्टि को दर्शाते हुए, एस0सी0/एस0टी0 बहुल क्षेत्र है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार का आपके पक्ष में उत्तर हुआ है, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए । सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि सरकार इस पर विचार करेगी, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री राम सिंह : धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–22/धिरेन्द्र/27.02.2026

क्रमांक–60 : श्री संतोष कुमार निराला, स॰वि॰स॰

श्री संतोष कुमार निराला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बक्सर जिला अंतर्गत राजपुर विधान सभा के राजपुर प्रखण्ड में कुल–19 पंचायत है। अधिकांश पंचायत प्रखण्ड मुख्यालय से 20 या 25 कि०मी० की दूरी पर

अवस्थित है। परिसीमन उपरांत धनसोई में नया प्रखण्ड कार्यालय स्थापित करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिलांतर्गत राजपुर प्रखंड के धनसोई बाजार को नया प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में जिला पदाधिकारी, बक्सर से प्रखंड पुनर्गठन संबंधी औचित्य सहित स्पष्ट मंतव्य के साथ विहित प्रपत्र में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् विहित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार प्रखंड गठन की कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वापस ले लीजिये ।

श्री संतोष कुमार निराला : अध्यक्ष महोदय, पुरानी मांग है, वर्ष 2010 से है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसीलिए वापस ले लीजिये ।

श्री संतोष कुमार निराला : अध्यक्ष महोदय, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहे थे, सरकार भी चाहती है और 20–25 किलोमीटर की दूरी पर प्रतिदिन लोग अपने कामों को लेकर राजपुर मुख्यालय जाते हैं तो जनहित में हमारा सरकार से आग्रह है कि आने वाले दिनों में अगले वित्तीय वर्ष में....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब वापस ले लीजिये ।

श्री संतोष कुमार निराला : महोदय, निश्चित तौर पर धनसोई को नया प्रखण्ड बनायें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–61 श्री भगवान सिंह कुशवाहा, स॰वि॰स॰</u>

श्री भगवान सिंह कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह किला एवं संग्रहालय को राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जगदीशपुर स्थित वीर कुंवर सिंह किला को बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल, अवशेष एवं कला निधि अधिनियम, 1976 के अंतर्गत राजकीय सुरक्षित घोषित स्मारक है । संग्रहालय निदेशालय द्वारा उक्त परिसर में संग्रहालय संचालित हो रहा है, जहाँ प्रतिदिन पर्यटकों, दर्शकों का आगमन होता है । महोदय, बाबू वीर कुंवर सिंह स्मृति संग्रहालय, जगदीशपुर, भोजपुर के संग्रहालय भवन के जीर्णोद्धार एवं शौचालय निर्माण समर्सिबल पम्प का अधिष्ठापन, सेप्टिक टैंक, सोक पिट आदि

कार्य के लिए 20 लाख 60 हजार 700 रुपये की तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विभागीय पत्रांक–491, दिनांक–01.11.2024 निर्गत किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध होगा कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वापस ले लीजिये ।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार के दरम्यान जगदीशपुर गए थे और बहुत चिरपरिचित मांग है पर्यटन स्थल बनाने का । माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि उस संग्रहालय को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बावजूद भी माननीय मंत्री जी उसको नहीं बनवा रहे हैं या सकारात्मक पहल नहीं कर रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्य होगा । इसलिए मैं पुनः माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री के सम्मान, प्रतिष्ठा और घोषणा को ख्याल में रखते हुए इसको शीघ्र ही पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाय, क्योंकि सार्वजनिक रूप से उन्होंने घोषणा किया था ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वापस ले लीजिये । आप आग्रह कर चुके है, अब वापस ले लीजिये ।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा : महोदय, माननीय मंत्री जी कुछ तो बोलें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वापस ले लीजिये । आपने आग्रह किया और मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया ।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा : महोदय, कहें कि इस दिशा में पहल करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने आपका स्वीकार किया है । अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : महोदय, जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत राजकीय सुरक्षित घोषित पुरातात्विक स्थल बाबू वीर कुंवर सिंह स्मृति संग्रहालय, जगदीशपुर के जीर्णोद्धार हेतु पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में पूर्व में दी गई उपरोक्त राशि की प्रशासनिक स्वीकृति के अतिरिक्त यदि अन्य कार्य करना आवश्यक हो तो तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा : महोदय, मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, शेष गैर–सरकारी संकल्प की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है और सदन की सहमति से इन संकल्प की सूचनाओं को गैर–सरकारी संकल्प समिति के विचारार्थ सुपुर्द किया जाता है ।

शेष गैर–सरकारी संकल्प को पढ़ा हुआ माना गया

क्रमांक–62 श्री रूहेल रंजन, स०वि०स०

श्री रूहेल रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला अंतर्गत एकंगरसराय प्रखंड के तेल्हाड़ा (प्राचीन तिलाधक महाविहार/तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय) के ऐतिहासिक, शैक्षिक एवं बौद्ध विरासत महत्व का जगह है, जिसका उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा किया गया है। तेल्हाड़ा में लगभग 700 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध है तथा स्थल पर एएसआई एवं बिहार पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई में मठ, विहार, स्तूप एवं अन्य पुरावशेष प्राप्त हुए हैं।

अतः सरकार उक्त स्थल को समुचित रूप से संरक्षित करते हुए तेल्हाड़ा (तेलाधक महाविहार) विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना करावे।"

क्रमांक–63 श्री रमेश ऋषि, स०वि०स०

श्री रमेश ऋषि : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिलान्तर्गत सिंहेश्वर प्रखंड में वर्ष–2019–20 में अनुसूचित जन–जाति के आवासीय विद्यालय निर्माण हेतु निविदा निकाली गयी थी, लेकिन आज तक विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ है।

अतः जनहित में उक्त प्रखंड में अनुसूचित जन–जाति के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण करावे।"

क्रमांक–64 श्री देवेशकान्त सिंह, स०वि०स०

श्री देवेशकान्त सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सिवान जिलान्तर्गत सारण गंडक मुख्य नहर के आर. डी. 164.30 (50.09 कि.मी.) से निःसतृत रामपुर वितरणी नौतन से कन्हौली तक 19.20 कि.मी. गड्ढ़े में तबदील सेवापथ सड़क का प्रशासनिक स्वीकृति देकर पक्कीकरण करावे।"

क्रमांक–65 श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स०

श्री सुधांशु शेखर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत हरलाखी विधानसभा के मधवापुर प्रखंड के नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में एक कस्टम कार्यालय की स्थापना करावे।"

<u>क्रमांक–66 श्री माँशरीक मृणाल, स०वि०स०</u>

श्री माँशरीक मृणाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत मुक्तापुर रेलवे गुमटी में बनने वाले ROB के लिए शहर की तरफ से तीन पहुँच पथ के साथ चढ़ने की व्यवस्था में से एक मथुरापुर इलमासनगर RCD पथ में सारी चौक से मन्नीपुर होते हुए मुक्तापुर रेलवे गुमटी तक एवं दूसरी नगरबस्ती से मोहिउद्दीनपुर होते हुए शेखोपुर से मुक्तापुर रेलवे गुमटी तक तथा तीसरी समस्तीपुर दरभंगा एन०एच० की तरफ से ये तीनों पहुँच पथों के साथ एकल पथ से उस पार उतरने वाले पूर्व के प्रस्तावित योजना के अनुरूप ROB का निर्माण करावे।"

<u>क्रमांक–68 श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी, स०वि०स०</u>

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अंतर्गत कदवा प्रखंड के 30 पंचायतें सम्मिलित हैं, जिससे प्रशासनिक दायरा अत्यंत विस्तृत है। महानंदा नदी के पूर्वी तट पर अवस्थित 12 पंचायतों का क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से विशिष्ट एवं पृथक स्वरूप वाले 1.5 लाख की आबादी वाला क्षेत्र को "बलिया बेलौन" के नाम से नया प्रखंड की दर्जा प्रदान करावे।"

<u>क्रमांक–69 श्री शुभानंद मुकेश, स०वि०स०</u>

श्री शुभानंद मुकेश : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान 'अंगिका भाषा' को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करावे।"

<u>क्रमांक–70 श्री तारकिशोर प्रसाद, स०वि०स०</u>

श्री तारकिशोर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह पथ प्रमंडल कटिहार अंतर्गत गोविन्दपुर चौक से हसनगंज भाया चाँपी 6.2 किलोमीटर लंबी पथ में एक उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल सहित पथ का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण का निर्माण करावे।"

क्रमांक–71 श्रीमती कविता देवी, स०वि०स०

श्रीमती कविता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत कोढ़ा प्रखण्ड में पाँच वर्ष पूर्व में स्वीकृत ग्रीड सब स्टेशन के लिए जमीन अधिग्रहण कर इसी वित्तीय वर्ष में उक्त ग्रीड सब स्टेशन का निर्माण करावे।"

क्रमांक–72 श्रीमती संगीता कुमारी, स०वि०स०

श्रीमती संगीता कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला के मोहनिया विधान सभा अंतर्गत दुर्गावती मुख्य नहर एवं उसके सभी वितरणियों का पक्कीकरण करावे।"

क्रमांक–73 श्रीमती मनोरमा देवी, स०वि०स०

श्रीमती मनोरमा देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गयाजी जिला अंतर्गत नगर प्रखण्ड परिसर के सामने गाँधी स्मारक में स्तंभ पर स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अंकित था, उक्त परिसर के सौंदर्यीकरण एवं रंग रोगन के कारण स्वतंत्रता सेनानियों का अंकित नाम मिट गया है। जनभावना के अनुरूप पुनः उक्त स्तम्भ पर पन्ना लाल गोप सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अंकित करावे।"

क्रमांक–74 श्री संजय कुमार, स०वि०स०

श्री संजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना तथा मधुबनी में इंडियन इंस्टिच्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैंनेजमेंट (IITTM) की एक–एक शाखा खोलने की सिफारिश केन्द्र सरकार से करावे।"

क्रमांक–75 श्री ललित नारायण मंडल, स०वि०स०

श्री ललित नारायण मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला अन्तर्गत शाहकुण्ड प्रखंड के सजौर में अवस्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र सजौर के जीर्ण शीर्ण भवन का पुनर्निर्माण करावे।"

क्रमांक–76 श्रीमती छोटी कुमारी, स०वि०स०

श्रीमती छोटी कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 1677 दिनांक–18.02.2025 द्वारा मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी से छपरा–टेकनिवास एवं छपरा–बलिया रेल खंड पर ROB चालू होने के उपरान्त समपार संख्या 51A एवं 5A/3E बंद करने हेतु जो अनुरोध किया गया है, इसे आमजनों के आपातकालीन यात्रा बाधित होने के मद्देनजर तत्काल रोकने हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करावे।"

क्रमांक–77 श्री नितेश कुमार सिंह, स०वि०स०

श्री नितेश कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिला अंतर्गत 58–कसबा विधानसभा क्षेत्र के कसबा प्रखंड जो अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, निरंतर बढ़ती जनसंख्या और एक प्रमुख व्यवसायिक केंद्र होने के बावजूद विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए पूर्णिया जिला मुख्यालय पर निर्भर है, उसे प्रशासनिक और सार्वजनिक सुविधाओं के बेहतर वितरण के लिए जनहित में अनुमंडल का दर्जा प्रदान करावे।"

क्रमांक–78 मो० तौसीफ आलम, स०वि०स०

मो० तौसीफ आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला अन्तर्गत प्रखंड बहादुरगंज के पंचायत चिकाबाड़ी के चुनीमाड़ी धार पर पूल का निर्माण करावे।"

क्रमांक–79 श्री संजय कुमार पाण्डेय, स०वि०स०

श्री संजय कुमार पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण जिला के नरकटियागंज प्रखण्ड स्थित बनबरिया शिव मंदिर जो धार्मिक स्थल है, जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराते हुए पर्यटन स्थल के साथ शिव सर्किट के रूप में घोषित करावे।"

क्रमांक–80 श्री मिथिलेश तिवारी, स०वि०स०

श्री मिथिलेश तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण मुख्य तटबंध के किलोमीटर 80 से किलोमीटर 120 के बीच पूर्व से निर्मित 3.75 मीटर चौड़ा बांध के शीर्ष का चौड़ीकरण करते हुए किलोमीटर 40 से 80 की भांति बैकुण्ठपुर प्रखंड के आशा खैरा किलोमीटर 80 से बरौली प्रखंड के सरफरा

किलोमीटर 120 के बीच 6 मीटर चौड़ा बांध का उच्चीकरण एवं कालीकरण करावे।"

क्रमांक–81 श्रीमती बेबी कुमारी, स०वि०स०

श्रीमती बेबी कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी एवं मीनापुर प्रखंड का पुनर्गठन करते हुए मीनापुर प्रखंड के नरकटिया एवं कफेन तथा बोचहाँ प्रखंड के रामपुर जयपाल, झपहां 05, जमालाबाद, झपहां 02, भीखनपुर, शहबाजपुर, शेखपुर, बड़ा जगरनाथ, अब्दुल नगर उर्फ माधोपुर पंचायतों को शामिल करते हुए भीखनपुर में मुख्यालय रखते हुए भीखनपुर प्रखंड के नाम से एक नए प्रखंड का गठन करावे।"

क्रमांक–82 श्री राजू तिवारी, स०वि०स०

श्री राजू तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोविन्दगंज विधान सभा क्षेत्र की नहरों में क्षतिग्रस्त उपवितरणी एवं आउटलेटों का पुनर्निर्माण कराकर नहरों में नए उपवितरणी एवं आउटलेट का निर्माण करावे।"

क्रमांक–83 श्रीमती सावित्री देवी, स०वि०स०

श्रीमती सावित्री देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत मुनहारा प्रमंडल के त्रिशुला नदी स्थित पूर्वी कैनाल के नव निर्मित लाइनिंग कार्य से हो रहे पानी रिसाव की जॉचोपरान्त कार्रवाई करने एवं रिसाव को बन्द करवाने तथा मध्य विद्यालय धनजैला के सामने नहर से आगे दक्षिण शेष बचे हुए लाइनिंग कार्य पूर्ण करवाकर नहर के अन्तिम छोर तक के भूमि का सिंचाई कार्य करावे।"

क्रमांक–84 श्री गुलाम सरवर, स०वि०स०

श्री गुलाम सरवर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिला अन्तर्गत डगरूआ प्रखण्ड को राष्ट्रीय राजमार्ग–31 दो भागों में विभाजित करता है। 18 पंचायतों के हजारो लोग प्रतिदिन प्रखण्ड, अंचल, थाना एवं मार्केट अपने जरूरत को पूरा करने के लिए आते है। वही बायसी प्रखण्ड मुख्यालय में भीषण सड़क दुर्घटनाएँ होती है, जिनमें लोगो की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो जाती है। बायसी एवं डगरूआ में फलाईओवर ब्रिज का निर्माण करावे।"

क्रमांक–85 श्री कुंदन कुमार, स०वि०स०

श्री कुंदन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के मध्य में स्थित बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय में राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालय स्वास्थ्य केन्द्र की प्राचीन पद्धति के संगम के दृष्टिकोण से केन्द्रीय स्तर के आयुर्वेदिक एम्स की स्थापना हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करावे।"

क्रमांक–86 श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता, स०वि०स०

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सुगौली प्रखण्ड के वर्तमान पाँच पंचायतों बगही, पंजिअरवा, करमवा, उत्तरी मनसिंघा, दक्षिणी मनसिंघा एवं बंजरिया प्रखण्डों के तीन ग्राम पंचायतों उत्तरी फुलवार, दक्षिणी फुलवार, रोहिनियॉ को मिलाकर एक नये प्रखण्ड रघुनाथपुर का सृजन करावे।"

क्रमांक–87 श्री मुरारी प्रसाद गौतम, स०वि०स०

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) का निर्माण करावे।"

क्रमांक–88 श्री रामविलास कामत, स०वि०स०

श्री रामविलास कामत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिला के पिपरा विधान सभा क्षेत्र सं०–42 अन्तर्गत उन्नत (अपग्रेड) मध्य विद्यालय–केशकटा, मध्य विद्यालय–विशनपुर नरही एवं तुंलापट्टी में वर्ग कक्ष, शौचालय, चहारदीवारी, प्रयोगशाला का निर्माण करावे।"

क्रमांक–89 श्री हरिनारायण सिंह, स०वि०स०

श्री हरिनारायण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत फतुहाँ से दनियावाँ होते नालन्दा जिलान्तर्गत नगरनौसा, माधोपुर (चण्डी) (NH-30A) एवं चण्डी से सालेपुर, नुरसराय (SH-78) होते बिहारशरीफ 17 नं० NH-20 तक की सड़क 2 लेन की है, वाहनों का लोड

अत्याधिक होने के कारण प्रायः दुर्घटनाएँ होती रहती है। आम जनता के सुलभ आवागमन एवं भारी वाहनों के परिचालन के मद्देनजर उक्त पथ को 4 लेन में परिवर्तित करावे।"

क्रमांक–90 श्री रणविजय साहू, स०वि०स०

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के ताजपुर नगर परिषद जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली है और शाहपुर पटोरी नगर परिषद में आए दिन घंटों जाम लगने की समस्या को दूर करने के लिए बाइपास सड़क का निर्माण करावें।"

क्रमांक–91 श्री शम्भू नाथ यादव, स०वि०स०

श्री शम्भू नाथ यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बक्सर जिला के सेमरी प्रखण्ड के पंचायत मझवारी के ग्राम मुकुन्दपुर में सड़क हेतु टी०2 से मुकुन्दपुर पथ (पी०एम०जी०एस०वाई० तक) नहीं है, सरकार भूमि अधिग्रहण कर उक्त पथ का निर्माण करावे।"

क्रमांक–92 श्री आसिफ अहमद, स०वि०स०

श्री आसिफ अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा पर शोध एवं उसके संस्कृति के विकास हेतु वर्ष 1976 के बंद पड़ी मैथिली अकादमी को पुनः चालू कर आवश्यक कार्ययोजना सुनिश्चित करावे।"

क्रमांक–93 श्री बशिष्ठ सिंह, स०वि०स०

श्री बशिष्ठ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत गारा–चौबे नहर एवं करगहर वितरणी में अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँचता है। उक्त नहर/वितरणी का लाईनिंग (पक्कीकरण) करावे।"

क्रमांक–94 श्री बाबुलाल शौर्य, स०वि०स०

श्री बाबुलाल शौर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिलान्तर्गत परबत्ता प्रखंड के अगुवानी से पसरहा स्टेशन होते हुए बंदेहरा तक

और बंदेहरा से बिहारी गंज तक रेल निर्माण हेतु भारत सरकार से सिफारिश करावे।"

क्रमांक–95 श्री रामेश्वर कुमार महतो, स०वि०स०

श्री रामेश्वर कुमार महतो : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में सरकार पंचायत भवन के मुख्य द्वार के प्रांगण में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सम्राट अशोक स्तम्भ का स्थापना करावे।"

क्रमांक–96 श्री राजेश कुमार मंडल, स०वि०स०

श्री राजेश कुमार मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत प्रखण्ड मनीगाछी के नेहरा हाट गाछी से गैना गोपालपुर पथ के क्षतिग्रस्त पूल के स्थान पर उच्चस्तरीय पूल का निर्माण करावे।"

क्रमांक–97 श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव, स०वि०स०

श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिला अन्तर्गत सुपौल जिला मुख्यालय होकर बहने वाली गजना नदी का जीर्णोद्धार करावे।"

क्रमांक–98 श्रीमती कोमल सिंह, स०वि०स०

श्रीमती कोमल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट विधान सभा क्षेत्र में बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना अन्तर्गत कुल 52.33 किलोमीटर लम्बाई में तटबंध निर्माण यथा बागमती बायाँ तटबंध तथा दायाँ तटबंध कें खिरोई दायॉ जैकेटिंग तटबंध निर्माण के साथ–साथ 13 अदद एंडी फ्लड स्लूईस निर्माण प्रारंभ करावे।"

क्रमांक–99 श्री कुमार सर्वजीत, स०वि०स०

श्री कुमार सर्वजीत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जी जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत–चरोखरी के ग्राम–बंदरा के सामने ढ़ाढ़र नदी पर आमजन की सुविधा हेतु पुल की स्वीकृति प्रदान करावे।"

क्रमांक–100 श्री अरूण कुमार, स०वि०स०

श्री अरूण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत दनियावां प्रखण्ड में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करावे।"

क्रमांक–101 श्रीमती अश्वमेध देवी, स०वि०स०

श्रीमती अश्वमेध देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत समस्तीपुर प्रखंड में समस्तीपुर–दरभंगा मुख्य सड़क एस.एच–50 पर स्थित पुराने ROB के समानान्तर एक नया ROB का निर्माण करावे।"

क्रमांक–103 श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स०

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जंक्शन से थाना बिहपुर जंक्शन तक बरारी घाट हाल्ट एवं महादेवपुर घाट हाल्ट के बीच रेल पुल का निर्माण कराते हुए रेल सुविधा बहाल करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करावे।"

क्रमांक–104 श्री राम चन्द्र सदा, स०वि०स०

श्री राम चन्द्र सदा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड में आनंदपुर मारपा पंचायत के कलवारा पिपरपाती के बीच कमला नदी पर पुल का निर्माण करावे।"

क्रमांक–105 श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह, स०वि०स०

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह डेहरी रेलवे स्टेशन से पूर्व दिशा में बन्द पड़े ब्रिज को डबल लेन का बनाते हुए यथाशीघ्र चालु कराने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करावे।"

क्रमांक–106 श्री विष्णु देव पासवान, स०वि०स०

श्री विष्णु देव पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह सिवान जिलान्तर्गत दरौली विधानसभा के अंदर प्रखंड में केंद्रीय विद्यालय नहीं होने के

कारण छा़त्र–छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण एवं केंद्रीय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतएव जनहित में उक्त प्रखण्ड में केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण करावे ।''

क्रमांक–107 श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, स०वि०स०

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि "वह पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया प्रखंड अन्तर्गत मधुबनी पंचायत के मधुबनी ग्राम में वार्ड नं०–6 में स्थित अडुआ नदी है, जिसमें अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पक्का बांध है, जिसमें नौ भवारी है, जिसमें स्लुईस गेट का निर्माण नहीं होने से बाढ़ के दिनों में पानी लगने से किसानों का फसल बर्बाद होने से बचाने हेतु अडुआ नदी में स्लुईस गेट का निर्माण कराव ।''

क्रमांक–108 श्री संजय कुमार सिंह, स०वि०स०

श्री संजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह हाजीपुर से लालगंज होते हुए वैशाली तक जानेवाली SH74 सड़क का चौड़ीकरण करावे।"

क्रमांक–109 श्री सुरेन्द्र प्रसाद, स०वि०स०

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत प्रखंड–पिपरासी के गाँव–चनकुहवा में आज तक किसी भी मोबाइल कंपनी का मोबाइल टावर नहीं रहने से कमजोर सिग्नल और कॉल्स कटती है, इंटरनेट नहीं चलता है, जिससे एक जगह से दूसरे जगह बात करने में काफी कठिनाई होती है।

अतः सरकार से प्रखंड–पिपरासी के गाँव–चनकुहवा में मोबाइल टावर लगावे।"

क्रमांक–110 श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स०वि०स०

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिलान्तर्गत छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त हेतू एक विश्वविद्यालय स्थापित करावें।"

क्रमांक–111 श्री सिद्धार्थ पटेल, स०वि०स०

श्री सिद्धार्थ पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली विधान सभा के गोरौल प्रखण्ड अंतर्गत पोंझा, सो–धो एवं लोदीपुर के साथ–साथ पटेढ़ी बेलसर प्रखण्ड के साईन, सोरहत्था एवं नगमा चौड़ से जल निकासी की व्यवस्था नहर में गाद भरने से पूरी तरह अवरूद्ध है; किसानों के हित में नहर की सफाई कराते हुए जल निकासी अतिशीघ्र करावे।"

क्रमांक–112 श्रीमती निशा सिंह, स०वि०स०

श्रीमती निशा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अन्तर्गत प्राणपुर प्रखंड को रोशना बाँध से काठघर, दुर्गापुर होते हुए झौआ, गुठेली तक महानंदा बाँध पर पक्की सड़क निर्माण करावे।"

क्रमांक–113 श्री रोहित पाण्डेय, स०वि०स०

श्री रोहित पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध भागलपुर एवं रेशम नगरी में बुनकरों के संरक्षण, रोजगार सृजन तथा रेशम उद्योग के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु भागलपुर में सिल्क अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करावे।"

क्रमांक–115 श्री अभिषेक रंजन, स०वि०स०

श्री अभिषेक रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण जिला के मझौलिया प्रखण्ड में अवस्थित फार्म चौक से रघुनाथपुर जाने वाले पथ में जर्जर पुल का निर्माण करावे।"

क्रमांक–116 डा० कुमार पुष्पंजय, स०वि०स०

डा० कुमार पुष्पंजय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शेखपुरा जिला अंतर्गत बरबीघा नगर क्षेत्र के निवासियों के लिये बरबीघा नगर परिषद् क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी जमीन पर पार्क का निर्माण करावे।"

क्रमांक–117 श्री सतीश कुमार साह, स०वि०स०

श्री सतीश कुमार साह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही प्रखण्ड के गिदराही गाँव के पास तिलयुशा नदी पर आर० सी० सी० पुल का निर्माण करावे।"

क्रमांक–118 श्री नीतीश मिश्रा, स०वि०स०

श्री नीतीश मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का पत्रांक 4405 दिनांक 26.12.2024 के द्वारा चिन्हित रूटों में बस परिचालन हेतु लिये गये निर्णय के आलोक में मधुबनी जिलान्तर्गत तमुरिया–पटना, भगवानपुर चौक–पटना एवं इमादपट्टी–पटना मार्ग (रूट) में सरकार शीघ्र बस का परिचालन प्रारंभ करावे।"

क्रमांक–119 श्री विमल राजवंशी, स०वि०स०

श्री विमल राजवंशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवादा जिला के रजौली में बढ़ती जनसंख्या एवं सीमावर्ती क्षेत्र की स्वास्थ्य आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय/राजकीय स्तर पर आधुनिक मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल की स्थापना हेतु भारत सरकार से सिफारिश करावे।"

क्रमांक–120 श्री राहुल कुमार, स०वि०स०

श्री राहुल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वर्ष–2016 से लागू शराबबंदी कानून के बाद राज्य में 2016 से 2024 तक नशीली दवाओं के मामले में लगभग चार गुना (2016–518 मामले एवं 2024–2411 मामले) बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। आर्थिक अपराध इकाई के आकड़ों के अनुसार 2025 तक NDPS ACT (स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम) के तहत 2411 मामलों में 1946 गिरफ्तारियाँ हुयी है।

अतः सरकार सीमावर्ती चेकपोस्ट बढ़ाने जिला स्तरीय ड्रग कंट्रोल सेल गठित करने सहित पुनर्वास केन्द्र बढ़ाने के संबंध में कार्रवाई करावे।"

क्रमांक–121 श्री विनय बिहारी, स०वि०स०

श्री विनय बिहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह ऐतिहासिक धरोहर के लिए विश्वविख्यात चम्पारण महर्षि बाल्मिकी की तपोभूमि, महात्मा बुद्ध, चाणक्य, चन्द्रगुप्त, सम्राट अशोक सहित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भी कर्मभूमि चम्पारण के बेतिया में सरकारी भूमि पर एक 'लव–कुश' के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करावे।"

क्रमांक–122 श्री कृष्णनंदन पासवान, स०वि०स०

श्री कृष्णनंदन पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के हरसिद्धि प्रखण्ड अन्तर्गत दो प्रखण्ड हरसिद्धि व सुगौली को जोड़ने वाली पथ में पानापुर बाजार के नजदीक धनौती नदी पर पूर्व से निर्मित पुल पूर्णरूपेण टूटा होने के कारण पुल का निर्माण करावे।"

क्रमांक–124 श्री केदार प्रसाद गुप्ता, स०वि०स०

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत कुढ़नी प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज नही है तुर्की टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के प्रर्याप्त जमीन पर डिग्री कॉलेज का निर्माण करावे।"

क्रमांक–126 श्री विशाल कुमार, स०वि०स०

श्री विशाल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला, प्रखंड– छौड़ादानों में रेफरल अस्पताल का निर्माण कार्य करावे।"

क्रमांक–127 श्री सुभाष सिंह, स०वि०स०

श्री सुभाष सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिलान्तर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित चनावे स्थित भूमि पर करावे।"

क्रमांक–128 श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, स०वि०स०

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कच्ची दरगाह–बिदुपुर 6–लेन सेतु का नामकरण बिदुपुर, वैशाली के रहने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय के नाम पर "अक्षयवट राय सेतु करावे।"

क्रमांक–129 श्रीमती श्वेता गुप्ता, स०वि०स०

श्रीमती श्वेता गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शिवहर जिला, जो बिहार का सबसे छोटा एवं अत्यंत पिछड़ा जिला है तथा जहां दलित एवं अल्पसंख्यक समुदाय सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े है। इनको समुचित विकास योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। पूर्व में जिलाधिकारी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव एवं वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप शिवहर जिले के प्रशासनिक विस्तार पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करावे।"

क्रमांक–130 मो० कमरूल होदा, स०वि०स०

मो० कमरूल होदा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य में लगभग 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक मक्का फसल का पैदावार होती है, समर्थन मूल्य निर्धारित कर किसानों से मक्का खरीदारी नहीं किया जाता है।

मक्का का 3000 रूपया प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित कर पैक्स के माध्यम से मक्का की खरीदारी सुनिश्चित करावे।"

क्रमांक–131 श्री अरूण माँझी, स०वि०स०

श्री अरूण माँझी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मसौढ़ी पितमास पथ में कोरियामा मोड़ से बिहटा सरमेरा पथ कल्याणपुर बाजितपुर तक ग्रामीण सड़क को पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित करावे।"

क्रमांक–132 सुश्री मैथिली ठाकुर, स०वि०स०

सुश्री मैथिली ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत अलीनगर विधान सभा क्षेत्र जो मिथिला क्षेत्र का सांस्कृतिक केन्द्र तथा राम–सीता के उपासकों की भूमि रही है, जिस कारण मिथिला के हर जन–मन की भावना के दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से 'अलीनगर' का नाम बदल कर 'सीतानगर' करावे।"

क्रमांक–134 श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, स०वि०स०

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिलान्तर्गत प्रखण्ड इस्लामनगर अलीगंज के कई पंचायत यथा कैथा, अवगिल–चौरसा, कैयार, अलीगंज, मीर्जागंज आदि पंचायतों में भू–गर्भजल लगभग 400 फीट नीचे वाले सभी पंचायतों को शुद्ध पेयजल निर्बाध रूप से आपूर्ति करावे।"

क्रमांक–135 श्री संजय कुमार सिंह, स०वि०स०

श्री संजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह घाट पर पूल, दह बाजार से कनरिया भाया कटुम्बर भाया घोघसम और राजनपुर कोसी नदी पर पूल के बीच सुगम यातायात हेतु एक व्यापक कार्ययोजना तैयार कर उसे कार्यान्वित करावे।"

क्रमांक–136 श्री अतिरेक कुमार, स०वि०स०

श्री अतिरेक कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल अनुमंडल को जिला का दर्जा दिलावे।"

क्रमांक–137 श्री जिवेश कुमार, स०वि०स०

श्री जिवेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के दरभंगा जिला स्थित जाले विधानसभा के सभी पावर सब स्टेशन (अहिल्यास्थान, खेसर, मुरैठा, सिंहवाड़ा एवं सनहपूर) को आपस में जोड़ते हुए सहनपूर पावर सब स्टेशन को मास्टर ग्रिड पावर स्टेशन में तब्दिल करावे।"

क्रमांक–138 श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, स०वि०स०

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया प्रखण्ड अंतर्गत सागर में बावन बीघा तालाब का सौंदर्यीकरण कराते हुए उक्त ऐतिहासिक स्थल सागर गढ़ का पर्यटकीय दृष्टि से विकास कार्य करावे।"

क्रमांक–139 श्री फैसल रहमान, स०वि०स०

श्री फैसल रहमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासाहन प्रखण्ड अंतर्गत भेलवा बाजार में सौ बेड का आधुनिक अस्पताल का निर्माण हेतु राज्य सरकार का जमीन उपलब्ध है, अस्पताल बनने से क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होगी और गरीब मरीजों को समय से उपचार के लिए अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति सुनिश्चित करावे।"

क्रमांक–140 श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स०

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह माँ जानकी की जन्म स्थली सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड मुख्यालय में शिक्षा विभाग भारत सरकार की उपलब्ध 26 एकड़ भूमि पर माँ जानकी भारतीय प्रबंधन संस्थान (I.I.M) की स्थापना हेतु भारत सरकार से सिफारिश करावे।"

क्रमांक–141 श्री आदित्य कुमार, स०वि०स०

श्री आदित्य कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत ढ़ोली रेलवे स्टेशन से पश्चिम सबहा–मुरौल पथ पर अवस्थित रेलवे गुमटी पर आर०ओ०बी० निर्माण हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा के आलोक में शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराने हेतु रेल मंत्रालय से सिफारिश करावे।"

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अष्टादश बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र दिनांक–02.02.2026 से प्रारंभ होकर आज दिनांक–27.02.2026 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल–19 (उन्नीस) बैठकें हुई ।

अष्टादश बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र में सभी माननीय सदस्यों ने बिहार के विकास के लिए अपनी–अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके लिए कहना चाहूँगा–

जय का केवल एक नियम है, जीना है या मरना है ।
अपना निश्चित पात्र निभाकर, भव के पार उतरना है ।।
भीष्म, द्रोण या कर्ण युधिष्ठिर, अर्जुन हो या केशव हो ।
जीवन कुरुक्षेत्र का रण है, युद्ध सभी को करना है ।।

सत्र संचालन में सबका सहयोग मुझे मिला है । हो सकता है मैंने सदन में सत्र संचालन में व्यवधान करने वाले सदस्यों को रोका–टोका है, जो हमारा धर्म है उनके लिए कहना चाहूँगा–

प्रेम हमारा मूल धर्म है, सारे सदन में बांटेंगे,
किसी साध्वी के हाथों से झूठे बेर भी खा लेंगे ।
बिना झिझक के सूर्पनखा की कुटिल नाक भी काटेंगे ।।

हम सब मिलकर पाँच वर्षों में विकसित बिहार के सपने को पूरा करेंगे।

अतः सत्तापक्ष और विपक्ष सबको बिहार विकास में अपनी आहुति देनी है–

जिनके हिस्से में जितना है, उसको उतना भरना होगा ।
सबके अपने–अपने कुरुक्षेत्र हैं, लेकर शस्त्र उतरना होगा ।।
क्षमा धर्म है लेकिन किसको ? साधु, सज्जन, सेवकजन को ।
अगर जयद्रथ को छोड़ोगे तो, अभिमन्यु को मरना होगा ।।

बिहार कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान राज्य रहा है । हमें किसानों और जवानों के लिए और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है ताकि विकसित बिहार से विकसित भारत का सपना पूरा हो सके–

धरा के कोष को हिलकोरती, श्रम की मथानी पर ।
समय के वक्ष पर उपटी, पराक्रम की निशानी पर ।।
समूचा विश्व आश्रित है, महज दो सहारे पर ।
किसानों की किसानी पर, जवानों की जवानी पर ।।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक–02.02.2026 को सेन्ट्रल हॉल में बिहार विधान मंडल के सदस्यों के एक साथ समवेत उपस्थिति में माननीय राज्यपाल का संबोधन हुआ एवं अन्य बैठकें सभावेश्म में हुई । बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित एवं माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमोदित विधेयक का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया, जिसकी सूचना अष्टादश बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई । उसी दिन प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2025–26 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति भी सदन पटल पर रखी गयी। इस सत्र में 04 (चार) जननायकों के निधन के प्रति शोक प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक–03 फरवरी, 2026 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय व्ययक को सदन में उपस्थापित करते हुए बजट भाषण दिया गया ।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक–03 एवं 05 फरवरी, 2026 को वाद–विवाद हुआ और 05 फरवरी को ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया । तत्पश्चात् धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिनांक–06 एवं 09 फरवरी, 2026 को वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक पर सामान्य विमर्श हुआ और दिनांक–09 फरवरी, 2026 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया । दिनांक–09 फरवरी, 2026 को ही प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण को भी सदन में उपस्थापित किया गया ।

दिनांक–11 फरवरी, 2026 को वित्तीय वर्ष 2025–26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित समाज कल्याण विभाग के अनुदान की माँग पर वाद विवाद प्रारंभ हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगें गिलोटिन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई । तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक से संबंधित 08 (आठ) अनुदानों की माँगें सदन में विमर्श के उपरान्त स्वीकृत हुए एवं दिनांक 20 फरवरी, 2026 को आय–व्ययक में सम्मिलित शेष अनुदानों की माँगें गिलोटिन (मुखबंध) के द्वारा स्वीकृत हुए ।

(क्रमशः)

टर्न–23/पुलकित/27.02.2026

(क्रमशः)

अध्यक्ष : दिनांक 23 फरवरी, 2026 को वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026 का व्यवस्थापन हुआ तथा बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026 सदन में स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 25 फरवरी, 2026 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 के परिणाम बजट, बाल कल्याण बजट, जेन्डर बजट, हरित बजट पुस्तिकाओं तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 26 फरवरी, 2026 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रण महालेखापरीक्षक से प्राप्त वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 का "निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा–सिविल एवं वाणिज्यिक" तथा वर्ष 2024–25 का वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे से संबंधित प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा गया । साथ ही, इन प्रतिवेदनों को बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने एवं जनता में बिक्री के लिए प्राप्य होने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :–

1. बिहार विनियोग विधेयक, 2026
2. बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2026
3. बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
4. बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
5. बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026
6. बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026
7. बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026
8. बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक, 2026
9. बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026

10. बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026
11. बिहार जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026
12. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026

सत्र के दौरान कुल 4190 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 3783 प्रश्न स्वीकृत हुए । इन स्वीकृत 3783 प्रश्नों में कुल–132 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 125 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए, कुल 2825 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 2656 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए । साथ ही 826 प्रश्न अतारांकित हुए । सरकार की संवेदनशीलता से लगभग सभी विभागों ने प्रश्नों का शत–प्रतिशत उत्तर दिया ।

इस सत्र में कुल 388 ध्यानाकर्षण सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें 36 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, 334 सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये तथा 18 अमान्य हुए ।

इस सत्र में कुल 779 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 765 स्वीकृत हुए एवं 14 अस्वीकृत हुए । कुल 569 याचिकायें प्राप्त हुई, जिनमें 532 स्वीकृत एवं 37 अस्वीकृत हुई । इस सत्र में कुल 282 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई ।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

माननीय सदस्यगण, सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रिगण, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष–प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ ।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (डिजीटल मीडिया) ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

माननीय सदस्यगण, आपने जिस गंभीरता, अनुशासन और उत्तरदायित्व के साथ सदन की कार्यवाही में भाग लिया, वह लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करने वाला है । सार्थक बहस, रचनात्मक सुझाव और जनहित के मुद्दों पर आपकी सक्रिय सहभागिता ने इस सत्र को प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाया है ।

आप सबों की सदन के प्रति रूचि और सहभागिता को देखते हुए और इसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्कृष्ट विधायक सम्मान की परंपरा बिहार विधान सभा में भी आरंभ की जाएगी । इसके लिए एक समिति बनाकर इसकी समीक्षा की जाएगी और उसकी अनुशंसा के आलोक में आगामी बजट सत्र से यह सम्मान दिए जाने का उपक्रम शुरू होगा । इस हेतु आप सबों के सार्थक सुझाव भी अपेक्षित होंगे ।

आगामी होली के पावन अवसर पर मैं आप सभी को तथा आपके परिवारजनों को और बिहारवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ । रंगों का यह पर्व हमारे जीवन में नई ऊर्जा, पारस्परिक सद्भाव और सामाजिक समरसता का संचार करे । भिन्न विचारों के बावजूद हमारी लोकतांत्रिक एकता और मजबूत हो, यही कामना है ।

''प्रेम में इबादत का मिला कर रंग थोड़ा सा,
करो दिल का चमन गुलजार मेरे मित्र होली में।''

''मिटा कर बीच के बंधन भूला दें आज सारे गम,
न कोई आज है दुश्मन अजी खेलें हम होली ''

''लगाएँ प्रेम का चंदन, महक उठे हर इक आँगन,
बना कर मन खरा कुंदन, अजी खेलेंगे हम होली।''

अंत में,

''सब का अलग अंदाज था सब रंग रखते थे जुदा–जुदा,
रहना सभी के साथ था सो खुद को पानी कर लिया ।''

माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि सत्र का समापन करूँ । इस सत्रावधि में बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री पूर्णमासी राम के निधन की सूचना मिली है, जिनके प्रति शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है।

शोक प्रकाश

स्वर्गीय पूर्णमासी राम

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री पूर्णमासी राम का निधन दिनांक 25 फरवरी, 2026 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 76 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय राम पश्चिम चम्पारण जिला के बगहा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1990, 1995, 2000, मार्च, 2005 एवं नवंबर, 2005 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में मंत्री

भी रहे थे एवं लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे । वे एक कुशल राजनीतिज्ञ थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

अब हमलोग एक मिनट का मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भिजवा दूंगा ।

माननीय सदस्यगण, अब बिहार गीत होगा । कृपया अपने–अपने स्थान पर खड़े हो जाएँ ।

(बिहार गीत)

अब सभा की बैठक अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की जाती है ।